राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का छठा दिवस [संख्या 7

शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 8.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, गृह, यातायात, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, सिचाई, उपनिवेशन, शिक्षा, अकाल राहत, चिकित्सा, पंचायत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

राजस्थान नहर

117. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (तोखा): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पास भेजी गई है ? यदि हां, तो कब भेजी गई ?

(2) क्या भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूल सिंह) : (1) जी हां। राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर की जाती रही है।

राजस्थान कैनाल आथॉरिटी के बनाने के बारे में मुख्य मन्त्री द्वारा केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री कृष्णामाचारी से अक्टूबर, 1964 में बातचीत की गई। तदुपरान्त इस सम्बन्ध में एक विधेयक का प्रारूप बनाकर भारत सरकार को दिनांक 6 अक्टूबर, 1965 में भेजा गया।

(2) जी हां। भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय ने यह सूचित किया कि फिलहाल राजस्थान कैनाल आथॉरिटी बनाने के मामले को स्थगित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कुछ आवाज आ रही है। आठ बजे की न्यूज आ रही है।

प्रश्न संख्या 118

(विराम)

Page No 2

(श्री अध्यक्ष)
नेक्स्ट, श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 119

श्री देवीलाल बुरासिया !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 120

श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 121

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 122

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 123

श्री बृजवल्लभ बोहरा !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 124

श्री केशरी सिंह हाड़ा !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 125

श्री रावत राम !
(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

How smoothly we are going on.

प्रश्न संख्या 126

श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 127

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

अकाल सहायता कार्यों के निमित्त बसों आदि की खरीद

128. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्य के निमित्त राज्य सरकार द्वारा कितनी बसें, जीपें, कारें एवं ट्रैक्टर आदि खरीदे गये ? सन् 1967-68 तथा 1968-69 का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि खरीदे गये तो उपरोक्त व्हेकिल्स में से किन किन व्हेकिल्स की स्वीकृति अकाल राहत मन्त्री से ली गई और किन किन की नहीं ?

(3) जो व्हेकिल्स खरीदे गये वो किस किस कीमत में और किस कम्पनी से खरीदे गये ? उपरोक्त व्हेकिल्स का कब कब उपयोग किया गया ?

(4) उपरोक्त प्रत्येक व्हेकिल्स के पैट्रोल का क्या कन्जम्पशन है ?

उप मन्त्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सभी वाहनों की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।

(3) जो गाड़ियां जिस जिस कीमत में खरीदी गई, उनका विवरण उपरोक्त सूची में दिया गया है। उपरोक्त सभी वाहन उपयोग में आ रहे हैं।

(4) प्रत्येक वाहनों के पेट्रोल के कन्जम्पशन की सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे वाहन अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिस्थितियों में काम आ रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार। यह विभाग तो एक ही है और एक ही विभाग द्वारा वाहन प्रयोग किये गये हैं, फिर पेट्रोल कन्जम्पशन की सूचना न होने का क्या कारण है?

श्री गंगाराम चौधरी : राहत कार्य के लिए ये वाहन काम में लिये जाते हैं। अलग अलग विभाग द्वारा अलग अलग स्थानों पर क्या पेट्रोल का कन्जम्पशन हुआ इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने यह नहीं बताया है कि किस किस अधिकारी को किस किस कार्य के लिए वाहन दिया गया है?

श्री गंगाराम चौधरी : जानकारी अवश्य है, लेकिन पेट्रोल कन्जम्पशन के बारे में अब तक सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इन वाहनों की खरीद के लिए टेंडर इनवाइट किये गये थे?

श्री गंगाराम चौधरी : आवश्यक कार्य प्रणाली का पालन किया गया था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आवश्यकता तो समय समय पर सरकार की बदलती रहती है। कभी क्या आवश्यक होता है, कभी क्या आवश्यक होता है-मुझे तो यह बताने की कृपा करें कि टेंडर इनवाइट किये गये या नहीं? राज्य सरकार के बारे में यह जानकारी होना तो बहुत मुश्किल है कि आज क्या आवश्यक है और कल क्या होगा। इनकी आवश्यकता का कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता।

वह तो केस के तथ्य ही बता सकते हैं। नियमों के बारे में कल्पना तो नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत ठीक है। आप नहीं कर सकते।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मन्त्री महोदय उत्तर तो दें। वे तो बतला नहीं रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, टेंडर वगैरह इनवाइट करके, सारी ही कार्य प्रणाली पूरी करके ही वाहन लिए गए हैं। और आवश्यकता का जहां तक प्रश्न है, पहले राज्य सरकार ने राहत कार्य के लिए ट्रेक्टर्स दिए थे, लेकिन रेतीले इलाके में ट्रेक्टर्स काम नहीं कर पाये, इसलिए ट्रेक्टर्स के बजाय ट्रक्स लेने आवश्यक समझा गया और ट्रक्स खरीदे गये।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमदत्त माटी।

Page No 4

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : अध्यक्ष महोदय, इतना तो विचार कर लें कि ट्रैक्टर्स ने तो काम किया नहीं और ट्रक ने कर लिया, जहां ट्रैक्टर्स काम नहीं कर सकते वहां ट्रकों ने काम कर लिया राहत कार्यों में ?

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि अकाल राहत विभाग ने कई जगह ट्रैक्टर्स राहत कार्यों में लगा रखे हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : ट्रैक्टर्स ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : जी हां।

श्री गंगाराम चौधरी : पी. डब्लू. डी. ने अपने कुछ राहत कार्यों में ट्रैक्टर्स का उपयोग किया होगा, बाकी अकाल राहत विभाग ने नहीं किया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज हर जगह विभाग ने सड़कों पर ट्रैक्टर्स लगा रखे हैं और माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमने जो ट्रैक्टर्स खरीदे वे काम में नहीं आये। कौनसी बात सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं निवेदन करू कि पानी आदि के लिए ट्रैक्टर्स भेजे गए थे लेकिन वे काम में नहीं आए। पी० डब्लू० डी० ने ट्रैक्टर्स किराये पर लिये होंगे तो वे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम में लिये। राहत विभाग ने नहीं लिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : क्या यह सही है कि अकाल राहत विभाग भ्रष्टाचार विभाग बन गया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : क्या यह सच है ? यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : यह कन्फ्यूजन में है।

श्री ओमदत्त भाटी।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश

129. **श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) :** क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि 1969 में मेडिकल कालेज में दाखिले के लिए छात्रों की पी० एम० टी० परीक्षा ली थी ? यदि हां, तो इसको किसने अरेंज किया ?

(2) इसमें कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे एवं प्रति विद्यार्थी की क्या फीस थी ? इस परीक्षा पर कितना खर्च हुआ ?

(3) इस परीक्षा का परिणाम किस प्रकार घोषित किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि मेरिट के हिसाब से भर्ती नहीं किया गया ?

(5) क्या छात्रों ने इसके लिए रिट की है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) जी हां। यह परीक्षा राज्य सरकार के आदेशानुसार (on behalf of the Govt.) राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी।

(2) इसमें कुल 2678 विद्यार्थी बैठे, परीक्षा फीस 35 रुपये प्रति विद्यार्थी थी।

(श्री वृज सुन्दर शर्मा)
खर्च के बारे में सूचना राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर सदन में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(3) इस परीक्षा का परिणाम मेरिट के आधार पर घोषित किया गया।

(4) जी नहीं।

(5) मेरिट के बेसिस पर किसी भी छात्र ने रिट नहीं की, बाकी दूसरी पाईंट पर की थी, किन्तु जिन्होंने रिटें की हैं वह खारिज कर दी गई हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या यह सही है कि एक संवाददाता ने जब राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री भटनागर से चित्तौड़ में बात की कि पी. एम. टी. के परीक्षा के परिणाम किस प्रकार घोषित किये गये हैं, घोषित तो राज्य सरकार ने किये हैं, तो डॉक्टर भटनागर ने कहा कि मेहरबानी करके इस प्रश्न को जाने दीजिये और अधिक प्रश्न न करें तो अच्छा। क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि गड़बड़ हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भटनागर साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया उसकी मुझे नॉलेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर भटनागर ने क्या कहा इसकी आपको जानकारी नहीं है, और किस से कहा यह भी जानकारी नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी : वे चुप रहे। जब आदमी चुप रहता है तो इसका मतलब तो आप भी समझते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लिस्ट तो मेरिट के आधार पर ही प्रकाशित की गई है। अलबत्ता यह एक प्रश्न जरूर आया था कि वैसे किसी भी विद्यार्थी को रोल नम्बर वगैरह नहीं लिखना था लेकिन किन्हीं छात्रों ने रोल नम्बर लिख दिया, तो उस पर यह सवाल आया कि क्या ऐसे छात्रों को वंचित रखा जाये। जब उनको यह प्रश्न रेफर किया गया, तो उत्तर यह आया कि इन पत्रों की यूनिवर्सिटी में ही जांच की गई थी और उनको निकलने नहीं दिया गया था, इसलिये रोल नम्बर लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकार ने उन छात्रों को भी ले लिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की जो अन्तिम तिथि थी उसके बाद भी एक लड़की को एडमिट किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो अलग से सवाल करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है मेडिकल कॉलेज में जो समय था उसके दो महीने बाद एक लड़की का एडमीशन, नियमों के विरुद्ध हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 130

नेक्स्ट, श्री भगवान दास शास्त्री

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 131

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री फूलचन्द बाफना !

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में कार्यवाही

132 **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान पत्रिका (हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र) जयपुर के तारीख 1-8-1968 के अंक में प्रकाशित "भूतपूर्व उप मन्त्री के इशारे पर महात्मा गांधी का स्मारक तुड़वाया गया शीर्षक" से प्रकाशित संवाद की ओर सरकार का ध्यान गया है ?

(2) यदि सरकार का ध्यान उपर्युक्त संवाद की ओर नहीं गया है तो क्या अब भी उसे पढ़ कर सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त संवाद के विषय में क्या वास्तविकता है ?

(3) उपर्युक्त सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या क्या नतीजा निकला है ?

उप मन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां।

(2) संवाद गलत पाया गया है।

(3) उप जिला विकास अधिकारी, पाली ने मौके पर जांच की और शिकायत गलत साबित हुई।

श्री फूलचन्द बाफना : मूर्ति वहां पर थी और उसको हटाया गया है। पैसा पंचायत समिति ने दिया था, पंचायत समिति का पैसा उसमें लगा है। वह सार्वजनिक स्थान था और उसको व्यक्तिगत आदमी को बेच दिया गया। महात्मा गांधी की मूर्ति को हटा दिया गया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बिलकुल गलत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने गत सत्र के अन्दर भी कहा था कि महात्मा गान्धी की स्टेच्यू को तोड़ा गया है। महात्मा गांधी की टूटी हुई मूर्ति की फोटो सदन में पेश की गयी है और फिर माननीय मंत्री महोदय कहते हैं मूर्ति नहीं तोड़ी गई है और यह सूचना गलत। यह एक लज्जाजनक बात है और दुःख की बात है।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार (हवा महल, जयपुर) : क्या अध्यक्ष महोदय·····

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : महात्मा गान्धी का नाम लेकर यहां बैठे हैं······

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

Page No 7

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी एन्क्वायरी की गई है और यह गलत पाया गया है। जांच अधिकारी खुद गये थे और आरोप कर्त्ता को बुलाया गया था वे वहां पर उपस्थित नहीं हुए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि महात्मा गान्धी संघर्ष समिति ने राज्य सरकार को एक रिप्रेजन्टेशन दिया था जांच कराने हेतु।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जांच में यह आरोप गलत पाया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न……

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस जगह से यह मूर्ति हटाई गई है क्या वह सार्वजनिक स्थान था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मूर्ति का कोई चिह्न नहीं पाया गया और ना ही इस प्रकार के ऐवीडेन्स मिले हैं। अगर आप कोई नये तथ्य बतायें तो मैं पुन: जांच कराने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया कहीं इस प्रश्न में कोई ऐसी बात है जो एन्क्वायरी से खिसक गयी हो, आपकी जानकारी में नहीं आयी हो उसके आसपास कहीं ऐसी कोई घटना हुई हो महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने की। मेरे पास जो सूचना है उसमें भी ऐसा आया है। विधान सभा सचिवालय को एक दरख्वास्त मय फोटो के पेश हुई है। कोई तथ्य आपको कहीं आस पास मिल जाय इसलिये आप दूसरी एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करा लीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया :
श्री फूलचन्द बाफना :
(दोनों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक साथ नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, उस पर विचार ही नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय जब हम सारे काम गान्धी के विपरीत करते हैं तो वहां से मूर्ति हटाना क्या बुरा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न खतम कर दिया।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इस प्रकार के कारनामों से ये स्वयं खतम होने वाले हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : यह जांच किस अधिकारी ने की है कि वहां कोई मूर्ति नहीं थी और जैसे माननीय गाड़िया जी ने कहा है कि इस प्रकार की फोटो भी सदन को दी गई है। यह आपके अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट बिलकुल गलत है। क्या सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : अभी गलत रिपोर्ट का सवाल नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि वहां मूर्ति थी या नहीं थी यह भी एक अलग बात है लेकिन जिस स्थान की यह चर्चा है वह स्थान सार्वजनिक स्थान है या नहीं जिसके बारे में यह चर्चा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यदि आपके पास कोई अतिरिक्त ऐवीडेन्स हों तो उसके लिये जांच कराई जायगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि वह सार्वजनिक स्थान था या नहीं, यह बताइये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सार्वजनिक स्थान होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : होगा नहीं, है।

श्री अध्यक्ष : है।

श्री फूलचन्द बाफना : यह स्थान अब किसको बेच दिया गया है जिसमें पंचायत का पैसा लगा हुआ है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह किसी को नहीं बेचा गया है।

श्री विजयसिंह : क्या जांच अधिकारी शराब पीये हुए थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

छात्रावास की भूमि के क्रय का मामला

133. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रावास की भूमि के क्रय के मामले को लेकर कालेज के आचार्य का अदालत में चालान किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि अदालत में श्री आचार्य को बरी कर दिया और इस मामले की अपील नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि न्यायालय के निर्णय में श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं श्री जगन्नाथसिंह मेहता क्रमशः तत्कालीन शिक्षा सचिव एवं संचालक द्वारा उठाये गये मामले को सही नहीं माना है ? यदि हां, तो इन दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न का सम्बन्ध गृह विभाग से है इसलिये गृह विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री विजयसिंह : शिक्षा विभाग से ही है इसका सम्बन्ध।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : कब भेजा गया गृह विभाग को ?

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कई बड़े बड़े आदमी इन्वोल्व होते हैं भ्रष्टाचार का मामला है। इसको टाला जा रहा है। यह जो जमीन खरीदी गई है इसमें बड़े बड़े व्यक्तियों का हाथ है।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय हाउस में यह व्यवस्था कर दी जाय कि प्रश्न की तारीख से पहले ही ट्रान्सफर कर दिया जाय। प्रश्न आने पर ट्रान्सफर न करें।

राव श्री धीरसिंह : पहले ही ट्रान्सफर करने के लिये लिख दिया गया था।

श्री विजयसिंह : प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या यह छात्रावास की भूमि है और पूर्णतया शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। कोर्ट में चालान हुआ है, डिपार्टमैन्टल एन्क्वायरी हो रही है। शिक्षा विभाग का ही प्रश्न है फिर इसको गृह विभाग में भेजने की क्या आवश्यकता थी। इसमें अध्यक्ष महोदय बड़ा गबन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय शिक्षा विभाग से ही सम्बन्धित है।

राव श्री धीरसिंह : पहले ही प्रश्न खत्म हुआ था। होम डिपार्टमैन्ट ने इसकी तहकीकात की है, कोर्ट में चालान पेश किया, कोर्ट ने उसको बरी किया है अब उसकी अपील क्यों नहीं हुई फलां चीज क्यों नहीं हुई यह सब होम डिपार्टमैन्ट के देखने का काम है।

प्रश्न संख्या 134

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया।

यातायात में बाधा

135. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा बारां राष्ट्रीय मार्ग पलायथा के निकट कालीसिंध पुलिया पर पानी भरा हुआ है और उसके कारण यातायात में बाधायें आती रहती हैं ?

(2) उक्त पुलिया पर पानी किन कारणों से भरा हुआ है और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां।

(2) कालीसिंध नदी में अत्यधिक बाढ़ के कारण सड़क के दोनों ओर की भूमि ऊंची होगई है जिससे पानी भर जाता है। उक्त स्थान पर सड़क को ऊंचा कराने का कार्य चालू है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सड़क का कार्य चालू है ? किस तारीख से चालू है ? सड़क को ऊंचा कराने की बात आज तक तो चालू हुई नहीं है। माननीय मंत्री महोदय गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी गलत सूचना का प्रश्न नहीं है।

श्री माधोसिंह : मैं जानकारी के लिये निवेदन करूं अभी 15-20 रोज पहले आदेश दिये गये हैं। काम चालू कर दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय माननीय उप मंत्री महोदय यह कह रहे हैं सड़क को ऊंचा किया जा रहा है। जब मैंने कहा गलत है तो कहने लगे, अभी सड़क ऊंची नहीं हो रही है, मिट्टी डाली जा रही है।

श्री अध्यक्ष : पहले पहल मिट्टी दी जाती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस पुलिया के अन्तिम छोर पर जो पानी भरा हुआ है वह कब तक साफ हो जायगा।

श्री माधोसिंह : आपको आश्वासन देता हूं 6 महीने में पूरा कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ने जनवरी के सत्र में यह आश्वासन दिया था कि एक महीने के अन्दर अन्दर इस कालीसिंध नदी पर पुलिया बना देंगे और आज कह रहे हैं कि 6 महीने में बनेगी।

श्री माधोसिंह: माननीय सदस्य जानते हैं कि कालीसिंध का जो पानी आया था उसका हमने निरीक्षण किया था और उस समय कहा था कि इसको चालू करो उस समय पानी का वहाव था। मैं कहता हूं कि 3 महीने के अन्दर अन्दर काम करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न और पूछ लीजिए तो एक महीने पर आ जायेंगे।

श्री विजयसिंह : मंत्री महोदय टाई के रौब में थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हरजीराम बुरड़क।

डाक्टरों द्वारा झूठे प्रमाण-पत्र

137. हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ऐसी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं कि डॉक्टर लोग विभिन्न लोगों को मुकदमों में पेश करने के लिये फर्जी चोटें दिखाकर सर्टीफिकेट दे देते हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में जिला नागौर के किन किन डाक्टरों द्वारा किन किन को कब कब इस प्रकार झूठे सर्टीफिकेट देने की शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त मामलों में जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये? यदि हां, तो उनकी प्रतियां भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) उक्त मामलों में जांच अभी जारी है।

(3) जी नहीं, अभी तक इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : आपकी सूची के अनुसार 68 में जिन डाक्टरों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई कि उन्होंने झूठे सर्टिफिकेट दिये है और उन सर्टिफिकेटस के आधार पर जिन मुलजिमान का अदालत में चालान कर दिया गया उनके खिलाफ तो

(श्री हरजीराम बुरड़क)
कार्यवाही चल रही है और आपके अधिकारी लोग रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं अभी तक ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो अदालत में जो भी फैसला होगा अगर झूठे मान लिए जाते हैं तो सजा दी जायेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : सर्टिफिकेटस बाद में झूठे साबित करेंगे। मान लें कि अदालत में फैसले के बाद साबित कर दिया कि यह सार्टिफिकेट्स झूठे थे तो इसका क्या असर पड़ेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसका असर यह पड़ेगा कि वह दोषी पाये जायेंगे क्योंकि अदालत ने फैसला दे दिया कि झूठे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अदालत तो पहिले दे देगी सर्टीफिकेट्स के आधार पर मुलजिमों को सजा दे देगी और बाद में आपका विभाग साबित कर देगा कि यह सर्टीफिकेट्स झूठे थे तो बेगुनाह लोगों को सजा हो जायेगी अदालत में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इस बात की जांच तो अदालत करेगी और उसके फैसले पर ही डिपेण्ड करेगा कि क्या अदालत फैसला देती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अदालत का फैसला सर्टीफिकेट के आधार पर होगा। डाक्टर ने सर्टीफिकेट दिया उस आधार पर पुलिस ने केस चालान कर दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो अध्यक्ष महोदय, हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है इसका क्या जवाब दूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डॉक्टर इस प्रकार के झूठे सर्टिफिकेट्स देते हैं इस गलत व्यवस्था को रोकने के लिये विभागीय जांच कराई जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो भी शिकायतें आती हैं उनकी विभागीय जांच होती ही है और होने पर दण्डित किया जाता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जांच के लिये समय निर्धारित होना चाहिये। जो आपने सूची दी है 68 से जांच चल रही है और वह अभी तक पूरी नहीं हुई, अदालत कब तक उस जांच का इन्तजार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो अदालत के फैसले पर डिपेण्ड करेगा कि अदालत में जो मामले चल रहे हैं उन पर किसी प्रकार की जांच की जाये।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, इसमें सवाल यह है कि आपको इस प्रकार की जांच के लिए कोई समय निर्धारित करना चाहिये ताकि समय पर अदालत को सूचना मिल सके। पुलिस चालान करे उसका पहले।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्न संख्या 118

श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 119

श्री देवीलाल बुरासिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 120

श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 121

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 122

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 123

श्री बृजवल्लभ बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह हाडा !

कोल्ड स्टोरेज कोटा को भूमि

124. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में गोविन्दपुर बावड़ी, तहसील बूंदी के अन्तर्गत क्या कोटा कोल्ड स्टोरेज के नाम से उद्योग खुला है ?

(2) यह कोल्ड स्टोरेज किस के द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी इमारत के लिये कितनी भूमि इसके मालिक को किन किन खसरा नम्बरों की दी गई है ?

(3) यह जमीन किस के खाते की है और क्या यह आराजी आबादी में मुन्तकिल कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या इस कोल्ड स्टोरेज के पास में ही श्री बृजसुन्दर शर्मा के परिवार के सदस्यों को भी जमीन आवटित की गई है ? यदि हां, तो किस को और कितनी ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह) : (1) जी हां ।

(2) यह कोल्ड स्टोरेज श्री शारदा प्रसाद पुत्र लाला श्री शंकर लाल महाजन मेरठ के द्वारा बनाया जा चुका है । इसकी इमारत के लिए कोई भूमि इसके मालिक को नहीं दी गई है ।

(3) जिस जमीन पर कोल्ड स्टोरेज बना है वह भूमि खसरा नं. 74-75 रकबा 14 बीघा, कृषि भूमि है । जिसके खातेदार श्री, कालू केसर, धन्ना, ग्यारसा, काना व छोटू पिसरान श्री भंवरलाल लोधा निवासी गोविन्दपुरा बावड़ी के हैं । इसके अलावा खसरा नं. 130/2 रकबा 2)2 कृषि भूमि सरकार से नीलाम में कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने खरीदी थी । अभी कोई भूमि आबादी में मुन्तकिल नहीं की गई है ।

(4) इसका संबंध कोल्ड स्टोरेज से नहीं है ।

श्री केशरीसिंह हाडा : क्या कारण है कि आबादी में मुन्तकिल करने से पूर्व ही उसने उस पर कोल्ड स्टोरेज बनवा लिया ?

श्री मनफूलसिंह : पहले आबादी में मुन्तकिल की गयी ।

श्री केशरीसिंह हाडा : आपने अभी कहा है कि नहीं की गयी ।

श्री मनफूलसिंह : मुन्तकिल पहले नहीं की गयी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : तो विभाग ने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? इस प्रकार से रेवेन्यू की भूमि पर अनधिकृत रूप से तामीर का काम करा लिया तो सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री शोभाराम (उपनिवेशन मंत्री) : इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या कार्यवाही ?

श्री शोभाराम : कृषि भूमि को आबादी में परिणित करने के कन्वर्शन के रूल्स बने हैं । एक तो वेकेन्ट लैण्ड है और उसके लिए बाकायदा प्रार्थना-पत्र देकर कन्वर्शन कोर्स्ट को दाखिल करते हैं तो सिंगल रेट पर उसका कन्वर्शन हो जाता है और जो वेकेन्ट लेण्ड पर बिना मन्जूरी के और बिना कन्वर्शन किये हुए कोई कन्सट्रक्शन करता है तो उसमें पीनेल क्लॉज लगा हुआ है जो कन्वर्शन की रेट्स हैं उसके सरटेन मल्टीपल जुर्माना लगा कर भूमि को परिवर्तित करने के नियम सरकार के सामने विचाराधीन हैं । जहां तक कोर्स्ट का सवाल है, जो बड़े बड़े शहर हैं और गांव हैं, सबके लिए राजस्थान के अन्दर, जहां तक मंत्रिमण्डल का सवाल है, एक कोर्स्ट उन्होंने कन्वर्शन की तय कर दी है । उसके को-रिलेटेड जो अनअथोराइज्ड कन्सट्रक्शन हुआ है बिना कन्वर्शन के उसके लिए कायदे कानून बन रहे हैं । मैं समझता हूं कि जैसे ही एक-दो महीने में यह फैसला हो जायेगा उसके मुताबिक कितना पीनल अमाउन्ट उनसे चार्ज किया जाये इसकी कार्यवाही होगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा सा है कि इस प्रकार से कृषि भूमि पर इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज कोई एक दिन में तो नहीं बन गया । आखिर उन्होंने नींव भी खोदी है, तो संबंधित पटवारी और कानूनगो ने क्या, समय पर सूचना दी कि अमुक प्रकार से एक आदमी तामीर कर रहा है ? यदि सूचना दी तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? किस प्रकार एक साल तक यह कोल्ड स्टोरेज का काम चलता रहा ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अनअथोराइज्ड कन्सट्रक्शन के करीब हजारों केसेज राजस्थान में होंगे । जयपुर में भी हैं, अलवर में भी हैं और सब बड़े बड़े कस्बों में हैं । अब यह प्रोब्लम इतनी बड़ी हो गयी कि इसको हल करने के लिये पीनल क्लाज लगा कर जो अनअथोराइज्ड कन्सट्रक्शन हैं, अभी विचाराधीन है कि चौगुना हो या पांच गुना हो जो भी रेट्स हैं उसके अनुसार लेकर उसको रेगुलेराइज करने की बात है । अगर कन्सट्रक्शन को डीमोलिश करते हैं तो लाखों मकान ऐसे होंगे कि जिनको डीमोलिश करने की बात होगी ।

दूसरा प्रश्न उठाया कि इसको क्यों मौका दिया और इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज कोई एक दिन और एक रात में तो खड़ा नहीं हुआ और कार्यवाही क्यों नहीं की

Page No 14

(श्री शोभाराम)
गयी तो इस संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि क्योंकि इस में ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं कि गत सत्र में या इसके पहले इस विषय पर बहुत ही विस्तार के साथ विचार-विमर्श किया जा चुका था फिर भी मैं कालोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट के जो अधिकारी थे वह कौन थे, किस साल के अन्दर यह हुआ और किसकी इस प्रकार की रेस्पान्सीबिलिटी थी उनको रिपोर्ट देनी चाहिए। मैं इसकी जानकारी करूंगा। मैं समझता हूं कि जब जानकारी हो जायेगी तो सदन को जानकारी दे दी जायेगी।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : इस प्रकार के जो इल्लीगल कन्स्ट्रक्शंन्स हैं वह कोटा में बहुत हैं जो कि कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट द्वारा डीमोलिश किये गये हैं। अगर उनके कन्स्ट्रक्शन को डीमोलिश करते हैं तो इसको डीमोलिश क्यों नहीं किया गया ? यह डबल स्टेन्डर्ड क्यों फालो कर रहे हैं ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि कोटा में ही सैंकड़ों मकान ऐसे होंगे कि जो डीमोलिश होने के लायक हैं लेकिन डीमोलिश नहीं किये गये। अगर ऐसा करेंगे तो हजारों मकानों को करना पड़ेगा। इस संबंध में राज्य सरकार विचार कर रही है और डीमोलिश की पद्धति उसी समय अपनायी जाये जब कि सैट डिजाइन है उसके खिलाफ अगर कोई बनाता है तो वहां डीमोलिश की कार्यवाही करनी चाहिए। नहीं तो पीनल क्लाज लगा कर जुर्माना करके ही ठीक रहेगा ·····

श्री जुझारसिंह : आलरेडी आप डीमोलिश कर चुके हैं कई मकान बावजूद इसके कि वह सैट पैटर्न के बने हुये हैं। सैंकड़ो वर्षों के मकान बने हुए हैं। ऐसे मकानों को कोटा की मेन रोड पर डीमोलिश कर चुके हैं।

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि यह अलग से प्रश्न है। इसकी जानकारी करके मैं आपको बता दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अलग से कैसे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन है। क्या यह सही है कि जिस समय इस कोल्ड स्टोरेज का कन्स्ट्रक्शन हुआ था उस समय राज्य सरकार ने इस प्रकार की न तो कोई नीति निर्धारित की थी और न नियम बनाने का आश्वासन दिया था कि एग्रीकलचर लैण्ड को आबादी भूमि में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है।

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि कमाण्ड एरिया में तो कन्स्ट्रक्शन आदि बनाने की परमीशन देने की कोई क्लाज ही नहीं थी। रेवेन्यू क्लाज भिन्न हैं।

श्री भैरोंसिह : मैं पूछ रहा हूं कि जब यह क्लाज नहीं थी तो उस एक्ट के मातहत एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? दो वर्ष के बाद आबादी भूमि में परिणित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार नियम बनायेगी और नियम बनाने के सम्बन्ध का निर्णय लेने के पूर्व जो कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए थी वह क्यों नहीं की ?

श्री शोभाराम । नियम बनाये गये ।

श्री भैरोंसिंह : इन नियमों के बनाने का निर्णय लेने से पहले.... ...

श्री शोभाराम : नियम बनाने से पहले क्या ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह नियम बनाने का फैसला गत वर्ष विधान सभा में घोषित किया गया था कि इस प्रकार का फैसला कर चुके हैं कि एग्रीकलचर लैण्ड और खास तौर से आबादी के क्षेत्र में जहां एग्रीकलचर लैण्ड पर कन्स्ट्रक्शन कर लिया है उनको रेग्यूलेराइज करने के लिए कोई रकम या फीस तय कर देने के नियम बना दिए जायं और उस आधार पर उनको नियमित किया जाय, लेकिन इस प्रकार के नियम बनाने का फैसला करने से पूर्व जो कानून इस प्रकार की चीजों की रोकथाम करने के लिए बने हुए थे उन कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि इसका राजस्व विभाग से ज्यादा सम्बन्ध है बनिस्बत कालोनाइजेशन विभाग के।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री के मालिक ने उद्योग विभाग को लोन लेने के लिए और औद्योगिक लाइसेन्स के लिए इस फैक्ट्री ने नक्शा दिया उसमें यह लिखा था कि एग्रीकलचर लैण्ड है, तो उन्होंने किस तरह से इजाजत दी, रुपया दिया और किस तरह से लाइसेन्स दिया है ? इसकी आपने जांच करवाई है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : मेरा एक प्रश्न और है। क्या यह सही है कि यह फैक्ट्री अनफिलटर्ड वाटर से बर्फ बना रही है जिससे पब्लिक के स्वास्थ्य पर बड़ा नुकसान पड़ता है।

श्री शोभाराम : यह मेरे ध्यान में नहीं है और यह कालोनाइजेशन विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न संख्या 125

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 126

श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 127

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 130

श्री भगवानदास शास्त्री !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 131 के सम्बन्ध में मेरे पास अधिकार पत्र है इसलिए मुझे पूछने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : वह मेरे पास आना चाहिए था।

ग्रामीण क्षेत्रों के डाक्टर

131. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : के स्थान पर श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) द्वारा पूछा गया : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डॉक्टर एम. बी. बी. एस. की डिग्री करने के पश्चात् छः महीने की ट्रेनिंग प्राप्त कर सीधे प्राइमरी हैल्थ सैन्टर पर नियुक्त कर दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन्हें अनुभव नहीं होने के कारण वे ग्रामीण क्षेत्र में ठीक तरह से इलाज नहीं कर पाते ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त डॉक्टरों को ट्रेनिंग सैन्टर के पश्चात् दो साल तक के लिए बड़े अस्पतालों में रखकर योग्यता एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगी ताकि बाद में गांव में जाकर वे अपने अनुभव का ग्रामीण जनता को उचित लाभ पहुंचा सकें ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी नहीं आवश्यक नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) बड़े अस्पतालों में पदों की संख्या सीमित होते हुए भी यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 123 का उत्तर दिलवा दें यह चम्बल नहर से सम्बन्धित है इसलिए महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगासहाय।

कृषि स्नातक

134. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि महाविद्यालय, उदयपुर से कितने व्यक्ति स्नातक बनकर अब तक निकले हैं ?

(2) क्या उत्तीर्ण सभी स्नातकों को सरकारी नोकरी दी जा चुकी है अथवा अन्य किन्हीं कार्यों में लगाया जा चुका है ?

(3) भविष्य में उत्तीर्ण कृषि स्नातकों को रोजगार दिलाने की सरकार की क्या योजना है ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के पोस्टपोनमेंट के लिए निवेदन किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह, प्रश्न संख्या 136।

राज्य में अपराध

136. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रैल, 1969 से लेकर अब तक किस किस जिले में कत्ल, अपहरण व डकैती के कितने कितने मामले हुए ?

(2) इनमें कितने व्यक्ति मारे गये, कितनों का अपहरण हुआ, डकैती में कितना माल गया है, कृपया अपहरण किये गये व्यक्तियों के नाम मय पता व उम्र की एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 17

(श्री भैरोंसिंह)

(3) उपरोक्त मामलों में बरामदगी की क्या स्थिति रही है? इनमें कितने व्यक्ति पुलिस द्वारा रिहा करवाये गये?

(4) 1 अप्रेल, 1968 से लेकर इस ही समय तक पिछले वर्ष कितने मामले हुए थे यदि कोई वृद्धि है तो इसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था की गई है।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) 1 अप्रेल, 69 से लेकर 31-12-69 तक हुई डकैतियों व उनके साथ कत्ल व अपहरण के मामलों की संख्या बताते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) डकैती के समय 1969 में कुल 4 व्यक्ति मारे गये, 18 का अपहरण किया गया। डकैतियों में कुल 3,14,902 रु० 49 पैसे का माल लूटा गया। अपहरण किये गये व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कुल 3,14,902 रु० 59 पैसे लूटे गये माल में से 2,51,325 रु० 23 पैसे का माल बरामद किया जा चुका है। अपहरण किये गये 18 व्यक्तियों में से 6 पुलिस द्वारा रिहा कराये गये तथा 10 को डकैतों ने स्वयं ने छोड़ दिया। बाकी दो का पता नहीं चल सका है।

(4) 1 अप्रेल, 68 से 31-12-68 तक राज्य में कुल 99 डकैतियां हुई जिनके साथ कत्ल की 9 व अपहरण की 21 घटनाएं हुई थीं। 1968 के मुकाबले में सन 1969 में डकैती की एक वारदात बढ़ी है तथा अपहरण व कत्ल में की 3 व 4 वारदातें कम हुई हैं। इन अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधिक सक्रियता और तत्परता से कार्य कर रही है। हमारी पुलिस द्वारा पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ सहयोग कर एन्टीडेकायटी अभियान चलाया जाता है पूर्वी क्षेत्रों में जहां डकैती की समस्या है, अधिक वायरलेस कवर कर दिया गया है। हाल ही में एक डी० आई० जी० पी० ए० डी० एफ० का पद कायम किया गया है, जिससे अधिक सुचारु रूप से डाकू उन्मूलन कार्य किया जा सके।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : आपने कत्ल के मामलों की संख्या चार ही दी है तो यह सही है, क्या?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस सम्बन्ध की?

श्री भैरोंसिंह : कत्ल के सम्बन्ध में जो 1969 की संख्या बताई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : डाकुओं के सम्बन्ध की संख्या दी है। डाकुओं ने जो कत्ल किये हैं उनकी संख्या दी है यह जनरल कत्ल की संख्या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो पूछा गया है उसको सारा पढ़ा जायगा तो मेरी समझ में यह आया है कि डाकुओं के कत्ल के सम्बन्ध में पूछा गया है जनरल नहीं पूछा गया है आपने डाकुओं से सम्बन्धित कत्ल व अपहरण का पूछा है इसलिये वही मैंने कहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि जिन 10 व्यक्तियों को डाकुओं ने स्वयं ने छोड़ा है तो डाकुओं ने किसी से 50 हजार और किसी से एक लाख रुपया लेकर छोड़ा है। कोटा जिले में एक सरपंच को डाकुओं ने पैसा लेकर छोड़ा है।

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : कहता ही नहीं कोई आकर तो छुड़ाए किस को ?

श्री अध्यक्ष । नेक्स्ट ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 123 नहर से सम्बन्धित प्रश्न है और उसका किसानों के हित से सम्बन्ध है इसलिए इसका उत्तर दिलाया जाय तो बड़ी महरबानी होगी ।

किसानों को पानी

123. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) की अनुपस्थिति पर **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) द्वारा पूछा गया : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राइट मेन कैनाल का सन् 69-70 में कब से कब तक क्लोजर रहा है ?

(2) इस क्लोजर के समय नहर की सफाई करने में कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि क्लोजर में सफाई कम होने से किसानों को पर्याप्त पानी नहीं दिया जाता ?

(4) क्या यह भी सही है कि डाबर ब्रांच, बड़ौद-दीगोद-मानस गांव डिस्ट्रिब्युटी के किसानों को अभी तक पानी नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक पानी दे दिया जावेगा ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) राइट मैन कैनाल को सन् 69-70 में 15, अप्रेल 1969 से 20 मई, 1969 तक बन्द रखा गया था ।

(2) इस क्लोजर के समय इस नहर की सफाई हेतु लगभग 91,525) रु० व्यय हुए ।

(3) 1969-70 में राइट मेन कैनाल में 15 अप्रैल से 20 मई तक क्लोजर रहा । इसमें करीबन 10 दिन तो नहर के सूखने में लग गए और बाकी समय में बीड्स निकालने का काम किया गया । इस अल्प अवधि में कार्य हुआ, परन्तु पूर्णतया संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता । चूंकि बीड्स जल्दी भर जाती है और बाद में मध्य प्रदेश में छोटे क्लोजर को नहीं माना । अतः इसका असर रबी की फसल के लिए नहर की क्षमता पर हुआ । अतः किसानों को पानी मिलने में दिक्कत हुई । राणाप्रताप सागर से भी कम पानी छोड़ा गया । अतः किसानों को भी कम मिला बाद में नहर की क्षमता व मध्य प्रदेश के अधिकारों को देखते हुए रोटेशनल प्रोग्राम बना दिया गया ।

(4) जी नहीं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जिन किसानों को पानी कम दिया गया है और उसके कारण उन किसानों की खड़ी फसलें सूख गई, उन किसानों को नुकसान हुआ है, क्या विभाग उन किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा देगा ?

श्री जसराज : जहां तक 69 में 12,633 एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है और उसके लिए किन किन किसानों को कितनी हानि हुई है, इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है । विभाग द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि 67 में कमान्ड में जिनको

(श्री जसराज)
पानी देना था, उन पर पूरा पानी दे दिया गया और इसके अलावा कमाण्ड में ज्यादा कमाण्ड एरिया रखा गया, उसको कम करने की कार्यवाही की जा रही है। कुछ लोगों को पानी कम मिल पाया है, उनके लिए अगर उनकी तरफ से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जायेंगे तो विचार किया जायगा, नियमों के के अनुसार उन पर क्या किया जा सकता है इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस नहर में, चाहे नहर में ओवरफ्लो होने से किसानों के खेतों में पानी भर गया, उससे उनकी खड़ी फसल बरबाद हो गई, ओवर फ्लो होने से सीपेज ज्यादा बढ़ गया इससे फसलें बरबाद हो गई और दूसरी जगहों पर पानी नहीं मिलने से फसलें सूख गई, तो क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि विभाग की गलती से ओवरफ्लो होने से, सीपेज होने से या पानी पर्याप्त मात्रा में न मिलने से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनको मुआवजा देंगे ?

राज्य मंत्री, सिंचाई :(श्री मनफूलसिंह): इसमें कायदा यह है कि फसल की खराबी के बारे में राजस्व विभाग देखता है, किसी की फसल खराब हो जाती है तो उसके लिये एक समय निर्धारित है कि अमुक समय के अन्दर अन्दर जिस किसान को नुकसान हुआ है वह किसान एक प्रार्थना-पत्र इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के पास दे । और इस तरह ज्यादा पानी देने से या कम पानी देने से जिस किसी किसान को नुकसान हुआ है, अगर इस तरह से उसका आठ आना नुकसान हुआ है तो आधा मुआवजा देते हैं और अगर किसी का आठ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है तो ज्यादा मुआवजा देते हैं ···

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): अभी उप मंत्री महोदय ने जवाब दिया था तो उन्होंने स्वयं ने कहा था कि पानी की कैपेसिटी से कमान्ड ज्यादा रख लिया गया है इसलिये कमान्ड एरिया कम करने की कोशिश की जायगी क्योंकि पानी पूरा नहीं दे पाते। तो क्या अभी मौजूदा सूरत में जब वह एरिया कमाण्ड में है और काश्तकारों से प्रोमिज किया हुआ है फिर भी उनको पानी नहीं दिया गया है या ज्यादा पानी के भराव से सीपेज से उन किसानों को नुकसान हुवा है तो क्या उन किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा देने का आश्वासन देंगे ?

श्री जसराज : मैंने बताया कि कमाण्ड एरिया कुछ कारणों से ज्यादा हो गया था और उसके बाद·····

(कुछ क्षणों तक विराम)

श्री विजयसिंह : गला रुक गया ?

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने प्रश्न 4 के उत्तर में कहा है "जी नहीं।" उसमें अगर बिल्कुल ही पानी नहीं लगा है और नहर में सिल्ट वगैरह नहीं निकाल सके, उसकी वजह से किसानों को पानी नहीं मिल सका और इसके सम्बन्ध में किसानों की दर्खास्त है तो तो जनरल तौर पर देख लेंगे, उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

Page No 20

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार के पास मन्त्री स्तर तक किसानों के नोटिस के रूप में रजिस्टर्ड लेटर दिये हैं ? उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनफूलसिंह : समय पर नियमानुसार दर्खास्तें दी हैं या नहीं यह मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : समय पर ही दिये है, मन्त्री स्तर पर लिखा है, क्यों नहीं उन पर आज तक कार्यवाही की गई है ?

श्री मनफूलसिंह : अगर समय पर दर्खास्तें नियमानुसार दे दी हैं तो उन पर जरूर विचार होगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रार्थनापत्र ऐसे आये भी हैं या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : यह मेरे नोटिस में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

मैं सदन की अनुमति से जो अवशेष समय है, उसको आगे के बिजनेस के लिए उपयोग करना चाहूंगा ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नीम के थाने में गोलीकाण्ड

113. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीम-के-थाने में दिनांक 23-11-69 को किन कारणों से दफा 144 की घोषणा की गई थी ? कृपया वह नोटिस (लिफलेट) सदन की मेज पर रखें, जिसके आधार पर शान्ति भंग होने का प्रशासन को अंदेशा व आभास हुआ और दफा 144 जा. फो. को लागू किया ?

(2) क्या यह सही है कि नीम-के-थाने में पुलिस ने दिनांक 23-11-69 को गोली चलाई और जिसमें दो व्यक्ति मारे गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने जो विज्ञप्ति गोली काण्ड के सम्बन्ध में जारी की उसमें घायलों की संख्या केवल 3 दी जब कि उस समय तक सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में 7 गोली से घायल व एक सरकारी अस्पताल, सिरोही में दाखिल हो चुका था ? यह गलत सूचना किस अधिकारी ने दी और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) जौहरी बाजार, जयपुर में दिनांक 7-3-67 को हुए गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में पुलिस ने जो रपट दर्ज की व कराई तथा दिनांक 23-11-69 को नीम-के-थाने में गोलीकाण्ड के सिलसिले में जो रिपोर्ट दर्ज हुई, उनमें अलावा स्थान इत्यादि के कोई अन्तर है ? दोनों वक्त की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) एस. डी. एम., नीम-का-थाना द्वारा धारा 144 जा. फो., लागू करने के आदेश दिनांक 22-11-69 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है—उसमें उक्त आदेश के जारी करने की आवश्यकता का जिक्र किया गया है । आदेश की प्रति भी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । गोली जरूर चलाई गई किन्तु किसी की भी मृत्यु नहीं हुई ।

(गृह मन्त्री)

(3) राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई।

(4) वांछित रपटों की नकलें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर से अहमदाबाद ट्रकें चलाने हेतु परमिट

119. श्री देवीलाल बुरीसिया (केकड़ी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1967 से अब तक अन्तर्राज्य ट्रान्सपोर्ट के परमिट प्राप्त करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र पेश किये गये?

(2) सन् 1967 से अब तक ट्रकों के लिए परमिट जयपुर से अहमदाबाद चलाने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र पेश किये गये?

(3) उक्त आवेदन-पत्रों में से कितनों को जयपुर-अहमदाबाद के परमिट दिये गये और कितनों के फार्म रिजेक्ट किये गये?

(4) दिनांक 30-12-67 से 31-12-67 तक की तारीखों में किन किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए? क्या इनको गजट में प्रकाशित किया था? अगर हां, तो कौनसी तारीख में और उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की?

(5) अन्तर्राज्य परमिट देने के क्या आधार है और आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् कितने समय बाद परमिट मिल जाता है?

उत्तर

(1) सन् 67 से अन्तर्राज्यीय ट्रकों (भार वाहन) के परमिट प्राप्त करने हेतु 2,046 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये।

(2) सन् 67 से ट्रकों के परमिटों के लिये जयपुर से अहमदाबाद चलाने हेतु दो सौ तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये।

(3) उक्त मार्ग पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा 2 परमिट दिये गये तथा 32 प्रार्थना-पत्र रिजेक्ट किये। इस निर्णय के विरुद्ध ओपरेटरों द्वारा टी० ए० टी० से अपील में जाने पर टी० ए० टी० ने दो परमिट और स्वीकृत कर दिये। शेष प्रार्थना-पत्र राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3-4-1970 में विचारार्थ रखे जावेंगे।

(4) 30-12-67 से 31-12-67 की अवधि में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अलबत्ता आर० टी० ए०, जयपुर में श्री मूलचन्द आर. दीवानी का प्रार्थना-पत्र राजस्थान-गुजरात का परमिट ट्रक नं० आर० जे० जे० 2765 के लिये दिनांक 1-1-68 को प्राप्त हुआ था परन्तु उनके प्रार्थना-पत्र पर 30-12-67 तारीख अंकित है। यह आवेदन-पत्र दिनांक 25-4-68 को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हुआ है और उस पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर ने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 13-8-68 में निर्णय लिया गया एवं परमिट नामन्जूर किया गया।

(यातायात मन्त्री)

(5) अन्तर्राज्यीय परमिट देने के लिये पड़ौसी राज्यों से आपसी समझौता होता है और जितनी भी संख्या परमिट की निर्धारित दोनों राज्यों के प्रतिनिधि तय करते हैं उसके अनुसार समझौता दोनों ओर से स्वीकृत होने पर सम्बन्धित राज्यों की प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण (जिस किसी को भी अधिकार दिया हुआ हो) परमिट नियमानुसार स्वीकृत करती है। परमिट के लिये सर्व प्रथम या तो आवेदन-पत्र स्वत: प्राप्त होते हैं अथवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण सूचना प्रकाशित करती है कि उक्त मार्ग पर कितने कितने परमिट दिये जाने हैं उसके पश्चात् आवेदन- प्राप्त होते हैं, उन सभी प्रार्थना-पत्रों को मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 57 के अनुसार प्रकाशित किया जाता है तत्पश्चात् प्रार्थना-पत्र एवं आपत्ति-पत्र यदि प्राप्त हों तो प्राधिकरण के समक्ष निश्चित तिथि पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। इस सारी प्रतिक्रिया में प्राय: चार पांच माह का समय लग जाना स्वाभाविक है।

कृषि विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता

120. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कृषि विभाग में वरिष्ठता सूचियों के सम्बन्ध में किस किस अधिकारी ने किस किस तारीख को अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये रिप्रेजेन्टेशन किये एवं उन पर क्या क्या निर्णय कब कब लिये गये ?

उत्तर

जिन अधिकारियों ने रिप्रिजेन्टेशन किए थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। जहां तक वरिष्ठता सूची में तथ्यों के आधार पर सुधार करने के लिए रिप्रिजेन्टेशन किये गये थे, वे समस्त त्रुटियां ठीक कर दी गई हैं। परन्तु वरिष्ठता सूची तैयार करने के सिद्धान्तों के खिलाफ जो रिप्रिजेन्टेशन आये थे उनके बारे में कृषि निदेशक ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, जो सरकार के विचाराधीन है। नियुक्ति विभाग तथा विधि विभाग से इस सम्बन्ध में राय भी ले ली गई है। तथा अति शीघ्र निर्णय लिया जाकर कृषि निदेशक को सूचित कर दिया जावेगा।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर शहर की सड़कें

121. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यातायात की कठिनाई को दूर करने के लिये जयपुर शहर की सड़कों को चौड़ा किया गया है ? यदि हां, तो किस किस सड़क को कब से कब तक ?

(2) क्या यह सच है कि अलग अलग विभागों के सम्बन्ध के बिना सड़क की चौड़ाई दुर्घटनाओं का कारण बन गई है क्योंकि बिजली व टेलीफोन के खम्भे अपने पूर्व स्थानों पर ही सड़कों के बीच में खड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जो सड़क या फुटपाथ बनता है उसे टेलीफोन, वाटर-

(श्री जयनारायण सालोदिया)
वर्क्स व बिजली विभाग वाले उखाड़ देते हैं और महीनों तक दुबारा उसकी मरम्मत नहीं होती है ? यदि हां, तो इससे जन धन का कितना नुकसान होता है ?

(4) क्या यह भी सच है कि एक बार निर्माण काम कर देने के बाद महिनों मलबा सड़कों के किनारे पड़ा रहता है ? यदि हां, तो काम के तुरन्त बाद ही मलबा उठा कर साफ क्यों नहीं किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची संलग्न है ।

(2) दुर्घटनाओं की जानकारी इस विभाग को नहीं है। टेलीफोन के खम्भे काफी हटा दिये गये हैं। बिजली के खम्भे हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां । संबंधित विभाग मरम्मत का पैसा बड़े प्रयत्नों के बाद जमा कराते हैं इससे मरम्मत में देरी होती है। देरी से मरम्मत के कारण जन धन की कोई हानि नहीं होती ।

(4) सड़क पर से मलबा व सामान प्रायः कार्य पूर्ण होने के बाद उठा लिया जाता है। कभी कभी थोड़ी देरी भी हो जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टोर की चोरी

122. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 14-1-69 को थाना भीमगंज पुलिस स्टेशन पर पी. डब्लू. डी. के किसी स्टोर की चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है ? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त रिपोर्ट के बाद पुलिस स्टेशन ने क्या कार्यवाही की तथा कौन कौन सा चोरी गया माल बरामद किया ?

(3) किन किन अभियुक्तों का चालान किस किस तारीख को अदालत में प्रस्तुत किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां । अभियोग सं. 9, दिनांक 14-1-69, धारा 457/380 ता. हि. के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र, भीमगंज मण्डी में पंजिबद्ध हुआ । प्रतिलिपि, प्रथम सूचना संलग्न है ।

(2) प्रथम सूचना प्राप्त होने पर अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया वो दौराने अनुसंधान एक उषा पंखा बरामद किया गया । विस्तृत टिप्पणी संलग्न है ।

(3) इसमें अनुसंधान के पश्चात् अभियोग गलत साबित होने पर पुलिस ने दिनांक 29-3-69 को फाईनल रिपोर्ट दे दी । किसी भी अभियुक्त का चालान न्यायालय में पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

चूरू-रतनगढ़ सड़क

125. श्री रावतराम (छापर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू-रतनगढ़ सड़क बिलकुल टूट गई है और इससे यात्री बसों का आना जाना कठिन हो गया है ?

(2) यदि हां, तो सड़क की मरम्मत के लिए सरकार ने क्या विचार किया है और इसकी कब कब मरम्मत करा दी जायगी ?

उत्तर

(1) कुछ मीलों में अभी धांवला रोड़ है जिसकी दशा अच्छी नहीं है जिससे थोड़ी यातायात में कठिनाई रहती है।

(2) वार्षिक मरम्मत उपलब्ध धन राशि अनुसार की जा रही है। वित्तीय वर्ष 69-70 में 40 हजार रुपये व 70-71 में 1 लाख रुपये का प्रावधान इस सड़क पर मेटल एवम् डाम्बर कराने के लिये किया गया है। कार्य चालू है।

दुकान के मामले में झगड़े के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कार्यवाही

126. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम घूंवा, तहसील देवली, जिला टोंक में दिनांक 10-5-1969 को एक दुकान के मामले में श्री नारायण दुर्गालाल शर्मा और रुघनाथ रामचन्द्र आत्मज श्री सुन्दरलाल में झगड़ा हो गया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस झगड़े की रिपोर्ट थाना नगर में धारा 324 आई. पी.सी. में श्री नारायण दुर्गालाल की ओर से दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो किस तारीख में ?

(3) क्या यह सत्य है कि स्थानीय थानेदार, नगर, द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और धारा 324 आई. पी. सी. के मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट की कार्यवाही कर डी. वाई. एस. पी. मालपुरा को लिख दिया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(4) क्या यह सत्य है कि स्थानीय थानेदार, नगर ने यह कार्यवाही दूसरी पार्टी के लिखने पर की है जिसका प्रमाण मुन्सिफ कोर्ट, टोंक में पेश किया जा चुका है ?

(5) क्या यह सत्य है कि स्थानीय थानेदार नगर, मुलजिम पार्टी व उनके वकील से मिला हुआ है ? यदि हां, तो उसको अब वहां उस थाने पर रखना कहां तक उचित है ?

(6) क्या इस मामले में स्थानीय थानेदार द्वारा कोई कार्यवाही पुलिस की ओर से नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, अलबत्ता ग्राम धुंवा कलां, तहसील देवली, जिला टोंक में दिनांक 10-5-69 को मुसम्मात प्रभात व उसकी मां नन्दकंवर तथा रामचन्दर आत्मज सुन्दरलाल, रामपाल महाजन, भैरूलाल ब्राह्मण, हीरा मीणा साकिन घूंवा कलां के बीच पुराने जमाने की दुकान के खण्डर के मलवे के कब्जे को लेकर झगड़ा होने की रिपोर्ट की गई थी।

(गृह मन्त्री)

(2) उपरोक्त झगड़े के बाबत रिपोर्ट मुसम्मात प्रभात पुत्री श्री नारायण ब्राह्मण निवासी धुंवा कलां ने चौकी पुलिस घाड़ में तारीख 10-5-69 को दर्ज कराई जो अन्तर्गत धारा 323 ता० हि० दर्ज की गई है। इसके पश्चात् तारीख 11 5-69 को श्री दुर्गालाल पुत्र श्री नारायण ब्राह्मण निवासी धुंवा कलां ने मुसम्मात प्रभात के इस उपरोक्त झगड़े में आई चोटों के मुआयने की मैडिकल रिपोर्ट डॉक्टर साहब नैनवां द्वारा जारी शुदा थाना नगर पर पेश की जिसमें मुसम्मात प्रभात के चार चोटें साधारण आल्हा धारदार से आना बतायी गयी थी। इस पर ता० 11-5-69 को थाना नगर पर मुकदमा नम्बर 11/69 अन्तर्गत धारा 324 ता० हि० कायम किया गया है।

(3) जी नहीं। थानेदार द्वारा कार्यवाही की गई। उन्होंने धारा 324 ता० हि० के अन्तर्गत मुकदमा हाजा कायम कर तफतीश की है और बाद तफतीश हालात तफतीश के अनुसार मुकदमा हाजा में फाईनल रिपोर्ट अदम वकुआ ता० 17-6-69 को इरसाल की है और डी. वाई. एस. पी., मालपुरा के पास भिजवाई है।

(4) स्थानीय थानेदार, नगर ने दूसरी पार्टी के लिखने पर यह कार्यवाही की है, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है और न ही इसकी कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि मुन्सिफ कोर्ट, टौंक में कोई प्रमाण पेश किया गया है।

(5) स्थानीय थानेदार, नगर मुलजिम पार्टी व उनके वकील से मिला हुआ है ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(6) इस मामले में स्थानीय थानेदार द्वारा केस नं० 11 धारा 324 ता० हि० तारीख 11-5-69 को दर्ज किया गया है। तफतीश की गई है और तफतीश के आधार पर नतीजा दिया गया है।

वेतन का भुगतान

127. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिन लेक्चरार्स की नियुक्ति माह अगस्त, 1968 में की गई या उसके बाद की गई थी उन्हें उनकी वेतन का भुगतान कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिन लेक्चरार्स को 7 जुलाई, 1969 को सेवा निवृत्त किया गया है तथा उन्हें माह जून व जुलाई, 1969 का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जहां तक राज्य सरकार को सूचना है ऐसे व्याख्याता जिनकी नियुक्ति अगस्त, 1968 में या उसके बाद की गई थी उन्हें उनके वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

ग्रीष्मावकाश के वेतन के भुगतान के विषय में राज्य सरकार द्वारा 16-7-69 को आदेश प्रचलित किये जा चुके हैं, तथा ऐसे अधिकारियों की सूची भी महा लेखाकार को निदेशालय द्वारा भेजी जा चुकी है जहां यह मामला विचाराधीन है।

(2) भाग (1) के उत्तर में इस भाग का भी उत्तर दिया जा चुका है।

अजमेर में श्री जनार्दन शर्मा वकील की पिटाई

130. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री जनार्दन शर्मा वकील की स्टेशन रोड (मार्टेंडिल ब्रिज) अजमेर पर बिजली के बन्द होते ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिटाई की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त वकील को जान से मारने की योजना थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश अजमेर के समक्ष जनसंघ का प्रतिनिधि मण्डल मिला था और उन्होंने उचित कार्यवाही अपराधियों के खिलाफ की ?

(4) क्या यह सत्य है कि जान से मारने की योजना श्री पुष्करनारायण (चेयरमैन) पुष्कर के द्वारा बनाई गई थी ? क्या यह भी सत्य है कि श्री पुष्करनारायण को राजस्थान के उपमन्त्री का आशीर्वाद है ?

(5) क्या यह सत्य है कि 7 वर्ष पूर्व पुष्कर शहर में भी डॉ. बाघ पर भी हमला हुआ था और गर्दन की तरफ रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी ?

(6) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त व्यक्ति ने पुष्कर में राजनैतिक एवं सामाजिक तनाव फैला रखा है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ. ऐसा पाया जाता है।

(3) जी हाँ। प्रतिनिधि मण्डल को जिलाधीश ने शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया था।

(4) जी नहीं।

(5) जी हाँ, सन् 1964 में मुकदमा नं० 45, दिनांक 12-1-64 धारा 325 ता. हि. आरक्षी केन्द्र, पुष्कर में श्री एम. एल. बाघ की तरफ से पंजीवद्ध हुआ था।

(6) ऐसी कोई सूचना स्थानीय पुलिस को उपलब्ध नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शाहबाद पंचायत समिति द्वारा विकास कार्यों के लिये दी गई धनराशि

157. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शाहबाद पंचायत समिति द्वारा अब तक विकास कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों को जो रुपया दिया गया वह किस किस ग्राम पंचायत को किस किस तारीख को किस किस कार्य के लिये दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को विकास कार्य के लिये जो रुपया दिया गया वह रुपया सही उपयोग में न लाकर उसका दुरुपयोग किया है ? क्या उसके सम्बन्ध में शिकायतों के आधार पर या अन्य आधार पर जांच हुई

(श्री देवीदत्त गाडिया)

है ? यदि हां, तो किस किस ग्राम पंचायत के सरपंच की तरफ कितना कितना रुपया बाकी है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सरपंचों द्वारा रकम के उपयोग न करने के बारे में कोई विशिष्ट जांच नहीं हुई है। अलबत्ता जिन सरपंचों ने कार्य पूर्ण नहीं किया है उनसे एक मुश्त वसूली की कार्यवाही पंचायत समिति द्वारा की जा रही है। बकाया की सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में दी हुई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों के विरुद्ध जांच

158. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला की अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम बड़ गांव बिजोरा एवं बड़वा के सरपंच ने गबन करवाया है ? यदि हां, तो किस किस सरपंच ने कितने कितने रुपयों का गबन कितने समय से कर रखा है सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इन सरपंचों के विरुद्ध विभागीय एवं उप-जिलाधीश, बारां तथा डी. वाई. एस. पी., बारां ने गबन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो किस किस सरपंच के विरुद्ध किस किस अधिकारी ने क्या क्या रिपोर्ट दी ?

(3) क्या यह सही है कि इन सरपंचों में से एक सरपंच ने सुरक्षा कोष के लिये एकत्रित किए गए धन को भी गबन किया है ? यदि हां, तो किस सरपंच ने गबन किया और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) पंचायत बड़गांव तथा बड़वा के सरपंचों के विरुद्ध गबन किये जाने के मामले सामने आए हैं। पंचायत बिजोरा के सरपंच के विरुद्ध कोई मामला नहीं है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

नाम सरपंच	नाम जांच अधिकारी	कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1. श्री जगन्नाथ सरपंच, बडगांव	1. प्रथम श्रेणी दण्डनायक, बारां एवं	1. प्रारम्भिक जांच इनसे कराई गई व रिपोर्ट 15-5-67 को प्राप्त हुई।

(पंचायत मन्त्री)

1	2	3
	उप-जिला विकास अधिकारी कोटा ।	(2) विस्तृत जांच उप जिला विकास अधिकारी से कराई गई जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 25-6-68 को प्राप्त हुई। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने सरपंच को दिनांक 19-3-69 को पद से पृथक कर दिया ।
2. श्री दयाराम सरपंच, बडवा	डी. वाई. एस. पी. बारां	अदम बकुआ बतलाया गया ।

(3) जी हां, श्री दयाराम सरपंच, बडवा ने गबन किया जिसकी विभागीय जांच उप जिलाधीश, बारां से करवाई जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

पंचायत समिति नोखा द्वारा कुओं का निर्माण

159. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, नोखा के अधीन गांवों में सिंचाई के लिए कितने कुओं का निर्माण किस किस गांव में किस किस व्यक्ति ने पंचायत समिति से कितने कितने रुपये लोन लेकर खुदाई कार्य सम्पूर्ण कर लिया है ? काश्तकारों के नाम व गांव की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई के लिए कुआ बनाने वाले काश्तकारों को लोन की धनराशि की मात्रा कम दी गई है ? यदि हां, तो क्या इस धनराशि को अधिक देने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऋण नियमों के अनुसार कृषि ऋण कुल लागत का 75 प्रतिशत या दस हजार तक दिया जा सकता है। पंचायत समिति द्वारा ऋण प्रार्थना-पत्रों को ध्यान में रखते हुए ऋण मन्जूर किया है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायतों का ऑडिट

160. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत का ऑडिट कब कब

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)
किया गया और किस पंचायत का हिसाब उपलब्ध नहीं हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) ऐसे कितने सरपंच हैं जिनके खिलाफ पंचायत की रकम अपने पास रखने का ऑडिट एतराज है और उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त रकम कितनी है और किस किस में है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) गत वर्ष पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायतों का ऑडिट 14-7-69 से 7-8-69 तक हुआ था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 16 पंचायतों के ऐसे सरपंच हैं। पंचायत कोष की राशि अपने पास रखने वाले सरपंचों से 12 प्रतिशत ब्याज दण्ड के रूप में वसूल करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिए)

पंचायत समिति केकड़ी के अध्यापकों का फिक्सेशन

161. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, केकड़ी में सन् 1961 में मास्टरों का फिक्सेशन करते समय ऑडिट पार्टी ने वेतन वृद्धि की तारीखें गलत दर्ज करदी थीं। अगर हां, तो किन किन अध्यापकों की वेतन वृद्धि की तारीखें गलत दर्ज कीं ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों द्वारा विकास अधिकारी, केकड़ी को वेतन वृद्धि की तारीखें सही कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दिए गये ? अगर हां, तो, उन पर क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि अध्यापकों की वेतन वृद्धि की तारीखें गलत इन्द्राज होने से आर्थिक हानि हुई है ?

(4) उक्त अध्यापकों की वेतन वृद्धि की तारीखों की कब तक दुरुस्ती कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं। वेतन स्थरीकरण नियमानुसार ही किया गया है वेतन स्थरीकरण के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा संशोधन आदेश जारी किये जाने के फलस्वरूप कुछ अध्यापकों के वेतन वृद्धि के दिनांक में परिवर्तन होगा। अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सम्बन्धित अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

(3) पूर्व में वेतन स्थरीकरण नियमानुसार किया गया था तथा अब राज्य सरकार के संशोधन आदेश के अनुसार पुनः स्थरीकरण कर दिया जायगा। अतः आर्थिक हानि का प्रश्न ही नहीं होता।

(पंचायत मन्त्री)
क्योंकि जो भी राशि देय होगी उसका भुगतान कर दिया जावेगा।

(4) वेतन स्थरीकरण के मामले शीघ्रातिशीघ्र निपटा दिये जायेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समिति केकड़ी के अध्यापकों के यात्रा भत्ते का भुगतान

162. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति केकड़ी में जिन अध्यापकों ने सन् 1968 में अल्प बचत योजना अभियान में सक्रिय भाग लिया था उनको यात्रा भत्ता अभी तक नहीं दिया गया? यदि हां, तो अध्यापकों का नाम व यात्रा भत्ता कितना देय है दर्शाते हुए सूची सदन में रखें यह भत्ता अब तक नहीं देने का क्या कारण है? कब तक चुका दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि कई अध्यापकों के मैडिकल बिलों का भी चुकारा काफी समय से नहीं किया जा रहा है? अगर हां, तो सूची सदन में रखें और पेन्डिग की तारीख भी दर्शावें उनके बिलों का चुकारा कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी अध्यापक का यात्रा व्यय भुगतान शेष नहीं है।

(2) पंचायत समिति की निजी आय में धनराशि न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। बकाया बिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। निजी आय में धनराशि उपलब्ध होने पर चुकारा कर दिया जायगा।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

खाद्य प्रदाय योजना

163. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि खाद्य प्रदाय योजना सन् 1963-64 में न लाभ न हानि के आधार पर चालू की थी? यदि हां, तो अब तक प्रति वर्ष कितने कितने रुपयों का क्रय-विक्रय किया गया और प्रति वर्ष लाभ व हानि क्या रही? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। खाद्य प्रदाय योजना सन् 1963-64 में न लाभ, न हानि के आधार पर चालू की गई थी।

प्रति वर्ष के क्रय-विक्रय के विवरण की सूची पताका "ब" पर तथा लाभ व हानि की सूची पताका "अ" पर उपलब्ध है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई है)

ग्राम पंचायत ढींगसरी के उप सरपंच के विरुद्ध मामले

164. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत ढींगसरी, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के उप-सरपंच के खिलाफ कौन कौन से मामले विभाग में कब कब से चल रहे हैं और उनमें आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या उनके खिलाफ गबन का मामला भी है ? यदि हां, तो अब तक पुलिस में नही सौंपने के क्या कारण हैं और अब कब तक पुलिस को सौंप दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) उपसरपंच के विरुद्ध दिनांक 15-1-68 तथा 28-5-68 से दो मामले क्रमशः समानान्तर पंचायत चलाने तथा अनियमित कार्य कर पद का दुरुपयोग करने सम्बन्धित चल रहे हैं। इनको राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत नोटिस तथा आरोप-पत्र दिया गया तथा उनके द्वारा आरोपों का खण्डन करने पर उप-जिलाधीश डीडवाना को विस्तृत जांच कराने का आदेश दिया गया है।

(2) जी नहीं। विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बीकानेर जिले में घास के डिपो

165. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितने घास के डिपो खोले गये हैं ? किस किस घास के डिपो पर कितना कितना क्विंटल घास, चारा पहुंच चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में घास व चारे का प्रबन्ध करने में राज्य सरकार ने पक्षपात व सौतेला व्यवहार करने का परिचय दिया है ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है कि बीकानेर जिले में घास का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कुल 42 चारे के डिपो खोले गये हैं। उन पर जितना चारा पहुंचाया गया उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। यह सत्य नहीं है। सरकार द्वारा घास व चारे का प्रबन्ध करने में कोई पक्षपात नहीं बरता गया है। सरकार द्वारा बीकानेर जिले में चारा भेजने का समुचित इन्तजाम किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर में चल रहे राहत कार्य

166. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर में अकाल राहत कैम्प पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये कितने चल रहे है ?

Page No 32

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(2) (1) नाम सड़क (2) नाम कैम्प (3) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि (4) मजदूर संख्या (5) मजदूरी के भुगतान की तिथि (6) अगर कोई मजदूरी में कटौती की गई हो, तो उसका प्रकार व मात्रा मय कारण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पी. डब्ल्यू. डी. के जरिये कोई अकाल राहत कैम्प नहीं चल रहा है। जोधपुर की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जिला, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों के लिये प्रश्न ही नहीं उठता। जिला, जोधपुर के लिये सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

पंचायत रानोली के सरपंच के विरुद्ध जांच

167. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि दिनांक 15-4-66 को उप-जिला विकास अधिकारी, सीकर ने सरपंच पंचायत, रानोली के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद, सरकारी रकम के रक्षा कोष के धन का दुरुपयोग आदि आरोपों के सम्बन्ध में जांच कर अपना प्रतिवेदन उप-विकास आयुक्त, जयपुर को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो रानोली पंचायत के सरपंच द्वारा की गई कार्यवाही को रोकने एवं उसे उचित दण्ड देने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने जिलाधीश, सीकर को यह निर्देश दिया कि सरपंच के विरुद्ध बकाया राशि दण्डनीय ब्याज सहित वसूल की जावे।

अध्यापकों का फिक्सेशन

168 श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1961 की रिवाइज्ड पे स्केल में अध्यापकों की 100) रुपये की रोक को हटा दिया था ? अगर हां, तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन्टर अनट्रेण्ड ग्रेड के अध्यापकों को जो उस समय 100) रुपये पर फिक्स किये थे और 100) रुपये पर एक वर्ष के लिए रोक दिए गए थे की रोक भी हटा दी गई थी ? अगर हां, तो उस आदेश की प्रति भी सदन की मेज रखें।

(3) क्या यह सही है कि सन् 1961 से पहले बी० एस० टी० सी० ट्रेण्ड और इन्टर अन-ट्रेण्ड ग्रेड में रन कर रहे अध्यापकों को सरकार ट्रेनिंग का फायदा (दो इन्क्रीमेन्ट) देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक, अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुनरीक्षित वेतन मान, 1961 के वेतन मान संख्या 8 में 1-9-1961 को

(शिक्षा मंत्री)

कार्य कर रहे वर्तमान अध्यापक जिनका पूर्व वेतन 71) रुपये से कम था, को पुनरीक्षित वेतन मान 1961 में फिक्स करने के पश्चात् 100) रुपये की स्टेज पर पहुंचने पर द्वितीय वार्षिकी तक रुकना पड़ता है। पुनरीक्षित वेतन मान 1961 के शिड्यूल 4 निर्देश संख्या 3 में उपर्युक्त के लिये प्रावधान किया हुआ है। उस निर्देश संख्या 3 के नीचे वित्त विभाग से आदेश संख्या एफ. 2 (बी.) (ii) एस सी० (ई-आर) 1965, दिनांक 26-8-67 में निम्न टिप्पणी दी गई है।

"This restriction is applicable to persons whose pay is fixed as per instruction No. 4-A below Scale No. 8 schedule III".

वित्त विभाग के विज्ञापन संख्या एफ० 2 (बी.) (ii) एफ० डी० (ई-आर) 65, दिनांक 14-8-69 से 4-ए के स्थान पर "8" जैसा कि नीचे दिया जाता है संशोधन किया गया।

"(1) The figure '4-A' appearing in line 2 of Finance Department Notification No. F. 2 (b) (ii) FD (ER) 65, dated 26-8-67 shall be substituted by the figure '8' and deemed to have been substituted with effect form 1-9-61.

यह नियम 8 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ० 2 (बी.) (12) एफ० डी० (ई-आर) 65-2, दिनांक 7-10-67 तथा संख्या एफ० 2 (बी.) (12) एफ० डी० (ई-आर) 65-2, दिनांक 9-9-68 में समाविष्ट एवं संशोधित हुआ है।

इस संशोधन से केवल उच्च आरम्भिक वेतन अथवा दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर यह रोक लागू नहीं है। अन्य व्यक्तियों पर यह रोक पूर्ववत् लागू है।

(2) जिन इन्टर अनट्रेण्ड अध्यापकों को 100) रुपये पर फिक्स किया गया है उन पर यह रोक लागू है।

(3) यह प्रश्न वित्त विभाग द्वारा विचार करने योग्य है। विभाग की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ की मांगों में भी इन बिन्दुओं का समावेश था परन्तु इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

महिला शिक्षा सदन हटुन्डी की सेवा मुक्त अध्यापिकाएं

169. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महिला शिक्षा सदन, हटुन्डी की सीनियर अध्यापिकाओं को सेवा मुक्त किया गया है ? यदि हां तो किन किन को ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा सदन में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि महिला शिक्षा सदन हटुन्डी की उच्च माध्यमिक कक्षाओं को

(शिक्षा मंत्री)
जुलाई 69 से बन्द कर देने के कारण कुछ अध्यापिकाओं को सेवा से मुक्त किया गया है। महिला शिक्षा सदन की निम्न अध्यापिकाओं को सेवा से मुक्त किया गया है। उनमें से दो के मामले न्यायालय में भी विचाराधीन हैं:—

1. सुश्री इ. लाल प्रधानाध्यापिका।
2. श्रीमती सरला कक्कड़ व. अ.
3. श्रीमती विमला जैन स. अ.

(2) अनुदान नियम 63 के अनुसार अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था में कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने से पूर्व विभागीय अनुमोदन प्राप्त करने का प्रावधान है। महिला शिक्षा सदन द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त न करना अवश्य ही अनियमित है। जिस पर कि विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

जे. बी. हायर सैकेन्डरी स्कूल लाडनूं का भवन

170. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जे.बी. हायर सैकेन्डरी स्कूल लाडनूं ने भवन किराये पर लिया है? यदि हां, तो कब से कब तक कितने किराये में तथा किससे? किरायेनामे की रजिस्टर्ड प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त किराये पर लिये गये भवन का नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकन (वैल्यूएशन) करवाया गया था?

(3) अब तक उक्त स्कूल ने कितना किराया किस किस को दिया और उसमें से सरकारी अनुदान कितना प्राप्त किया?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1957 से 220) रु. प्रति माह पर सन् 1963 से 350) रु० प्रति माह पर ओसवाल सभा से।

प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) अब तक कुल रकम 51,182) का भुगतान ओसवाल सभा को किया गया है। इस पर राज्य सरकार से 36,918) रु० अनुदान दिया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

जौहरी मल्टीपरपज हायर सैकेन्डरी स्कूल, लाडनूं

171. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जौहरी मल्टीपरपज हायर सेकेंडरी स्कूल, लाडनूं को सरकार ने अधिग्रहण किया था? यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर?

(2) क्या उक्त शर्तों को स्कूल के पूर्व संचालकों ने नहीं माना? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या उक्त स्कूल का नाम बदलने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब से और उक्त विचार को कार्य रूप में नहीं लाने का क्या कारण है?

(4) भविष्य में उक्त स्कूल के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

(1) जी हां, जुलाई, 66 में इस स्कूल को अधिग्रहण किया गया था। शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) संस्था के पूर्व संचालकों एवं राज्य सरकार के बीच एग्रीमेंट अभी तक एक्जीक्यूट नहीं हुआ है जिसके लिए संस्था को निदेशालय (प्रा० व मा०) शिक्षा, बीकानेर व जिलाधीश नागौर द्वारा इसकी पूर्ति हेतु बार बार लिखा भी जा चुका है।

(3) जी हां। इसके लिए निदेशक (प्रा० व मा०) शिक्षा बीकानेर को लिखा जा चुका है।

(4) जब तक विधिवत् एग्रीमेन्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है तथा लेखा जोखा का हिसाब तैयार नहीं होता है तब तक राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल के नाम से चलता रहेगा।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां

172. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समस्त सहायता प्राप्त पाठशालाओं में अध्यापक व अध्यापिकाओं को सेवा में लेते समय राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को सूची भेजी जाती है? यदि हां, तो अजमेर नगर में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं?

(2) क्या यह सत्य है कि सरस्वती बालिका विद्यालय में तीस अध्यापिकाएं सेवा में हैं?

(3) क्या मेनेजमेंट द्वारा 37 की जो संख्या बताई गई थी, वह सही नहीं थी?

(4) यदि हां, तो मैनेजमैंट के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक-अध्यापिकाओं की नियुक्ति मेनेजमैंट की चयन समिति द्वारा की जाती है एवं चयन किए गये आशार्थियों की मेरिट लिस्ट बनाली जाती है। इस मैरिट लिस्ट के अनुसार ही अध्यापक-अध्यापिकाओं की नियुक्ति संस्था के मेनेजमैंट द्वारा की जाती हैं एवं कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने के पश्चात् मेनेजमैंट द्वारा नियुक्ति की स्वीकृति हेतु मामला विभाग को भेजा जाता है।

(2) सरस्वती बालिका विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित शिक्षण शालाओं में माह दिसम्बर, 69 में निम्न प्रकार अध्यापिकाएं कार्यरत हैं:—

सरस्वती बालिका विद्यालय उच्च माध्यमिक शाला, अजमेर। 33

Page No 36

(शिक्षा मंत्री)

सरस्वती बालिका विद्यालय प्राथमिक शाला, अजमेर 17

सरस्वती बाल निकेतन, अजमेर 12

(3) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रबन्ध समिति ने अध्यापिकाओं की संख्या का उल्लेख किस स्थान पर किया है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

नर्सिंग ट्यूटर को विशेष वेतन

173. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि 1-9-1961 के नये वेतन मान लागू होने पर नर्सिंग ट्यूटर को 50/-रुपये विशेष वेतन देने का प्रावधान उस समय तक के लिये रखा गया था जब तक कि इस वर्ग के वेतन मान अलग श्रेणी में निर्धारित न करदें ?

(2) क्या 1-4-1966 के वेतन मान में भी यही सिद्धान्त स्वीकार करते हुये प्रशिक्षकों का विशेष वेतन कायम रखा गया था ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह विशेष वेतन हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? जब कि सरकार दो बार विशेष वेतन का औचित्य स्वीकार कर चुकी है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डाक्टरों का सिलेक्शन

174. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी मु.) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1954 में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डाक्टरों के सिलेक्शन के लिए छः लिस्टें निकाली थीं ?

(2) क्या यह सही है कि इसमें से पांच लिस्टें तो कन्फर्म करली गईं और एक लिस्ट रोक ली गई ?

(3) एक लिस्ट रोकने का क्या कारण था ?

(4) क्या रोकी गई लिस्ट में सब क्लास फर्स्ट व स्टेट नामजद डाक्टर थे ?

(5) क्या जो पांच लिस्टें कन्फर्म की गईं उन में क्लास टू डाक्टर भी थे ?

(6) क्या यह सही है कि रोकी गई लिस्ट सन् 1956 में कन्फर्म की गई ?

(7) क्या प्रश्न के भाग (5) में वर्णित डाक्टर क्लास टू होते हुए भी सन् 56 वालों से सीनियर हो गए हैं ?

(8) क्या यह सही है कि रोकी गई लिस्ट के डाक्टर्स क्लॉस फर्स्ट होते हुए भी प्रश्न के भाग (5) के डाक्टरों से जूनियर रह गए ?

(9) क्या सरकार इन लोगों को सीनियरिटी में समान करने का विचार रखती है जबकि ये सब डाक्टर्स क्लास फर्स्ट हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्टॉफ नर्स व मेल नर्स ग्रेड III के पदों पर नियुक्ति

175. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार राणावत वेतन आयोग प्रतिवेदन में प्रतिपादित लिंग भेद व समान काम के लिये समान वेतन के सिद्धान्त से सहमत है ?

(2) अगर हां, तो क्या छात्रा को आर. एन. सी. पास करने पर स्टॉफ नर्स व छात्र को आर. एन. सी. पास करने पर मेल नर्स ग्रेड III पर नियुक्त किया जाना संविधान व वेतन आयोग प्रतिवेदन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है ?

(3) अगर हां, तो क्या सरकार इस पर विचार करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । आंशिक रूप से ।

(2) जी नहीं क्योंकि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त छात्र एवं छात्रा को क्रमश: मेल नर्स श्रेणी III व स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त करने का कारण यह है कि इन दोनों के प्रशिक्षण काल व प्रशिक्षण में अन्तर है । छात्र के लिए जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण का समय 3 वर्ष का है जबकि छात्रा के लिए इसका समय 3½ वर्ष का है । छात्रा को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त छात्रा को 6 माह का मिडवाईफरी प्रशिक्षण और प्राप्त करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त छात्र को केवल जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण का एक ही सर्टीफिकेट मिलता है; जबकि छात्रा को जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी के अलग 2 दो सर्टीफिकेट दिये जाते हैं ।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

कृषि विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

176. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के गठन के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों की किस किस श्रेणी की कब कब वरिष्ठता सूचियां बनाई गई ?

(2) क्या राजस्थान के गठन के बाद कृषि विभाग के सबोर्डिनेट सर्विस के पौध संरक्षण शाखा, मारकेटिंग शाखा व प्रचार शाखा की सम्मिलित वरिष्ठता सूची बनाई गई ? यदि हां, तो कब व उसमें कब कब संशोधन किन किन कारणों से किये गये ?

उत्तर

(1) राजस्थान के गठन के बाद कृषि विभाग के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जिन जिन तिथियों को प्रसारित की गयीं उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) जी हां, सबोर्डिनेट सर्विस की पौध संरक्षण शाखा, मारकेटिंग शाखा व प्रसार शाखा की सम्मिलित वरिष्ठता सूचियां दिनांक 28-5-67, 30-5-67 और

(कृषि मन्त्री)

20-6-67 को बनाई गई और उनमें जो वास्तविक त्रुटियां पायी गयीं उनका सुधार किया गया। अभी तक अन्तिम वरिष्ठता सूचि घोषित नहीं की गयी है क्योंकि वरिष्ठता नियमों के सम्बन्ध में कृषि निदेशक ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण चाहा है। यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

फील्डमैन, फार्म मैनेजर, कृषि सहायक, कृषि प्रसार अधिकारी एवं अन्वेषकों को वरिष्ठता सूची

177. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि विभाग में फील्डमैन, फार्म मैनेजर, कृषि सहायक, कृषि प्रसार अधिकारी, अन्वेषकों की वरिष्ठता की सूची 1-4-50 से तैयार की है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या कर्मचारियों को वरिष्ठता के अनुसार तरक्की दी गई है ? यदि हां, तो क्या श्री मिट्ठूलाल सांकला, जो चित्तौड़ में विकास अधिकारी हैं, और वह वरिष्ठता सूची में जूनियर हैं, उन्हें किस आधार पर पदोन्नत किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ पदों के सम्बन्ध में अस्थाई वरिष्ठता सूचियां तैयार की गई हैं, जिन्हें अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। इस प्रकार के जूनियर व्यक्ति जो क्षेत्रपाल से पदोन्नति पाकर कृषि सहायक / कृषिप्रसार अधिकारी बने थे उनमें से विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नत न किये जाने का नियम नहीं था। परन्तु नये नियमों के अनुसार क्या ऐसे व्यक्ति विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

फियेट कार का एलॉटमेन्ट

178. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फियेट कार एलॉटमेन्ट के नियम और शर्तें क्या हैं ?

(2) सन 1963-64 से अब तक राजस्थान विधान सभा के किन किन सदस्यों मंत्रियों व उपमंत्रियों को फियेट कार एलॉट की गई और क्या इसी अवधि में उनमें से किन्हीं को दुबारा फियेट कार ऐलॉट की गई और उसके क्या कारण थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त व्यक्तियों को कार के अलावा स्कूटर भी दिये गये ? उसकी सूची, नाम व तारीख सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवंटन समिति द्वारा किया जाता है।

(यातायात मन्त्री)

(2) सूचियां संलग्न हैं ।

दुबारा जिन सदस्यों, मंत्रियों एवं उप-मंत्रियों को प्रियेट कार आवंटन की गई तो उसके कारण यह थे कि या तो उनकी कार में मैकेनिकल डिफेक्ट की रिपोर्ट थी या उनके अलॉटमेंट को बाद काफी समय बीत चुका था ।

(3) सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

झालावाड़ से पाटन तक यातायात की व्यवस्था

179. श्री विट्ठलप्रसाद (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ से पाटन एवं पाटन से झालावाड़ तक अनेक व्यक्ति नित्यप्रति तांगा, साईकिल, बसेज एवं अन्य सवारियों से आते जाते हैं ?

(2) झालावाड़ से पाटन तक ओटो रिक्शा परमिट देने में राज्य सरकार को क्या हानि है ?

(3) क्या यह सत्य है कि यातायात विभाग ने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चाहे उसकी दूरी दो मील ही हो 40 पैसे से कम टिकिट चार्ज न करने का कोई आदेश दिया हुआ है ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि आम तौर पर मोटर वाले पाटन से झालावाड़ एवं झालावाड़ से पाटन की सवारियों को नहीं लेते हैं, यदि कोई ले भी लेवे तो उन्हें खड़े खड़े आना जाना पड़ता है और कन्डेक्टर की खुशामद आदि अलग करनी पड़ती है ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) झालावाड़-पाटन, कोटा-झालावाड़-पाटन-इकलेरा राष्ट्रीयकृत मार्ग का चार मील का पोर्शन है—सन् 64 से इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो जाने से कोई वाहन (बस, टैम्पो, टैक्सी, ऑटोरिक्शा) का परमिट नहीं दिया जा सकता—क्योंकि राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट डवलपमैन्ट रूल्स में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अथवा हिस्से पर अन्य को परमिट नहीं दिये जा सकते ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । इस मार्ग पर 50 बसें आती हैं । एवं 50 ही जाती हैं झालावाड़ से पाटन जाने वाली एवं पाटन से झालावाड़ आने वाली सब ही सवारियों को ये बसें उठाती हैं इसके उपरान्त भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो जांच करवाली जावेगी ।

कोटा-नीमोदा-मुलतानपुर मार्ग की बसें

180. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा-नीमोदा-मुलतानपुर मार्ग पर कितनी बसें कब कब चलती हैं ?

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

(2) क्या यह सत्य है कि ये बस नीमोदा न आकर सीधी सुलतानपुर जाती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

(1) कोटा-नीमोदा-सुलतानपुर कोई स्वीकृत मार्ग नहीं है। स्वीकृत मार्ग कोटा-बूढ़ातीत एवं कोटा-बड़ोद हैं जिन पर नीमोदा एवं सुलतानपुर गांव पड़ते हैं। उक्त मार्गों पर चलने वाली बसों की संख्या 3 हैं जिसकी सूची एवं समय-सरिणी सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(2) इस वक्त तीनों बसें नीमोदा होकर जा रही हैं। दो बसें की फ्रंक टूटने से व बरसात से नीमोदा का मार्ग अवरुद्ध होने से कुछ समय तक बस मालिकों ने नीमोदा जाना बन्द कर दिया था। इस पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने तीनों बस मालिकों पर 101/- रुपया प्रति बस जुर्माना किया।

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कोटा द्वारा दिनांक 27-2-70 को कोटा-बड़ोद वाया-सुलतानपुर-मंडावरा-नीमोदा बड़ोद मार्ग पर एक बस परमिट और दिया है ताकि बस सर्विस बराबर चलती रहें।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

डीडवाना गोलीकाण्ड की जांच

181. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा डीडवाना जिला नागौर में हुए गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो कब ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट में किन किन अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त जांच रिपोर्ट को सरकार ने कहां तक स्वीकार किया है ?

उत्तर

(1) जी हां, न्यायिक जांच के आदेश दिनांक 25-4-66 को जारी हुए थे। जांच रिपोर्ट की प्रति पिछले विधान सभा सत्र में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जांच के आधार पर जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी पाया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उप-जिलाधीश, सर्किल ऑफिसर, एस. एच. ओ. व कानिस्टेबिल श्री दीपसिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। कानिस्टेबिल श्री मोहनसिंह के खिलाफ मामला अदालत में चल रहा है। इसलिये उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की हुई है।

(3) इस प्रश्न का उत्तर भाग दो के उत्तर में आगया है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

जयपुर शहर में धोखादेही के मामले

182. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) । क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1969 में जयपुर शहर में कितने धोखादेही (420) के मामले हुए ?

(2) क्या यह सच है कि जयपुर में धोखादेही करने वालों का कोई गिरोह सक्रिय है ? यदि हां, तो पुलिस इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) सन् 1969 में जयपुर शहर में 69 धोखादेही (420) के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 6 अदम बकू, 12 अदम पता, व 1 अदम सबूत व 24 जेर तफतीश है । कुल 26 केसेज का चालान किया गया, जिनमें से 1 में सजा, 2 में राजीनामा व 23 न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

(2) जी नहीं, जयपुर शहर में इस किस्म (धोखादेही) की वारदात करने वाला कोई गिरोह सक्रिय नहीं है ।

नोखा मण्डी से ग्राम रोड़ा तक सड़क निर्माण कार्य

183. श्री मन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील हैड क्वार्टर नोखा मण्डी से ग्राम रोड़ा जो करीब दो माइल की कंकरीट रोड है, को डामर करवाने का आदेश राज्य सरकार ने पहिले दे दिया था ? यदि हां, तो इस रोड पर ग्रांज तक डामर क्यों नहीं करवाया गया ?

(2) क्या राज्य सरकार उपरोक्त रोड पर शीघ्र डामर करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नोखा मण्डी से ग्राम रोड़ा तक 2 मील लंबी ग्रेवल रोड है। सहायती कार्यों में सुधार एवम् अपग्रेडिंग की स्वीकृति 27-2-70 को दी गई थी ।

(2) डामर कराने की स्वीकृति अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत 27-2-70 को दी जा चुकी है । कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

ग्राम कातर से ग्राम लालगढ़ सड़क पर कार्य

184. श्री मन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ग्राम कातर तहसील सुजानगढ़ से ग्राम लालगढ़ व नागौर को जाने वाली सड़क की मरम्मत व डामर करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क के टूट जाने से यातायात की अधिक दुविधा पैदा हो चुकी है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करवाने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) कातर लालगढ़ नागौर रोड़ के 4 मील में डामर हो चुका है । बाकी मीलों में

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
विशेष मरम्मत व डामर की अभी कोई योजना नहीं है।

(2) सड़क की दशा साधारण है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें दिनांक 8 मार्च, 1970 को विद्युत सब-स्टेशन रींगस (नीम-का-थाना) का एक हजार की क्षमता का ट्रान्सफोरमर जल जाने से उस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बन्द हो जाने के कारण फसल को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री मेघराज पंवार श्री रामसिंह कुड़ी, श्री भैरोंसिंह व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि चूरू में दिनांक 12 मार्च, 1970 को सत्याग्रहियों पर जिला कार्यालय के आहते में घुसते ही पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिसके कारण सत्याग्रही घायल हो गये। इसमें यह भी कहा गया है कि चूरू के सत्याग्रही दौसा व सांभर जेलों में हैं और वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दौलतराम सारण व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया तथा श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें उन्होंने राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के कारण उक्त कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

उपरोक्त तीनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त जो और स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं:—

श्री बीरबल व श्री हंसराज आर्य, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर जिले की सांगरियां तहसील व भटीला तहसील के अधिकांश गांवों में दिनांक 9 मार्च, 1970 को ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जा चुका है तथा इसको बजट व सम्बन्धित मांग पर बहस के दौरान भी उठाया जा सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने चित्तौड़ तथा बेगूं तहसीलों में कई लोगों को मनमाने ढंग से जमीन अलॉट करने तथा मांडलगढ में जंगलात के बीड़ की जमीन को नाजायज तौर पर दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

बीकानेर म्युनिसिपेलिटी कर्मचारी संघ की ओर से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा जिस स्थगन प्रस्ताव की सुचना दी गई थी उसके उत्तर में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह कहा गया है कि कर्मचारियों की माँगों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है तथा उनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको नगर-परिषद् की आर्थिक स्थिति को देखते हुए माना जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मंत्री महोदय से स्टेटमेंट तो दिलायें।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्रीरामानन्द अग्रवाल : बीकानेर में म्यूनिसिपल कर्मचारियों के बारे में कहा है उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय से स्टेटमेंट तो दिला दिया जाय। क्योंकि वहां की म्यूनिसिपेलिटी द्वारा एग्रीमेंट किया गया है उसको इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि विवादग्रस्त मामले इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को पेश कर दिये जायें और जो एग्रीमेंट किया हुआ है, उसको इम्पलीमेंट किया जाय इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय से स्टेटमेंट दिलाया जाय ताकि सही स्थिति मालूम हो सके। जो म्यूनिसिपेलिटी की तरफ से आश्वासन दिया गया है उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो तो हड़ताल की स्थिति वहां अनिवार्य है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : झालावाड़ में पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया गया, घरों में घुस घुस कर विद्यार्थियों को घसीट घसीट कर निकाला गया, वहां पर महिलाओं के साथ घर में घुस घुस कर पुलिस वालों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य ऑर्डर, ऑर्डर,।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय कॉलेज बार बार बन्द कर दिया जाने के कारण......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर......

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इस सम्बन्ध से स्टेटमेंट दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से बात कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय को जानकारी तो सब कुछ है। अगर वक्तव्य आज दिला दें तो अच्छा होगा।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : भैरोंसिंह शेखावत, (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) राजकीय उपक्रमों के सम्बन्ध में जन लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

Page No 44

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर कृषि मंत्री जी आज वक्तव्य दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (सभापति राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रमों के सम्बन्ध में जन लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी। राजस्थान बालक विधेयक, 1969 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री विजयसिंह । वे हैं ही नहीं।

श्री शिवनाथसिंह (सदस्य प्रवर समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बालक विधेयक, 1969 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापन करता हूं।

आय व्ययक पर प्रश्नोत्तर सामान्य वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक पर विचार।

साम्यवादी पार्टी के लिये समय अभी तक पार्टी के प्रोपोशन को देखते हुए अत्यधिक दिया जाता रहा है, इसलिये में समाजवादी पार्टी के लिये अब अधिक से अधिक 40 मिनट का समय दे सकूंगा।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी से मिलने का मुआवजा दिया जा रहा है क्या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक पार्टी के एक मेम्बर हैं, उनको 40 मिनिट दे रहे हैं, बी. के डी. के इतने मेम्बर हैं, जनसंघ के इतने मेम्बर हैं, इस प्रोपोशन से इनको भी समय दिया जाना चाहिये। स्वतन्त्र पार्टी जिसके 28 सदस्य हैं, तो आपके इस हिसाब से, इसी प्रोपोशन से हर पार्टी के मेम्बरों को मौका दिया जायगा एवं समय दिया जायगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है कि जो बहुत ज्यादा हैं उनको थोड़ा और जो कम हैं उनको अधिक—यह समाजवाद है।

कई माननीय सदस्य : वाह ! वाह !

श्री अध्यक्ष : उस हिसाब से दस पन्द्रह मिनिट आते हैं लेकिन डेढ़ घन्टे से ज्यादा समय लिया जाता रहा है, उससे चालीस मिनिट तक लाया हूं। मेरे ख्याल में उस प्रोपोंशन में यह ठीक है।

माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय प्रगतिशील हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राज्य सरकार की ओर से यह बजट प्रस्तुत किया गया है, जिस पृष्ठभूमि में कांग्रेस का विभाजन होकर बम्बई में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास किए और देश की

Page No 45

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनता के सामने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि पिछले बाईस वर्षों में जिस प्रकार की नीतियों से कांग्रेस अपना प्रशासन चलाती रही है उससे आर्थिक विषमता अधिकाधिक बढ़ी है, उससे इन गरीबों की स्थिति ज्यादा खराब हुई है और कुछ साधन सम्पन्न लोगों के हाथों में देश की सारी सम्पत्ति, देश के सारे आर्थिक साधन अधिकाधिक इकट्ठे हो गये हैं। खुद कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपनी कमजोरी को, अपने शासन चलाने की नीति का खुद उन्होंने अपने जुर्म को इकबाल किया, और आगे इस गलती को दुरुस्त करने का संकल्प किया है, आगे के लिए नई नीति निर्धारित करने की घोषणाएं कीं। जिससे इस प्रकार की जो यह विषमता गरीब और अमीर के बीच में पैदा हुई है, जिस प्रकार से कुछ लोगों के हाथ में सारी पैदावार के साधन इकट्ठे होते जा रहे हैं, सारी आमदनी के साधन इकट्ठे होते जा रहे है, उनमें कमी की जायगी—इस प्रकार की जो घोषणायें की हैं जिससे की गांवों के अन्दर रहने वाले जो खेतीहर मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, दस्तकार हैं या छोटे कर्मचारी शहरों में हैं, या जो अल्प आय के लोग हैं उनको अधिकाधिक साधन उपलब्ध कराये जायेंगे, रियायत दी जायेंगी, और जो साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं उनको ·····

(6.53 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्य के विकास में ज्यादा से ज्यादा मदद देने के लिये मजबूर किया जायगा। इस प्रकार की घोषणायें बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में हुईं। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह आशा करते थे कि इस बार जो राज्य सरकार बजट पेश करेगी उसमें इन नई घोषणाओं का सूत्रपात होगा। हम यह आशा करते थे, राज्य सरकार पिछले बाईस वर्षों से जिस प्रकार के बजट पेश करती आई है उस पुरानी धारा को छोड़कर नई धारा को इसमें शुरू किया जायगा। इस दृष्टिकोण से, उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इस बजट को देखें तो हमें भारी निराशा हुई है। यह बजट अपनी उसी पुरानी दिशा को लिये हुए है और इसमें कोई नई दिशा नहीं है। इस बात के होते हुये भी, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं जरूर स्वीकार करूंगा कि घोषणाओं के रूप में दो महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा इस बजट के भाषण में वित्त मन्त्री ने राज्य सरकार की की है—पहला तो भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने का संकेत सरकार ने घोषित किया है, और कानून के जरिये या दूसरे प्रशासनिक कदम के जरिये, जो भी कदम जायज होंगे उनके जरिये अभी तक जो उन्हें विशेषाधिकार किसी प्रकार के प्राप्त हैं, उनको समाप्त किया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी प्राप्त होते ही, आज से बाईस वर्ष पहले, जब कि देश की जनता के हाथ में अंग्रेज और राजाओं के हाथ से सत्ता निकल कर आई—उस समय ही यह घोषणा की जानी चाहिये थी, किन्तु देर आयद दुरुस्त आयद, यह बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा अब यहां की गई है। इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करूंगा, यह घोषणा घोषणा नहीं रह जायगी और शीघ्रातिशीघ्र इसी बजट अधिवेशन में, मैं आशा करूंगा, कुछ प्रशासनिक कदम, जिन प्रशासनिक कदमों के जरिये इनको खत्म किया जा सकता है, फौरन उठाये जायेंगे और उसके लिये कानून की आवश्यकता हो,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिस कानून का संकेत है कि बिल लाया जा रहा है, वह इसी अधिवेशन में पेश हो जायेगा।

दूसरी घोषणा जो राज्य सरकार ने की है, उपाध्यक्ष महोदय, वह है, संविधान में सम्पत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हैं-उनमें निकालने के सम्बन्ध में जिस संशोधन की चर्चा है, उस संशोधन का समर्थन करने की राज्य सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा की है। उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी फैसला हुआ और उस फैसले में जिस प्रकार से संविधान के मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। उस व्याख्या से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जब तक इन मौलिक अधिकारों, सम्पत्ति के अधिकारों को निकाला नहीं जायेगा तब तक कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन करना बिल्कुल लगभग असम्भव होगा क्योंकि उस फैसले के अनुसार यदि कोई भी नेशनलाइजेशन किया जाय तो उसके लिए जो मुआवजे की बात कही गई है, जो नकद मुआवजा दिया जायेगा, आगे सम्भावना जिस प्रोफिट की है उसको ध्यान में रखा जायेगा, मार्केट वेल्यू की बात है—सारी बातों के अन्दर डिस्क्रिमिनेशन की बात इस प्रकार से कही गई है जिससे या तो राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं होगा और राष्ट्रीयकरण यदि हो तो उससे सामाजिक न्याय मिल नहीं सकता, और जिस गरीब और अमीर के बीच की विषमता को खत्म करना चाहते हैं वह खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए वह चाहे केन्द्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो—कोई इस प्रकार का सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए कदम उठायेगी, उसके अन्दर हमारा संविधान, सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के अनुसार, एक बाधा उपस्थित करता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूं कि यह नितान्त आवश्यक हो गया है, जैसा केन्द्र में पालियामेन्ट में नाथ पै का बिल है, जिसमें संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद् को हो—इस प्रकार का अपने संविधान से संशोधन करना और दूसरे उन मौलिक अधिकारों में संशोधन करके सम्पत्ति के अधिकारों को उस अध्याय से निकालना—यह नितान्त आवश्यक हो गया है ताकि हम देश में जो सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं—उस दिशा में आगे बढ़ सकें। इस बारे में राज्य सरकार ने जो घोषणा की है-उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं, इस सदन में न केवल राज्य सरकार बल्कि पूरे सदन की ओर से इस प्रकार का एक प्रस्ताव, एक संकल्प स्वीकार करके भेजेंगे और संसद् से यह अनुरोध करेंगे कि वह संविधान में इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह नितान्त आवश्यक है नया परिवर्तन लाने के लिए। इसके अतिरिक्त भी, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कदम हैं जिनके लिए मैं समझता हूं कि यह सही दिशा के अन्दर कदम उठाये गये हैं। मिसाल के तौर पर जो घोषणायें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए कर्ज के बारे में और ब्याज के चुकारे के लिए अनुदान के रूप में राज्य सरकार ने देने की, या उन जातियों के जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको एक वर्ष तक एम्प्लायमेंट नहीं मिले, नौकरी न मिल सके तो उनको वजीफा देने की घोषणा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की है, या काश्तकारों के लिए कुछ सुविधायें देने की घोषणा की है—मैं मानता हूं कि अपने आप में परिवर्तन जितना बड़ा चाहिए उतना वह नहीं है, बहुत छोटी रियायत है—फिर भी रियायत सही दिशा में है। इस लिए मैं इन्हें उचित दिशा में समझता हूं। इस प्रकार से जो बेरोजगार इन्जीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं – उनको बड़ी तेजी के साथ रोजगार देने के लिए कोई परिवर्तन हो-ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास होगा उसके अनुसार एम्प्लायमेंट के प्रत्याशी नौजवान सरप्लस हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, नये नियोजन के अनुसार उस शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है ...

(1 म.प.)

राज्य सरकार ने उनके प्रशिक्षणकाल के लिये जो वजीफे की व्यवस्था की है वह भी सही दिशा में कदम है। हालांकि वह उस समस्या का पूरा हल नहीं है। पर फिर भी उस दिशा की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है और सोचने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि जो नौजवानों में तीव्र आन्दोलन और असन्तोष है उसको सरकार ने कुछ समझने की कोशिश की है।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, जो पेन्शनें अपंग और वृद्ध लोगों के लिये 20 से 30 रुपया सरकारी कर्मचारियों के लिये 30 रुपये से 40 रुपये की वृद्धि की है, मैं समझता हूं यह पहले हो जाना चाहिये था। हर साल मैं इसकी मांग करता रहा हूं। यह भी ठीक दिशा में कदम है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, और भी इसमें गुंजाइश है, और भी साधन उनको दिये जावें, और भी सुविधाएं बढ़ाई जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से कमर्शियल क्राप्स के ऊपर जो सेस लगाई जाती है उसको वापिस लेने की घोषणा की है। गंगानगर किसान आन्दोलन में यह भी एक मांग है। यह कदम सरकार ने वापिस लिया है। यह तो स्वागत योग्य है। लेकिन जो सरकार ने इसके साथ सिंचाई की दरों में संशोधन की बात की है, मैं कहना चाहूंगा कि गंगानगर किसान आन्दोलनकारियों में से कोई उससे सन्तुष्ट होने वाला नहीं है। गंगानगर के किसान की तो लगभग वही हालत हुई है कि नमाज छोड़ने गया था परन्तु रोज़े गले पड़ गये। वहां कमर्शियल सेस हटाकर इरिगेशन की रेट बढा दी गई। वह दरअसल इन्टीग्रेट करके कमर्शियल टैक्स के उतनी ही बढा दी। 16 का 22 कर दिया गन्ने का। और यहां पर वह लगाते नहीं थे उन पर भी बढोतरी कर दी। गन्ने पर कर दी। गेहूं पर कर दी। जौ पर कर दी। इस तरह से अनाज की फसलों पर आपने बढोतरी कर दी। तो यह उल्टा आप इस आन्दोलन को पैनेलाइज करने की कोशिश करें यह समस्या का हल करने की कोशिश नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा): आपकी पार्टी ने विश्वासघात किया, उसका फल है यह।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सही तरीके से उसका हल अगर नहीं होगा तो आन्दोलन चलेगा, फिर चलेगा और जब तक सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उचित मांगों को मान नहीं लेती तब तक उसे फेस करना होगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो सरकार ने करीब 3 करोड़ से अधिक रुपयों का टैक्स लगाने की घोषणा की है उसमें कहना पड़ेगा कि जो पैसेन्जर और गुड्स टैक्स करीब 56 लाख रुपयों का लगा रहे हैं उससे सामान्य नागरिक पर बहुत बड़ा बोझ जबर्दस्त बोझ सरकार ने डालने की कोशिश की है ।

केन्द्रीय सरकार ने भी रेलवे बजट प्रस्तुत किया तो थर्ड क्लॉस पैसेन्जर्स पर किराया बढ़ाया था व आवश्यक वस्तुओं पर फ्रेट बढ़ाया था उसकी तीव्र आलोचना हुई और सरकार को उसे वापिस लेना पड़ा । मैं पूछना चाहता हूं कि बसों में कौन ट्रैवल करता है ? जिन पर आप टैक्स बढ़ा रहे हो ? आज यह ट्रकों के जरिये सामान इधर उधर ढोने वाले कौन हैं ? इस पर फ्रेट बढ़ रहा है क्या इसका असर कीमतों को आगे बढ़ाने की तरफ नहीं पड़ेगा इसलिए सरकार को पहले यह डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा आम जनता और सम्पन्न वर्ग में । आम जनता टैक्सों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन पर आप टैक्स नहीं बढ़ावें । जो सम्पन्न वर्ग हैं जो साधन सम्पन्न हैं उन पर बढ़ावें तो मन्जूर हो सकता है । यह टैक्स सामान्य लोगों पर है और इसका कोई औचित्य नहीं है । पहले ही टैक्स बढ़े हुए हैं । जरूरत इस बात की थी कि सामान्य लोगों को कुछ राहत दी जाती । टैक्सों में राहत देकर ऐसे टैक्स ढूंढ़े जाते जो बड़े लोगों पर ही लगते । पर सरकार ने इस प्रकार के कदम न उठाकर उलटा कदम उठाया है । मैं समझता हूं कि सरकार को इस कदम को वापिस ले लेना चाहिये ।

इसके विपरीत उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्रीजी जो अपने आपको बहुत समाजवादी मानते हैं और कांग्रेस के अन्दर समाजवाद के प्रतीक अपने आपको समझते हैं उन्होंने इस बम्बई रेजोल्यूशन के बाद अपने पहले बजट के अन्दर एक तरफ आम जनता पर पैसेन्जर टैक्स और गुड्स भाड़े के रूप में बढ़ोतरी करके 56 लाख का जनता पर बोझा डाला है और दूसरी तरफ जो साधन सम्पन्न लोग हैं, लैंडिड एरिस्टोक्रेसी है उनको 60 लाख का लाभ पहुंचाया है । उनको यह 60 लाख रुपया भेंट के रूप में प्रस्तुत कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1964 में अर्बन लैंड प्रोपर्टी टैक्स सरकार ने लगाने की घोषणा की, असेम्बली में बिल आकर वह कानून बन गया । सन् 64 से वह कानून लागू होकर टैक्स लागू हो गया । सरकार की जो अपनी घोषणा बजट अधिवेशन में थी उसके अनुसार दस लाख रुपया सालाना इस टैक्स से आमदनी होनी थी । वह किन पर लगाया था ? उन पर, जिनकी जमीनें है शहरों में खेत खड़े हुए हैं । मुनाफा कमाने के लिये उन्होंने कुछ प्लॉट खरीदे और उनको पड़े रखा । जब कीमतें बढ़ी तब उनको बेच दिया । इस तरह प्रोपर्टी पर कई तरह के टैक्स लगाने की आवश्यकता थी । पर सरकार ने केवल संकेत के रूप में जरा सा टैक्स लगाया । सन् 64 से 70 में पहुंच गये हैं हम । उनका कई जगह असैसमेन्ट भी हुआ था । वित्त मन्त्रीजी ने चुपके से घोषणा करके कह दिया कि इन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
साधन सम्पन्न लोगों का पिछले 6 वर्षों का टैक्स माफ किया जाता है। इस तरह से अगर सरकार के आंकड़ों का अनुमान ही मान लें तो 6 साल में 60 लाख होता है, जबकि मेरे अन्दाज में जिस तरह से देश में विकास हुआ है और जिसके कारण शहरी जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, यह टैक्स 1½ करोड़ से कम नहीं हो सकता। तो अगर सरकार 1½ करोड़ का पिछला टैक्स अर्बन लैण्ड प्रोपर्टी पर से वसूल कर ले तो यह प्रस्तावित बोझा टैक्सों का गरीबों पर जो पड़ने जा रहा है इसकी जरूरत ही नहीं रहे। इसलिए मैं आप से कहूंगा, अनुरोध करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसे रद्द करने के पीछे। इस तबके को इस तरह की रियायत देना कतई वान्छनीय नहीं है। फिर हाई कोर्ट ने इसको कोई गैर कानूनी भी करार नहीं दिया है। फिर कौनसा कारण है कि पिछले 6 सालों के टैक्स को सरकार ने माफ कर दिया ? सिवाय इसके और कोई बात नजर नहीं आती कि उन जागीरदारों, बड़े बड़े लोगों और पूंजीपतियों का जिन्होंने प्लाट खरीद रखें हैं, आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं, उनको अनुचित रियायत देना चाहते हैं। इसलिए मैं इस रियायत का तीव्र विरोध करता हूं और कहना चाहूंगा कि यह टैक्स जब से लगा है लगातार तब से लगाना चाहिये और वसूल होना चाहिये।

इसी प्रकार से सरकार की ओर से सेल टैक्स के अन्दर कई परिवर्तन किये गये हैं। जहां तक कि लग्जरी गुड्स का ताल्लुक है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। पर सामान्य आदमियों के उपयोग की वस्तुओं पर आपकापियों वगैरह पर भी टैक्स लगा दिया जो विद्यार्थियों के काम में आती हैं। आपने कहा है कि सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थाएं होंगी उन पर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन क्या आप यह नहीं जानते कि राजस्थान में काफी बडी संख्या में विद्यार्थी प्राइवेट संस्थाओं में भी पढ़ते हैं। और वे प्राइवेटली परीक्षा में एपीयर होते हैं अपना कोई काम धन्धा न करते हुए भी परीक्षा देते हैं। आप उन पर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं। मैं समझता हूं, यह एक गलत दिशा है। आपने साधन सम्पन्न लोगों पर फीस बढ़ाई। आपने दस हजार के ऊपर जिनके पेरेन्ट्स की आय है उनकी फीस डबल की। मैं समझता हूं, यह सही दिशा में कदम है। आपने छात्राओं पर भी फीस लगाई जिनके पेरेन्ट्स आयकर देते हैं। छात्राओं की संख्या राजस्थान में कम है, इस नाते उन पर असर पड़ेगा लेकिन आर्थिक समानता के नाते मैं इसको सही दिशा मानता हुआ व्यक्तिगत रूप से भी सही दिशा मानता हूं। क्योंकि जब ऐसी इकानामिक स्ट्रेजिन्सी है और विकास करना है तो रियायतों का अधिकार साधन सम्पन्न तबके को नहीं होना चाहिए। जितनी रियायतें साधन सम्पन्न वर्ग को देंगे उतनी रियायतें पिछड़े हुए तबके के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तबके को नहीं मिल सकेंगी, सुविधायें नहीं मिल सकेंगी। लेकिन आप उनकी कापियों पर, कागज पर बिक्री कर बढा कर उनकी शिक्षा पर यह कर लगाना चाहते हैं, मैं इसको सही नहीं मानता, यह वापस लिया जाना चाहिए।

इसी तरह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर आपने बिक्री कर बढ़ाया है। अगर आपकी मान्यता बड़े बड़े होटलों, जैसे रामबाग पैलेस या स्टेट होटल पर कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लगाने की है, जिन्हें साधन सम्पन्न और ऐ क्लास कहते हैं या जिनको लाइसेंस मिलता है ए, बी या सी क्लास का ऐसी ऊंची लक्जुरियस खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वाले होटेल्स पर कर आप लगायें तो मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे विधान सभा के बाहर आप निकलते हैं और छोटी छोटी होटल्स हैं या मानक चौक चौपड़ पर हैं या जौहरी बाजार में इस तरह के होटल्स हैं जिनमें सामान्य निम्न वर्ग, क्लर्क लोग या मजदूर जाकर चाय पीते हैं, उन पर टैक्स लगायें तो यह निम्न मध्यम गरीब लोगों पर टैक्स होगा। इसलिए इसके अन्दर जो शिड्यूल्ड होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, जो बड़े बड़े लोगों के लिए केटर करते हैं, उन पर आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। सामान्य होटल्स व रेस्टोरेंट्स पर बिक्री कर बढ़ाना अनुचित है इसलिए उसको वापस लिया जाना चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि उसी पुराने ढर्रे से आप राज्य चलाना चाहते हैं। क्या आज हमारे पास साधन नहीं है ? मोरास में फंसने से निकलने के लिए रास्ता क्या है, यह मुख्य बात है।

आज जिस आर्थिक संकट में राजस्थान फंसा हुआ है, न केवल राजस्थान बल्कि तमाम राज्य सरकारें जिन बीमारियों में मुबतला है, संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर उसका बहुत बड़ा कारण है। आज आवश्यक होगया है, हम बार बार स्ट्रेस करते रहे हैं, यह जरूरी है कि फेडरल स्ट्रक्चर में जो आर्थिक सम्बन्ध हैं केन्द्र और राज्यों के बीच में, उन पर पुनः विचार होना चाहिए। राज्य सरकार ने भी संकेत दिया है कि तम्बाकू या दो तीन चीजों के बारे में जो अधिकार अभी केन्द्र में निहित हैं उन्हें राज्य सरकारों को दे दिए जायं। मैं समझता हूं वह करना भी काफी नहीं होगा, यह एक प्रतिशत भी समस्या का हल नहीं कर पायेगा। बुनियादी सवाल यह है कि आज राज्यों के पास दो साधन हैं, वह सीमित हैं और अधिकाधिक साधन केन्द्र के पास हैं। तमाम राज्य इस सवाल को उठा रहे हैं। तामिलनाडु ने एक क्वेश्चन यह किया है और माननीय सदस्यों को मालूम भी होगा। राज्य और केन्द्र के क्या सम्बन्ध होने चाहिए, इस पर पुनः विचार होना चाहिए। राज्यों को ज्यादा साधन मिलने चाहिए ताकि वह अपनी विकास योजनायें पूरी कर सकें। राज्य सरकार को इस सवाल पर फारमूला सदन के सामने रखकर केन्द्र के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तभी बुनियादी तौर से हल होगा वरना हर साल कभी 30 करोड़ कभी 35 करोड़ का घाटा अपनी पूंजी में दिखा रहे हैं। आप पर कर्जा बढ़ता जारहा है, आप ब्याज भी नहीं दे सकते इस आशा के साथ कि समय आयेगा सारे सारा कर्जा वाइप आउट कर दिया जायगा, ब्याज वाइप आउट कर दिया जायगा। यह आने वाली सरकारों के लिए आप सरदर्द क्यों छोड़ते हैं ? अगर कोई प्रोग्रेसिव सरकार आ गई तो निश्चित तौर से केन्द्र को या केन्द्र में प्रोग्रेसिव सरकार आई तो निश्चित तौर से इन सम्बन्धों को चेंज किया जायगा लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सरकार इसे बुनियादी तौर से हल करना चाहती है तो इस सवाल को उठाना चाहिए।

आज भी खुद केन्द्र ने आपके अधिकारों को माना है। आपने उस ओर कदम उठाया है ? केन्द्र ने कहा कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाने का अधिकार राज्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकारों को है। मैं आशा करता था कि राजस्थान सरकार इस बारे में पहल कदमी करके शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाने की घोषणा करेगी और विधान सभा में उस सम्बन्ध में कोई विधेयक पेश करेगी। यह आपके लिये नया स्रोत होगा आमदनी का। इस सदन के सामने सरकार ने कहा कि हम मजबूर हैं, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके सामने रास्ता मौजूद है, आप साधन सम्पन्न लोगों पर बोझ डालें। आपने जमीन पर तो सीलिंग मुकर्रर की लेकिन शहरी सम्पत्ति पर या गैर जमीन सम्पत्ति पर सीलिंग न लगायें तो यह सामाजिक न्याय नहीं होगा। इससे असन्तोष बढ़ेगा, लोगों को वायोलेन्ट होने का मौका मिलेगा। इसलिये जहां हमने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि जमीन पर सीलिंग मुकर्रर की जाय तो उसी तरह से गैर लेन्डर्ड सम्पत्ति पर भी सीलिंग लगायें। मैं केवल शहरी सम्पत्ति पर नहीं कहता, गैर जमीन जो सम्पत्ति है उस पर भी सीलिंग मुकर्रर होनी चाहिये और जो आपके पावर्स हैं, केन्द्र ने कहा है कि आपको पावर्स हैं तो आप लगाओ या केन्द्र सरकार को मजबूर करो कि वह लगाये ताकि आपका जो उसमें हिस्सा है, वह बढ़ सके।

इसके साथ साथ यह प्रश्न भी पैदा होता है कि अगर शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग मुकर्रर होने वाली है तो समय आ गया है कि भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति की जो सूची बनाई गई थी उस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहे हैं। रूलर्स के बीच कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहे हैं, राजस्थान की जनता से नहीं पूछा गया, यह पता नहीं कि जयपुर महाराजा को निजी सम्पत्ति कौन कौन सी दी गई है और क्यों दी गई है। आज 200-200 करोड़ के जवाहरात 200-200 करोड़ की सम्पत्ति किसी की लंडन बैंक में जमा है, किसी की फ्रांस की बैंक में जमा है और इस तरह से उनको सारे के सारे महल, सारी की सारी त्रिपोलिया की जमीन निजी सम्पत्ति में देकर फिर आप सीलिंग मुकर्रर करें, उनको फिर मुआवजा दें और उस पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि आपको कीमत मार्केट वेल्यू से देनी पड़ेगी, 20 वर्ष का समावित फैलाना होगा। आप सीलिंग को लागू नहीं कर सकेंगे। आज मेरा आरोप है कि आज जो राजाओं की निजी सम्पत्ति की सूची बनाई गई है, वह उनकी निजी सम्पत्ति नहीं है। राजस्थान की जनता का खून पसीने से कमाई हुई सम्पत्ति है। राज कोष के हिस्से को राजाओं ने अपनी निजी सम्पत्ति बना लिया है, कोई डिमार्केशन नहीं था, वह राज्य की सम्पत्ति थी। राजाओं के तुष्टीकरण के लिये आपने उन्हें ये चीजें दीं, आपने प्रिवी-पर्सेज दिए। आपने उनको सलामियां दीं। राजनीति के अन्दर नेतृत्व दिया और रियायतें दी। जब प्रिवीपर्सेज खत्म होने जा रहे हैं, विशेषाधिकार खत्म हो रहे हैं, तो निजी सम्पत्ति के फैसले पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिये। इस तरह से आप अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग लगायें और यह तय करें कि इतनी निजी सम्पत्ति राजाओं के पास छोड़ कर बाकी की सम्पत्ति राज्य सरकार को मिलनी चाहिये जो राज्य के साधनों को आगे बढ़ाने में काम आ सके।

श्री विजयसिंह (मकराना) : माननीय सदस्य, उन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के

Page No 52

(श्री विजयसिंह)

विषय में भी विचार करेंगे क्या जो आजकल बने हैं और उधर विराजमान हैं ? इन्दिरा महाराणी की सम्पत्ति पर भी विचार करिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य इस बात की तसल्ली रखें । मैं यह मानता हूं कि बहुत से राजा महाराज पैदा हो गये हैं, जो इधर भी बैठे हैं और उधर भी बैठे हैं और जो राजा नहीं थे वे राजा बन गये । इस बारे में निश्चित रूप से कहूंगा कि प्रोपर्टी का हिसाब ले लिया जाय कि किस प्रकार अर्जित की है, पूरे अकाउन्ट ले लिये जायं, आप हम लोगों से भी लिये जायं, मैं अपने आपको इसमें से नहीं निकालता । आप अपने नेता से कहें कि वे इस बात को स्वीकार कर लें । पुनर्विचार करने की आवश्यकता है इस पर कि जनता भूखों मर रही है और उनके पास इतनी सम्पत्ति है । आप महाराणी साहिबा से कहें कि उनके मन में जनता के प्रति बड़ी उद्विग्नता है । सच्ची उद्विग्नता तब होगी जब इस तरीके के कानून के लिए वे संघर्ष करेंगी लड़ेंगी तब वह बात हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त में यह समझता हूं कि आज भी आपके जो आर्थिक हालात हैं उनमें भी आगे बढ़ने के रास्ते हैं । आपने अनुचित रियायतें दे रखी हैं । साधन सम्पन्न लोगों को कन्सेशनल रेट्स पर बिजली के बारे में, खानों के बारे में लीजेज और रियायतें दे रखी हैं उन पर आपको पुनर्विचार करना होगा । यह बात अब नहीं हो सकती कि दिल्ली के सेठ चरतराम को तीन पैसे में बिजली दें, दस वर्ष से लड़ते आ रहे हैं । 8 पैसे पर युनिट पर जनरेट होती है और 19 लाख रुपया सालाना राज्य सरकार के कोष पर भार पड़े इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता । राजाओं के प्रिवीपर्स पर पुनर्विचार किया जा सकता है, उनकी सम्पत्ति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये तो सेठों के साथ जो आपने नये सम्बन्ध कायम किये हैं, जो नापाक सम्बन्ध हैं, उन्हें आपको तोड़ना होगा । उसी से जनता में एन्थूजियाज्म क्रियेट होगा । इनके अलावा दूसरी रियायतें भी दी हुई हैं । आपने यह घोषणा की है कि जो नये उद्योग लगायेंगे उनको सर्विस लाइन फ्री दी जायेगी । लेकिन किसान से तीन सौ रुपया चार्ज करते हैं और अमल में तीन सौ रुपया चार्ज भी कर लिया और लाइन का सामान भीउससे ले लेते हैं । सवाई माधोपुर की मिसाल देना चाहूंगा । 119 लोग आए, उनसे पैसा भी लिया और सामान भी लिया । आम जनता की तरफ तो सरकार का यह रवैया है और दूसरी तरफ जो रवैया है वह उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास का सवाल है, विकास जिस दिशा में हुआ है और उसके कारण सम्पत्तियों की कीमत बढ़ी है उस पर न सिर्फ सीलिंग अरबन प्रोपर्टी पर लगाने की बात है, अगर आप बेटरमैन्ट लेवी प्रोजेक्ट एरिया में वसूल करने की बात करते हों तो और जगह रहने वाले लोग हैं जिनको विकास से फायदा मिलता हो, जिनकी जमीन जायदाद की कीमत बढ़ी है उस बेसिस पर आज डवलपमैन्ट टैक्स उन साधन सम्पन्न लोगों पर जो कहीं पर भी रहते हों लगाना चाहिये । उन लोगों पर ।

Page No 53

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बेटरमैन्ट टैक्स लगाना चाहिये। जो मार्केट प्राइस सन् 1947 में किसी मकान, जमीन, कोठे की थीं उसी मकान, कोठे और जमीन की कीमत आज है उससे पहले से बहुत बड़ा अन्तर आ गया है अगर जमीन पर बेटरमेन्ट लेवी की वसूली कर सकते हैं तो इन चीजों पर भी टैक्स लगाना चाहिये। राजस्थान केनाल से उपज में फर्क होगा तो उस फर्क के कुछ अंश का डिस्टी-ब्यूशन होना चाहिए। और यह सही बात है कि राजस्थान जैसे पिछड़े प्रोविन्स में दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिये पैसा साधन संपन्न लोगों से लिया जाय क्योंकि उनसे पैसा लेकर प्रदेश को सेल्फ सफिशियेन्ट बनाना पड़ेगा। जयपुर में जो कीमतें पहिले थीं। जमीन मकानों की आज उनकी कितनी बढ़ोतरी हो गई, तो क्या यह विकास शुल्क उन लोगों से नहीं ली जानी चाहिये जो आप गांवों के लोगों से ले रहे हैं? मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, डवलपमैन्ट टैक्स जैसी चीज साधन सम्पन्न लोगों पर लगे। और भी विलास की चीजें हैं जैसे जीप यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं, हाथी घोड़े ये सब प्रीविलेजेज हैं, गरीब लोग नहीं रखते हैं, ये साधन सम्पन्न लोगों के आवश्यकता की चीजें हैं, उन पर टैक्स लगे। आपने पैसेन्जर और गुड्स ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया। कार पर 56) रु० है उस पर सरचार्ज लगायें। ये प्राइवेट कारें है, बड़े बड़े लोगों और साधन सम्पन्न लोगों के लिये हैं उन पर टैक्स लगाये। उन पर शुल्क लगायें उससे आमदनी हो सकती है। पैसेन्जर और गुड्स टैक्स सामान्य लोगों पर लगाना नहीं चाहिये। उसको खत्म किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार अपने सारे बजट को देखने का प्रयत्न करे और सुधार करने का प्रयत्न करे तो साधनों को लेते हुए काफी उसमें इम्प्रूवमेंन्ट की गुन्जाइश है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो अपना रुटीन बजट बनाया है उससे में हर साल तीन करोड़ रुपया जागीरदारों का मुआवजा के रूप में देने के लिये आप इसमें प्रोवाइड करते हैं, इस बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है। बीस साल के लिए इसको आगे बढाइये और जो जागीरदारों में गरीब तबका उनको आप दें। उनके लिये मुझे ऐतराज नहीं है। उनके बोन्ड्स को कैश करें उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन साधन सम्पन्न लोग हैं उनके बोन्ड्स को कैश करने के लिये बीस वर्ष के लिये आगे बढ़ा दें तो तीन करोड़ में से दो करोड़ का फायदा आप कर सकते हैं।

इस दृष्टि से आप बजट को रिमोडल करें, टेक्सेशन स्ट्रचर को रिमोडल करें और नयी विचारधारा से नयी बातें और सोचें तो राजस्थान की इकोनोमी में, आर्थिक स्थिति में एक नयी दिशा ला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

समय सीमा 30 मिनिट।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है उसे बजट के विषय में चार मुख्य बातें देखने को मिलती है। एक यह है कि यह घाटे का बजट है, दूसरा बजट की स्पीच में समाजवाद की बहुत सारी बातें कही गई है और तीसरे माने में इसके अन्दर सन्तुले

Page No 54

(श्री शंकरलाल)

गवर्नमेन्ट से घाटे को पूरा करने के लिये बहुत बातें हैं और मांग की गयी है और चौथे में यह निवेदन करूंगा कि बहुत कलात्मक ढंग से टैक्सों को लाया गया है और बहुत से टैक्सों को विड्रो किया गया है। इन चार मुख्य बातों के अलावा फेमीन, एग्रीकल्चर और वाटर के बारे में कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट के घाटे का सवाल है विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस बात की आलोचना की कि यह घाटे का बजट है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समाजवाद और प्रगति के युग में सेल्फ सफिशियेन्ट बजट के बजाय घाटे का बजट कोई बुरा बजट नहीं माना गया है। डेफिसिट होते हुए भी राज्य का विकास हो सके, डेवलपमेंट कर सकें और पिछड़े हुए तबके के लोगों को ऊंचा उठा सकें तो इकोनोमिक प्रिन्सिपल्स के अनुसार घाटे का बजट कोई बुरा बजट नहीं कहा जा सकता।

केवल इसलिये आलोचना की गई कि यह बजट घाटे का है इसलिये इस मायने में यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेफिसिट बजट होने की वजह से इसकी आलोचना की जाये, यह यह उपयुक्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सोशलिज्म के बारे में बहुतसी बातें कही गई हैं और यह हमारे वित्त मंत्रीजी ने माना है कि इसके अन्दर शुरूआत हो गई है। उन्होंने इन सारी चीजों को एक बात में शायराना ढंग में कहा है। उन्होंने अपने भाषण के अन्त में एक शेर पढ़ा है:

"सब तरह के लोग साकी
आज तेरी महफिल में है।
जिस तरफ देखा न अब तक
उस तरफ देखा तो है।।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई शायर तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

"देखा तो कोई साकी तेरी महफिल में.
देखा तो नहीं आज तक उनकी वही है
आरजू।"

उपाध्यक्ष महोदय, देखना ही काफी नहीं है। वित मंत्रीजी ने माना है कि हमने इस साल कुछ देखा है, समाजवाद की तरफ बढ़े हैं लेकिन हमारे देश की परिस्थिति, हमारे लोकतंत्र के वातावरण को देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह के बजट पेश किया गया है वह समाजवाद की तरह तो है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह समाजवाद की तरफ ऐसा कदम है जिससे हम प्रगति की ओर बढ़ सकें। हमें उम्मीद थीं और जितनी उम्मीद हमें थी वह उम्मीद हमारी इससे पूरी नहीं हुई। हमें आशाएं थीं कि जब इस वर्ष के अन्दर हम प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस वर्ष का हमारा बजट आशाजनक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वास्तविक तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समाजवाद की बात कहते हुए कुछ बातों की रियायतें दी गई हैं। बेरोजगारों के बारे में जो इंजीनियर बेरोजगार हैं, डिग्री होल्डर को 200 रुपया और डिप्लोमा होल्डर को 150 रुपया देने की यहां घोषणा की गई है। यह वजीफा

(श्री शंकरलाल)

6 माह से एक साल तक दिया जायेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी आप वित्त मंत्रीजी की चतुराई को देखेंगे। उन्होंने यह बात कहीं नहीं कही है कि यह कौनसी तारीख से लागू होगा। जैसे ओल्ड एज पेन्शन के बारे में कहा है कि यह मार्च से लागू होगी परन्तु अनएम्प्लाइड इंजीनियर्स को यह स्टाइपन्ड कौनसी तारीख से दिया जायेगा, यह नहीं बताया है। इसका मतलब है यह नीति निश्चित नहीं है इसलिये शंका होती है कि घोषणा होती है और वह घोषणा घोषणा मात्र ही रह जाती है। इसके कई उदाहरण हैं। जैसा आपने सीलिंग के बारे में कहा है सीलिंग कानून लागू करने के पहले आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दीं परन्तु उसको लागू कहां किया है। यह कानून सन् 60 में पास हुआ, इसके नोटिफिकेशन वगैरह भी निकाल दिये और बाद में माननीय गवर्नर महोदय से भी 30 स्टेन्डर्ड एकड़ का एलान करवा दिया और उसके बाद आपने यहां कहा कि एक्जम्पशन विथड्रा कर रहे हैं लेकिन कौनसी तारीख से यह लागू होगा इस बात की स्पष्टता राज्य सरकार ने आज तक नहीं कहा है। इसकी घोषणा मात्र से ही यह लागू नहीं होगा। इसलिये अनएम्प्लाइड इन्जीनियर्स को जो वजीफा देने की घोषणा की गई है वह कौनसी तारीख से मिलेगा, इसका स्पष्टीकरण वित्त मन्त्री महोदय को करना चाहिये। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं यहां बताना चाहूंगा। कल ही मैंने एक हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट से बात की। उन्होंने कहा इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि कैसे बजट के अन्दर इसकी घोषणा की गई है। उनको आज तक इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ यह कहा गया है कि इन अनएम्प्लाइड इंजीनियर्स को इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में ट्रेनिंग दिलायेंगे। एग्रो-इन्डस्ट्री में भी ट्रेनिंग दिलाने की बात यहां कही गई है लेकिन इन दोनों विभागों को कुछ भी पता नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप को निश्चित घोषणाएं करनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंजीनियर्स के अलावा अन्य बेकारों की भी समस्याएं हैं। जिनको इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। हमें इस समस्या का हल निकालना चाहिये। आज केवल इंजीनियर्स का ही नहीं दूसरे सैकड़ों, हजारों की तादाद में मैट्रिकुलेटस्—

श्री उपाध्यक्ष : सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में है।

श्री शंकरलाल : जो वास्ता मुझे अपने क्षेत्र में पड़ता है, उस सम्बन्ध में कह रहा हूं। हो सकता है कि वे लाखों की तादाद में हों। ये बेकार लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। 6-6 महिने, दो दो साल तक नौकरी के लिये चक्कर लगाते रहते हैं और आखिर में उसको कोई नौकरी नहीं मिलती है। आप उनके दिल की हालत को समझिये। जब समाजवाद की बात कहते हैं तो उनका दिल रो उठता है जब कि दो साल से नौकरी उनको नहीं मिल रही है, कोई धन्धा उनको नहीं मिल रहा है। आज प्रश्न इंजीनियर्स का ही नहीं है उनके अलावा हजारों, लाखों इन बेरोजगारी का भी है जिनको किसी तरह लगाना है। आपके पास क्या योजना है। क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान प्रगति की

(श्री शंकरलाल)

और बढ़े, तो पहले इन लोगों को सन्तोष दें। परन्तु कोई ऐसी योजना हमारे सामने नहीं है जिसमें कि इन लोगों को खपाया जा सके जो पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं, उनमें जो ग्रेजुएटस् और पोस्ट-ग्रेजुएटस् हैं उनको आपने 150/- और 100/- रुपया देने की घोषणा की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि आप वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को राहत देना चाहते हैं तो ये पोस्ट ग्रेजुएटस् और ग्रेजुएटस् तो बहुत ही कम हैं उनके अन्दर हजारों, लाखों की तादाद में मैट्रिक्युलेट्स होते हैं जिनको आज नौकरी की जरूरत है। ये गरीब आदमी होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग गरीब होते हैं उनमें कितने लोग ग्रेजुएटस् हो सकते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। इनकी ओर इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में आपने थोड़ा सा इस ओर ध्यान देने की कोशिश की है और जो स्टाइपन्ड देने की घोषणा की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो मैट्रिक पास कर लेते हैं उनके लिये व्यवस्था करने की आज आवश्यकता है। मैं समझता हूं इससे राहत मिल सकेगी वरना अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को राहत देने की बात करना ही काफी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की घोषणाओं का कोई असर नहीं होता है। पिछले सत्र के अन्दर गांधी शताब्दी वर्ष को लेकर राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि 28 प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरियों में स्थान दिया जायेगा। इस बात को सुन कर सदन को आश्चर्य होगा कि आज दिन तक इस घोषणा को इम्पलीमेंट नहीं किया गया है। मैंने पाली के कलेक्टर से इस सम्बन्ध में बात की। उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार की कोई आज्ञा उनके पास नहीं है। मैंने वहां के रोजगार दफ्तर से भी पूछा कि आपने 28 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को इन्टरव्यू के लिये भेजा? 28 प्रतिशत तो कम से कम लिये ही जायेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की आज्ञा है। 28 प्रतिशत की कोई आज्ञा नहीं है। मैंने यह बात मुख्यमंत्री से भी कही थी। क्या किया मुख्यमंत्रीजी ने मुझे इसका पता नहीं है। आपकी घोषणाओं और राजाज्ञाओं की कोई पालना नहीं होती है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एलाटमेंट के बारे में जिक्र करूंगा जिससे इस सदन को जान कर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार की आज्ञाओं का पालन किस प्रकार हो रहा है। गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर इस सदन में यह ऐलान किया गया था कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही जमीन का एलॉटमेंट किया जायेगा। लेकिन रबी के अन्दर एक साला एलॉटमेंट हो जाता है और पेटा काश्त की जाती है। जहां इसका सवाल आया हमारी रायपुर तहसील के अन्दर जमीन ऐसे लोगों को एलॉट की गयी है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। जब इस बारे में प्रश्न किया गया तो उत्तर में कहा गया कि एलॉटमेंट कानून है और एक साल के लिये कोई कानून लागू नहीं होता है। जो घोषणा की गई है वह जनरल एलॉटमेंट के लिये है। अनुसूचित जाति के लिये एक साला एलॉटमेंट में कोई प्रोवीजन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता

(श्री शंकरलाल)

यह क्या है ? यह एक प्रकार का रेड टेपिज्म है। जो यहां घोषणा की जाती है, उसका दूसरा मतलब निकाला जाता है। सरकार को चाहिये कि उसकी घोषणा का पूरा पालन किया जाये। इतना ही नहीं, कलेक्टोरेट ने रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को रेफर किया, यहां से जवाब गया कि एक साला अलॉटमेण्ट, रबी का अलॉटमेण्ट अनुसूचित जाति के लोगों के लिये नहीं होता है। फिर आप कौन से अलॉटमेण्ट पर इसको लागू करना चाहते हैं ? यह तो वित्त मंत्री महोदय ने भी माना है कि हम इसके लिये स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त कर रहे हैं जो यह देखेगा कि जो घोषणायें की जाती हैं उनकी पालना होती है या नहीं ? मैं समझता हूं स्पेशल ऑफिसर के नियुक्त कर देने से इस समस्या का हल नहीं होगा। किसी एक आदमी को नौकरी देनी हो तो बात दूसरी है, वह दीजिये। लेकिन इससे आप यह मानकर चलें कि इस समस्या का हल हो जायगा मुमकिन नहीं है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि आपको हरेक जिला लेवल पर, जिला स्तर पर ऐसी कमेटियां की नियुक्ति करनी होगी जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एम्प्लॉयमेण्ट ऑफिसर और वहां के विधान सभा सदस्य मिलकर एक ऐसी कमिटी का गठन किया जाय जो यह देखे कि राज्य सरकार की जितनी घोषणायें होती हैं, उनकी किस प्रकार पालना हो रही है। इससे आप का खर्च नहीं बढ़ेगा और देखरेख भी अच्छी तरह हो जायेगी। एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं वह जयपुर में रहेगा वह किस प्रकार देखेगा कि घोषणाओं का पालन पूरे राजस्थान में हो रहा है या नहीं। इसलिये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज होनी चाहिये उसीसे जाकर इन बातों का समाधान हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के संबन्ध में बहुत सी बातें कही गईं। यह सब तरफ से बात कही गई कि इस अकाल में हमें ऐसे काम हाथ में लेने चाहिये जो परमानेन्ट नेचर के हों यह तो सरकार भी मानती है कि फेमीन में ऐसे काम हाथ में लिये जायं जिनकी परमानेन्ट वेल्यू हो, प्रोडक्टिव नेचर के काम हों। लेकिन आखिर कार्य रूप में कितना परिणित होता है यह देखने की बात है। राज्य सरकार ने पिछली साल यह घोषणा की थी कि पिछले साल 100 ट्यूब वेल लगाये जायेंगे यह गत बजट भाषण में कहा गया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां कहां आपने ट्यूब वेल लगाये। अगर नहीं लगाये तो क्यों नहीं लगाये ? आज हम कृषि मंत्री जी से पूछते हैं कि ये जो घोषणायें ट्यूब वेल्स के बारे में की गई हैं वे क्यों नहीं खोदे गये मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी से भी बात की कि आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान पर जहां मैं बताता हूं वहां ट्यूब वेल लगा दें तो उस पानी से बीस गांवों की जमीन की सिंचाई हो सकती है क्योंकि रायपुर बन्ध के बन जाने से जैतारण तहसील के नीचे के गांवों की सिंचाई के साधनों में कमी आ गई है। कृषि मन्त्री जी कहते हैं कि हमारे पास आर्थिक साधन नहीं हैं। हम किस तरह से यह लगा सकते हैं। आपको मैं निमन्त्रण देता हूं कि आप खुद जाकर वहां देखें उस ट्यूबवेल से किस प्रकार से पन्द्रह बीस गांवों की भूमि की

Page No 58

(श्री शंकरलाल)

सिंचाई हो सकती है। हमारे पास पैसा नहीं है यह आप किस आधार पर कहते हैं। आज अकाल के नाम से करोड़ों रुपया मिल रहा है आप उस पैसे को केवल सड़कों पर धूल डालने के लिए खर्च करते जा रहे हैं, घर बैठे लोगों को पैसा दे रहे हैं इस तरह से आप उनको निठल्ला बना रहे हैं, काम चोर बना रहे हैं। दूसरी तरफ आप जब उसी पैसे के उपयोग से प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं उसको न कर इस तरह से पैसा बरबाद कर रहे हैं। मैंने जो स्कीम बतायी है उससे पन्द्रह बीस गांवों की भूमि सिंचित हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, फेमीन के अन्दर 12।। रुपये सरकार सहायता व अनुदान के रूप में लोगों को दे रही है मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इससे लोगों का मनोबल गिरा है। जो यह चीज पैदा की गई है वह बहुत ही घातक है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे बाड़मेर, जैसलमेर जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि आप काम पर क्यों नहीं जाते हैं तो उनका उत्तर था कि जब हमें घर बैठे प्रत्येक व्यक्ति पर साढ़े बारह रुपया मिल रहा है तो फिर दूर हम क्यों जावें। राजस्थान नहर पर जावें तो केवल एक ही व्यक्ति को वहां काम मिलेगा यहां घर बैठे सभी को 12।। रुपये के हिसाब से मिलता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हम जनशक्ति का उपयोग करना नहीं चाहते बेकार बिठाकर उनको घर बैठे पैसा देकर उनको दकियानूसी करना चाहते हैं। साढ़े बारह का जो डिसीजन लिया है इससे हमारे राजस्थान के लोगों की हानि ही हुई है। उनकी काम करने की, श्रम करने की शक्ति का ह्रास ही हुआ है।

मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो आन्दोलन चलाकर वहां के लोगों को राजस्थान नहर पर काम के लिए जाने देना नहीं चाहते। एक तरफ तो आप और हम सब लोग यह कहते हैं कि राजस्थान केनाल का काम पूरा किया जाय यह एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इस नहर से जैसलमेर के लोगों को पानी मिलेगा। दूसरी तरफ आप लोगों को वहां जाने देना नहीं चाहते इसके लिए आन्दोलन करते हैं यह बहुत गलत बात होगी।

जहां तक राजस्थान के पश्चिमी इलाके का सवाल है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर इन तीनों जिलों के अन्दर एग्रीकलचर व घास के प्रोडक्शन की बहुत पोटेन्शियलिटी है। हमने जैसलमेर का प्राचीन जैन मन्दिर देखा है उसके अन्दर हजारों वर्ष पहले के चित्र बने हुए हैं, पत्तियां बनी हुई हैं उन पर कई प्रकार की लेखनियां लिखी हुई हैं। वहां एक विजीटर्स बुक भी है उसको हमने देखा उसमें 1954 में जब पं० जवाहरलाल नेहरू ने वहां की विजिट की थी उस समय उन्होंने लिखा है कि हमें जैसलमेर की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिक ध्यान देना चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पं० जवाहरलाल नेहरू के लिखे हुए के माफिक आपने उस इलाके की ओर क्या ध्यान दिया है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर का इलाका बोर्डर का इलाका है उस इलाके की तरफ राज्य

(श्री शंकरलाल)
के अन्य इलाकों से विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इस क्षेत्र में एक योजना भी चालू कर सकते हैं मैंने वहां चान्दण गांव देखा है जहां ट्यूब वेल लगा हुआ है । जहां पशुओं की नस्ल सुधार की योजना सरकार की तरफ से चालू है । वहां जो ट्यूब वेल लगा हुआ है वह बहुत बढ़िया काम कर रहा है । उस पानी से जो घास वहां पैदा हुआ है वैसा घास, मैं आपको कह सकता हूं, जहां अकाल नहीं है ऐसे क्षेत्र में भी देखने को नहीं मिलेगा । वह उस इलाके का सबसे बढ़िया घास है वह इसलिये संभव हो सका कि वहां ट्यूब वेल है । इस तरह के और ट्यूब वेल्स खोद कर जैसलमेर की जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है उसका हमें पूरी तरह से उपयोग करना चाहिये । इसके साथ साथ मैं वहां के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा 12।। रुपये के लिए आन्दोलन मत करिये । ट्यूब वेल्स लगाने का प्रयत्न कीजिये ताकि वहां की उजाऊ भूमि का उपयोग हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पश्चिमी इलाका केवल अकाल की दृष्टि से नहीं बल्कि डिफेन्स की दृष्टि से भी बड़ा महत्व रखता है इसलिए भी राज्य और केन्द्रीय सरकार को इस इलाके की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । और हमारे स्वर्गीय पं० नेहरू की जो इच्छा थी उसके माफिक उसका विकास किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के अन्दर जो भी काम लिए जांय वे काम पहले लिये जांय जो अधूरे पड़े हों । मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले के अन्दर और नहरी क्षेत्र के अन्दर जो कुछ टूटी हुई सड़कें हैं कई जगह नाले बांधने हैं, सड़क अधूरी पड़ी हुई है उनको पूरा करना चाहिये अगर हम इस प्रकार से अधूरे पड़े हुए कामों को लेंगे तो इस पैसे की उपयोगिता हो सकती है । मेरे इलाके में बहुत सी ऐसी सड़कें पड़ी हुई हैं जिन पर खाली मुरड डालना ही बाकी है । समोखा से मरोह सड़क ऐसी है जहां मुरड़ पड़ी हुई है उसको डालने की आवश्यकता है । इसी प्रकार से कई जगह से सड़के टूटी हुई पड़ी हैं उनकी मरम्मत कराना भी आवश्यक है । इन अकाल की बनी सड़कों के बारे में एक बात मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं फेमीन में जो सड़के बन जाती है उसके बाद उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं, उसका मेन्टीनेन्स कौन करेगा यह अभी सरकार ने तय नहीं किया है । क्या वापिस फेमीन आयेगा तभी वह ठीक होंगी । हम इनको ठीक करवाने के लिए वापिस फेमीन की आशा नहीं कर सकते । इसलिए मेरा निवेदन है कि पी० डब्ल्यू० डी० को काम सौंपा जाना चाहिये और छोटी सड़कों के मेन्टीनेन्स का काम आप पंचायत समितियों को सौंप सकते है उसके लिये उनके बजट में कुछ प्रावधान करदें । ये सड़के जब टूट जाती हैं तो लोग उनके पास से दूसरा कच्चा रास्ता बना लेते हैं लेकिन उन टूटी सड़कों पर चलना पसंद नहीं करते । हम जब काश्तकारों से सड़क बनाने के लिए उनके खेत की जमीन की मांग करते हैं और जब सड़कों की इस तरह की हालत देखते हैं तो उनको भी नाराजगी होती है ।

(श्री शंकरलाल)

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सोइल कन्जरवेशन के बारे में इसको हाथ में लिया जाय तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हमें इस बात का अनुभव है कि जब इसके बारे में सरकार को कहा जाता है तो सरकार से जवाब मिलता है कि हमारे पास पूरा स्टॉफ नहीं है। देवरिया और कालू में भी इस प्रकार की समस्या आयी जबकि वहां के लिये मंजूरी हो चुकी थी उसके बाद भी वहां एक महीने तक काम शुरू नहीं किया गया। भू-संरक्षण विभाग ने कहा कि हमारे पास स्टॉफ नहीं है यही शिकायत सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। सैंक्शन आगई असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं लेकिन उसको ओवरसियर नहीं मिला वह काम किस प्रकार चालू करें। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल का भी अनुभव है। फेमीन के दिन निकट आगये थे। महीने भर बाद तो ओवरसीयर और इन्जीनियर आकर खड़े हो गये जिनको तब काम नहीं मिला। तो जब स्टॉफ की जरूरत होती है तब स्टाफ नहीं मिलता और जब अधिकारीगण और इन्जीनियर वगैरह आते हैं तो स्टॉफ नहीं रहता और इस तरह से काम चालू नहीं हो सकते। इसलिये प्रोडक्टिव काम हाथ में लिया जावे और उन्हें सम्पूर्ण करने के लिए उपयुक्त स्टाफ उपयुक्त समय पर होना चाहिये।

कल यहां यह कहा गया कि कुए का किसान जो है उसको बहुत ज्यादा लगान देना पड़ता है। हो सकता है वेल्स वाले आन्दोलन करें। यह भैरोंसिंह जी ने कहा था। कुए के किसानों की समस्या लगान की नहीं है, उनकी समस्या तो यह है कि उनके कुओं का पानी जब सूख जाता है तो बोरिंग की मशीन की जरूरत उनको गहरा करने को जब होती है तो बोरिंग मशीन नहीं मिलती। आज पाली जिले में बहुत से ऐसे कुए हैं जहां थोड़ा बोरिंग कराया जावे तो पानी काफी कुओं में आ सकता है और हजारों मन अनाज का उत्पादन हो सकता है। मैंने इस बारे में विधान सभा में भी कई बार कहा है और सरकार को पत्र लिखे हैं। पता नहीं यों तो सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर देगी, पर इस अत्यन्त जरूरी काम के लिये प्रबन्ध नहीं कर सकती।

यही सवाल सड़कों के लिए है। सरकार कहती है कि रोलर नहीं है। आज से दस साल पहले की सैंदड़ा जस्साखेड़ा सड़क जो सन् 54 में फेमीन में बनी थी तब से उस पर कंकर कुटे पड़े थे। वे अब तक करीब करीब साफ हो गये हैं पर उन पर तारकोल डालने के लिए या कंकर कूटने के लिए रोलर नहीं है। जालौर जिले में 36 रोलर पड़े हैं। पाली में पांच भी नहीं हैं। समझ में नहीं आता ये रोलर कहां चले जाते हैं। क्यों नहीं उनका पूरा उपयोग लिया जाता है। उपयुक्त मशीनरी को उपयुक्त समय पर उपलब्ध कराने की सख्त जरूरत है। सरकारी अधिकारियों की सख्त लापरवाही और कुप्रबन्ध इसमें झलकता है। ऊपर भी देखने वाला अयोग्य है ऐसा लगता है। जहां पर सरकार ने समाजवाद की बात कही है, वहां उसकी मशीनरी उसके उपयुक्त नहीं है। किस तरह से इकोनोमिक तरीके से अधिक से अधिक गरीब जनता के हित के काम किये जा सकते हैं या तो इसके अनुकूल सरकारी मशीनरी को ढालना होगा या ऊपर की देखभाल अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा।

(श्री शंकरलाल)

आज आप इस बात के लिए भी तैयार नहीं हैं कि आप एक निम्न से निम्न कर्मचारी का मिनिमम आवश्यक जीवनोपयोगी वेतन निर्धारित करें कि इससे कम में चूंकि किसी परिवार का खर्च नहीं चल सकता इसलिये किसी भी कर्मचारी का इससे कम वेतन नहीं होगा। ऊपर वाले को आप हजार पन्द्रह सौ से अधिक न दें। आप उनको अनाप शनाप पैसा देते हैं, बगीचे के लिये पानी उनको चाहिये, ठंडक के लिये पंखा चाहिये। पीने के लिये सिगरेट और चाहिये। अच्छे से अच्छा बंगला, गाड़ी और फरनीचर चाहिये। ऐश के साधन चाहिये। विलास की सामग्री चाहिये। यह गरीब समाजवादी मुल्क में नहीं चलेगा आप उनको पांचसौ सातसौ रुपये से अधिक न दें। कम से कम 150 के करीब तनखा से कम किसी की नहीं होनी चाहिये और अधिक से अधिक 500-700 से अधिक किसी की नहीं होनी चाहिये।

आज चपरासी की क्या हालत है? मैं अपने जिले का उदाहरण बताऊं। पाली जिले में एक मेरे गांव का मीणा खेरवा स्कूल में चपरासी रखा गया लेकिन वह खेरवा कभी नहीं गया। पाली में ही रहा क्योंकि खेरवा स्कूल के हैड मास्टर का मकान पाली में है और उसको उसके घर पर हर दिन सुबह से शाम तक और रात में भी काम करना पड़ता था। मैंने पूछा तो कहा कि मैंने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। मैं तो हैड मास्टर साहब के घर पर काम करता हूं बस। घर पर काम करते करते भी हैड मास्टर साहब की किसी बात पर उससे नाराजगी हो गई और उसको नौकरी से निकाल दिया। अब यह भी सुन लीजिये कि वह नाराजगी क्यों और किस कारण से हुई? हैड मास्टर, भार्गव साहब की पत्नी की साड़ी वह धो रहा था। साड़ी रेशम की थी धोते समय वह किसी जगह से कुछ फट गई पुरानी होगी, थोड़ी फट गई। इस पर उससे सभी नाराज हुए। हैड मास्टर ने कहा कि उसका मुआवजा दो। जुर्माना दो इस साड़ी को फाड़ने का। क्यों फाड़ दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार किस समाजवाद की बात करती है? इस सरकार की नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं। चपरासी के लिये हमने आवाज उठाई।

श्री नाथूलाल (बागीडोरा) : यह होता है पिछड़ी जाती के लोगों के साथ बरताव आज भी।

श्री शंकरलाल : शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं। खैर। हमने शिक्षा मंत्री जी को लिखा। नीचे दर्खास्त दी। इससे भी कोई हल नहीं निकला। खेद तो यह है। तो निराश होकर चपरासी भूख हड़ताल पर बैठ गया आन्दोलन की धमकी सरकार को दी गई, संगठन की तरफ से धमकी दी गई। तब जाकर इस समाजवादी सरकार का सिंहासन हिला और वह समस्या कुछ हल हुई। उसे वापिस नौकरी में लगाया गया। 9 महीने तक गरीब बेचारा इस समाजवादी सरकार की मशीनरी से पिलता रहा, तबाह होता रहा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह इन नकाबपोश समाजवादियों की सरकार का नमूना है।

श्री शंकरलाल : आर्टिकल 23 में लिखा है कि बैठ बेगार लेना अपराध है।

(श्री शंकरलाल)

घर पर काम करवाना यह बैठ बेगार नहीं तो और क्या है। मै और नमूना बताता हूं। किसी उपज मन्डी में भगवानदास नाम का चपरासी था। उसकी शिकायत आने पर डाईरेक्टोरेट को लिखा कि डेफीनेट डेट पर जवाब आना चाहिये। लिखा पर पता नहीं क्या हुआ। वह अभी तक घर बैठा है। कौन परवाह करता है इन गरीबों की। अब या तो वह अदालत में जावे पर इतना पैसा उसके पास नहीं कि वह अदालत में जाकर न्याय प्राप्त कर सके। तो ये दो एक उदाहरण मैंने दिये हैं बाकी तो हजारों सैंकडों चपरासी, ड्राईवर, एल. डी. सी., टीचर्स इन सब की करीब करीब यही दुर्दशा है। टीचर्स की हालत प्राईमरी स्कूलों में, पंचायत समितियों में बुरी है। वहां उनको बराबर समय पर तरक्की नहीं, मिलती है मिल भी जाय इसका भी भरोसा नहीं। समय पर तनख्वा नहीं मिलती। टी.ए., डी.ए. का पैसा नहीं मिलता। मैड़िकल बिल रिएम्बर्स नहीं होते। कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। तो आप केवल अपनी इस्टीट्यूशन के अध्यापकों की दुर्दशा की तरफ ही न देख कर इस पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलने वाली स्कूलों के अध्यापकों की उनसे भी बदतर हालत की तरफ भी देखें। मैंने आवाज उठाई थी कि पंचायत समितियां इनके प्रति न्याय नहीं कर सकती। इसलिये प्राइमेरी शिक्षा पंचायत समितियों के पास नहीं रहनी चाहिये। इन पंचायत समितियों को केवल आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का काम सौंपे। समय पर ऋण बीज, खाद आदि देने की व्यवस्था का भार उन पर डालें।

बैंकों का नेशनलाईजेशन हो गया। उनसे किसानों को पैसा दिलावें इनकी मार्फत। उसका सारा प्रबन्ध ये करें। इस काम में बैंकों और किसानों के बीच की कड़ी ये बनें। आज तो यह हालत है कि समय पर बीज नहीं मिलता। बीज का समय जब निकल जाता है तो तार जाता है कि बीज उनको कास्ट पर दिया जावे। बीज भेजा जा रहा है। किसानों ने तो समय पर बाहर से ले लिया। आपका बीज अब देर से आया हुआ उनके किस काम का तो सवाल यह है कि टाइम पर सारे काम कराने के इस काम में पंचायत समितियों को जोड देना चाहिये। प्रोडक्शन प्रोग्राम में उनको पूरी तरह से जुट जाना चाहिये। यह काम ही अपने आप में इतना बड़ा है कि इसको भी पूरी तरह से अन्जाम ये पंचायत समितियों दे लें तो बहुत है। यह एजूकेशन का मामला इनके बूते का नहीं है यह इनसे अलग कर देना चाहिये, वरना इन मास्टरों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है और शिक्षा का काम भी ठीक तरह से चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की मैं सरकार की सराहना करूंगा कि यंग लोगों को मोबिलाइज करने के लिये यूथ बोर्ड की स्थापना की गई है चीफ मिनिस्टर साहब की स्वयं की अध्यक्षता में की गई है।

(10 म. पू.)

आपका यह कदम यूथ बोर्ड का मोबिलाईजेशन कर लेंगे इसलिये बहुत अच्छा कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। टैक्सों के बारे में मुझे बहुत कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री शंकरलाल : टैक्सों केलिये यही बात है, आपने टैक्स लगाये हैं बहुत अच्छा है लेकिन जैसे आपने किनारी गोटा पर टैक्स लगाया है लेकिन गांवों के लोग कच्चा गोटा किनारी पहनते हैं उन पर नहीं लगना चाहिये। विवाह शादी के अन्दर गरीब लोग ही इसको अपनाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। आप कीमती गोटा किनारी पर लगावें।

दूसरा मेरा निवेदन है, कई जगह आपने एक्सेप्शन दिये हैं। इस एक्सेप्शन से इवेजन होता है कन्टेनर पर नहीं लगे और दूसरी पर लगे यह एक्सेप्शन है उससे सारा इवेजन होता है। इसलिये मेरा सुझाव है इसको आपको देखना चाहिये। माननीय मेहता साहब शराब बन्दी के लिये……

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरी वजह से नहीं कहें। आप स्वयं उचित समझें तो कहें वरना नहीं कहें।

श्री शंकरलाल : वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, शराब बन्दी जरूरी है। सरकार की घोषणा है कि सन् 72 तक शराब बन्दी कम्पलीट हो जायगी पहले ड्राइडेज रखे गये थे अब हटा दिये गये। बार बार कभी इसको इधर करके, कभी उधर करके टाला जाता है। मैं कहता हूं आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिये क्यों नहीं किया। हमारे पाली जिले में गिरासिया हैं जिनकी शराब के कारण जिन्दगी खराब हो रही है। रामपुरा इलाके में हम 10 साल से कोशिश कर रहे हैं उनके उत्थान के लिये लेकिन शराब के कारण वहां कोई उत्थान नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूं पाली डिस्ट्रिक्ट के अन्दर शराब बन्दी का कानून लागू करिये। उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वाटर प्रोबलम है, पीने के पानी की समस्या हल करने की बात कही गई है। उसमें प्रति वर्ष अलग अलग स्टेटमैंट हमारे सामने आते हैं। एक बार राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में कहा था कि एक मास्टर योजना बनी है। 25 करोड़ की वह योजना थी न मालूम वह कहां गई। उसके बाद यह कहा गया कि वाटर प्रोबलम के लिये 25 करोड़ रुपया फाइनेन्स कमीशन से मांगा जा रहा है लेकिन पीने के पानी की कोई समस्या हल नहीं हो रही है। यह समस्या तब तक नहीं होगी जब तक कि जिस जल बोर्ड की स्थापना सन् 55 में हुई थी उसको पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा। इस नान ऑफिसियल बोर्ड ने गांवों में जितने कुए खुदवाये थे वे सराहनीय थे। उस बोर्ड की पुनः स्थापना करके इसको हल करें तो वास्तव में जो नीडी प्रोबलम है उसको हल कर सकेंगे। आपने कहा था उन बोर्ड की स्थापना होगी, क्यों नहीं हुई अब तक ? आपकी घोषणायें हैं वह केवल घोषणायें ही रह जाती हैं। फोडर बैंक की घोषणा हुई थी, फोडर बैंक की स्थापना नहीं हुई। जितनी घोषणायें हुई हैं मैं एक एक करके उनको गिनाने लगूं तो उपाध्यक्ष महोदय, इतना समय नहीं है ये सारी घोषणायें केवल घोषणायें मात्र हैं, इसके लिये तारीख मुकर्रर करें। सीलिंग कानून के अन्दर विशेष तौर से इसी सत्र के अन्दर कोई तारीख मुकर्रर करें। अनएम्पलाइड लेबर है उसको भी काम में लगायें। खास तौर से इन बातों पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं

(श्री शंकरलाल)
समाजवाद की तरफ हमारे वित्त मन्त्रीजी ने थोडा बहुत अब ध्यान दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलालसिंह !

श्री नाथूराम (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का सवाल है जनरल बजट पर बहस चल रही है और दोनों तरफ के माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं और यहां कम से कम 5 मन्त्री बिराजे हैं अन्य मन्त्री भी उपस्थित रहें तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। आज मन्त्रि-मण्डल की संख्या को देखते हुये भी यहां और मन्त्रियों को उपस्थित होना चाहिये। महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। केवल एक मन्त्री के नोट करने से कुछ नहीं होगा। आपके द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिये। मन्त्री महोदय यहां उपस्थित होने चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर): बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी आपकी कई बार आज्ञायें हो चुकी है लेकिन राज्य सरकार के मन्त्री मानते ही नहीं हैं। इनकी तो आदत पड़ गई है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब एक या अधिक से अधिक दो मन्त्री देंगे। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं एक एक बात को नोट किया जा रहा है······

श्री नाथूराम : आप अकेले जवाब नहीं दे सकेंगे। आपसे आपके विभाग का तो पालन होता ही नहीं है सबका जवाब क्या दे सकेंगे। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, आप इन मंत्रियों के घरों पर टेली-वीजन सेट्स लगा दें तो आने की आवश्यकता ही नहीं है। वहीं पर बैठे सब कुछ देख सुन लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह !

श्री हरलालसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सन् 1970-71 के बजट पर तीन रोज से यहां सदन में चर्चा हो रही है। मैं भी 70-71 के बजट पर अपने विचार रखना चाहूंगा। आज राजस्थान ही नहीं हमारे सारे देश हिन्दुस्तान की जो आर्थिक हालत हो रही है, जो यह हवा चल रही है इतनी विकट स्थिति है कि उसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये। बजट में चाहे घाटा हो या नफा हो लेकिन जो स्थिति आज इस तरह की बन गई जिस पर हमें काबू पाना अति आवश्यक है। आप चाहे टैक्स लगायें या चाहे टैक्स न लगायें, आज जनता की जो स्थिति है वह यह है कि टैक्सों से जनता की कमर टूट रही है लेकिन फिर भी यह जनता इस देश के विकास के लिये और भी टैक्स बर्दाश्त करने को तैयार हैं लेकिन यह सरकार जनता को विश्वास मे ले और पूर्ण विश्वास दिलाये कि टैक्सों का पैसा देश के विकास में खर्च होगा तो यह जनता फिर भी तैयार है इस बात के लिये, चाहे कितना भी टक्स लगायें। आज जो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसमें मैं यूं कहूं तो अति-शयोक्ति नहीं होगी कि जितना पैसा राज्य सरकार योजनाओं पर या अन्य मदों पर खर्च करती है उसमें से 50 प्रतिशत उन

(श्री हरलालसिंह)

योजनाओं पर खर्च नहीं होता है । इसके लिये सरकार सोई हुई है । यदि यह सरकार कार्यवाही करे और इसको रोकने के लिये कटिबद्ध हो तो में समझता हूं कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है । आज जो पैसा 20 साल में खर्च हुआ है वह सही मायने में खर्च होता तो हालत दूसरी होती। आज भरमार टैक्सों की चोरी हो रही है। आपके ऑफिसर चोरी करा रहे हैं। जो टैक्स लगा हुआ है उसमें से 50 प्रतिशत भी वसूल नहीं होता है ।

आप अकाल पर पैसा खर्च कर रहे हैं। कल सदन में भी बात हुई थी हमारे यहां सीकर में अकाल सहायता समिति में भी इसकी चर्चा हुई थी और जिलाधीश ने भी इस बात को माना था कि वास्तव में जो 50 लाख अकाल सहायता पर खर्च हुआ है उसमें से 15-20 लाख गबन में गया है, भ्रष्टाचार में गया है । इसकी शिकायत मैंने सदन में की थी लेकिन मैं समझता हूं आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई यह भी बात नहीं है मैं सोचता हूं उन लोगों को प्रमोशन मिला होगा जिन लोगों ने पैसे खाये हैं। इस तरह की सरकार टैक्स लगाये चाहे कुछ भी लगाये लेकिन इस देश की काया नहीं पलट सकती है । मेरा विचार है आज राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। आज इस सदन के माननीय सदस्य चाहे वे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले हों उनका दामन साफ होना चाहिये इसके लिये मैं समझता हूं वैसे तो यह सारा सदन जिम्मेदार है चाहे विरोधीदल के हों और चाहे हां पक्ष के हों, मैं इस बात में कभी विश्वास नहीं रखता कि अखबार में शिकायत छाप दी और अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाय उनको पूरा प्रोटेस्ट करना चाहिये । इस सरकार द्वारा वह नहीं हो रहा है ।

एक सरकार जो इस तरह से अन्याय करे हम लोग इसको कब तक बरदाश्त करेंगे । हम कर लेंगे लेकिन यह जनता कभी बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगी। आज बंगाल में देखिये, केरल में देखिये। यह जो ज्वालामुखी फूट रहा है इसका मैं समझता हूं कि एक मात्र कारण यही है कि गरीब जनता को और मजदूरों को सताया गया है और आज वहां पर बगावत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह स्थिति सारे हिन्दुस्तान में आने वाली है। यदि यह सरकार समय रहते नहीं चेतेगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान देश को भुगतना पड़ेगा और मेरी भी मान्यता है कि यह प्रजातन्त्र भी खतरे में आ जायेगा। इसके लिए मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि वह खुद पहले अपने दामन को साफ करे और इसके लिए मेरा सुझाव है कि इस सदन के माननीय सदस्यों के लिए, जो जन प्रतिनिधि हैं उनके लिए, जो उंचे ऊंचे अधिकारी हैं उनके लिए इस तरह का कमीशन बैठाया जाये जिसमें कोई भी आदमी उनके चरित्र के बारे में शिकायत कर सकता है और वह कमीशन निष्पक्ष हो और वह अपना फैसला निष्पक्ष रूप से दे। आज जो मंत्रियों पर आरोप लगाये जाते हैं, जो सदस्यों पर आरोप लगाये जाते हैं मैं कहता हूं कि खुद को उनको तैयार रहना चाहिये कि आप किसी से भी इन्क्वायरी करा लें। कोई भी सदस्य, चाहे जिस अधिकारी या मंत्री की इन्क्वायरी करा सकते हैं। आजके माननीय सदस्यों में ऐसा मनोबल होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को

(श्री हरलालसिंह)

मिटा दिया जाये और मितव्ययता लाई जावे आज मिनिस्टरों के बंगलों को देखिये, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बंगलों को देखिए-उनके लिए कार चाहिए, चपरासी चाहिए और उनके बच्चों को घुमाने के लिए और सिनेमा जाने के लिए सहूलियतें चाहिए। इनकी शानोशौकत को मिटाओ। मैं तो खासतौर से मानता हूं कि भ्रष्टाचार और मितव्ययता पर सरकार गौर करे और असली रूप से मानवता से विचार करें और इसको लागू करें तो कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही आज सरकार के सामने कोई योजनाबद्ध योजना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज से आठ दस साल पहले जब पंचायती राज लागू हुआ तो उसमें यों ही अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा था। ग्राम सेविकायें थीं, कई एक्सटेन्शन ऑफिसर्स थे, नाचने के लिए पैसा था, घूमने के लिए पैसा था। उस समय सरकार ने यह नहीं सोचा कि इस पैसे का सदुपयोग किस तरह से हो। कोई योजना बनाई जाये उसके परिणामों के बारे में यह सरकार सोचे। आज पंचायती राज की स्थिति देखिये कि सिवाय मास्टरों के ट्रान्सफर और ग्राम सेवकों के ट्रान्सफर करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आप को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को ही देखिये। उसमें अनुदान और ऋण इस तरह से बांटा गया कि आज पता नहीं कि कौन पैसा ले गया, कौन खा गया, कहां का है और कहां का रहने वाला है।

इसी तरह से फैमिली प्लानिंग में अनाप शनाप खर्च किया जा रहा है। फर्जी रेकार्ड बनाये जा रहे हैं। एक कैम्प लगाया जा रहा है जिसमें हजारों रुपया खर्च हो रहे हैं या तो एक ऑपरेशन होगा या दो लूप लगायेंगे। इस तरह से मितव्ययता लाई जाये और भ्रष्टाचार को रोका जाये तो मैं समझता हूं कि कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारी श्री माधोपुर तहसील में काफी गांवों में बिजली पहुंच गई है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत बिजली मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारा ए० ई० एन० का कार्यालय नीम का थाना में स्थापित किया गया है। मैं समझता हूं कि वह हमारे क्षेत्र के बिलकुल कोरनर में है। मुझे आपत्ति नहीं है कि वहां क्यों स्थापित किया गया है लेकिन जहां कृषकों के पास ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंच गई है और जहां ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन हैं श्री माधोपुर, रींगस और उसके आसपास वहीं पर ए० ई० एन० का कार्यालय होना चाहिए। आप सोचिये कि रींगस का काश्तकार ए० ई० एन० कार्यालय में जाने के लिए नीम-का-थाना जावेगा और उसको वहां रात को रहना पड़ेगा तो कितनी उसको असुविधा होगी। पैसा उसके पास होगा क्योंकि वह पैसा जमा कराने के लिए जायेगा तो वह किस तरह से अपनी रात बितायेगा, वहां आने जाने का साधन भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और रींगस या श्री माधोपुर मे ए० ई० एन० का कार्यालय स्थापित करे इसके साथ ही साथ जो बिजली विभाग के द्वारा मीटर लगते हैं मैं समझता हूं कि वह ज्यादातर खराब होते हैं। खराब नहीं आते तो भी उपभोक्ता उनको

(श्री हरलाल सिंह)
खराब कर लेते हैं और आये दिन इस तरह के केसेज होते हैं कभी कनेक्शन कटते हैं और कभी कुछ होता है। कभी कम पैसा आता है और कभी ज्यादा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि बिजली बोर्ड मीटरों को हटा दें और कोई निश्चित रकम कर दें जिससे कि झंझट नहीं हो। चाहे मीटर चले या नहीं चले जैसा कि हमारे पास तिजारा में हो रहा है। इस तरह से यह समस्या दूर होगी।

दूसरा निवेदन यह है कि जो बिल आता है बिजली का उसके लिए काश्तकार या तो ए० ई० एन० कार्यालय में पैसा जमा कराये या फिर महीने की निश्चित तारीख पर कैशियर आता है पैसा जमा करने के लिए। उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होती है और वह सिर्फ तीन-चार घन्टे ही बैठता है और उस समय में पूरा पैसा जमा नहीं होता है। जब पैसा काश्तकार का समय पर जमा नहीं होता तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। इसके लिए सुझाव है कि कोआॅपरेटिव बैंक्स की जहां शाखायें हैं या स्टेट बैंक की हैं या कोई दूसरी एजेन्सी राज्य सरकार बनाये जिसमें उपभोक्ता अपना पैसा जमा करादे और वह पैसा बिजली बोर्ड में चला जाये तो अच्छा होगा।

इसके अलावा भूमि बंधक बैंक के बारे में जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है निवेदन करना चाहूंगा। इसके बारे में हमारे नीम-का-थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले भी चर्चा की थी। मुझे जहां तक जानकारी है इस बैंक ने करीब 13-14 लाख रुपये लोन के बांटे थे। उन्होंने सीधे 14 पर्सेन्ट कमीशन कर रखा था। इस बार वह डिजाल्व हुआ; कमीशन भी लिया कोई बात नहीं है लेकिन ऐसे केसेज आपको सैकड़ों मिलेंगे कि काश्तकार को आज तक पता नहीं कि उनके नाम कोई लोन भी है। ऐसा प्रश्न पहले भी आया था लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। इस तरह जो भ्रष्टाचार हुआ है जो गरीब काश्तकारों के लिए पैसा देना चाहते हैं उसको धनीमानी लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही जो सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार यह उम्मीद रखती है कि इसके छोटे काश्तकारों को फायदा होगा। मैं समझता हूं कि जो प्रोसीजर लोन देने का है उससे छोटे काश्तकारों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज एक साधारण कृषक है उसको लोन एप्लीकेशन भरना तो दूर रहा उसे पटवारी तक अपने पास नहीं बैठने देता। ऐसी स्थिति में कैसे वह गरीब काश्तकार लोन लेगा। इसके बाद भी बैंक मैनेजर को मौका दिखाने के लिए जीप चाहिये और वह भी एक दफा नहीं तीन दफा चाहिये। इस तरह से एक काश्तकार मंहगा लोन लेकर कैसे प्रगति कर सकेगा और छोटे कृषक को राष्ट्रीयकरण का क्या फायदा होगा ? राज्य सरकार को चाहिये कि वह जल्दी से जल्दी कृषकों को पासबुक दे दे। सरकार अनापशनाप खर्च कर रही है और यह कृषकों के हित का मामला है। इसमें यदि सरकार को फिजूलखर्ची उठानी पड़े तो महीने दो महीने के अन्दर पासबुक दे

(श्री हरलालसिंह)

देनी चाहिये जिससे बैंक और अन्य साधनों से लोन लेने में काश्तकार को बहुत सुविधा होगी। आज इस तरह की जो सरकार की हालत हो रही है और जो देश की हालत हो रही है मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक है। सरकार और विरोधी पार्टियों को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए।

इसके बाद जो प्रशासन में इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो अनियमिताएं चल रही है सरकार को इस पर काबू पाना चाहिए।

यह कांग्रेस वैसे ही मर चुकी है (व्यवधान) गांवों में ऐसा है कि मृतक के जनाजे के साथ जाते समय किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के मुंह से भी राम नाम निकलता है लेकिन इस कांग्रेस के जनाजे के साथ जाने वालों के मुंह से राम का नाम न निकले तो मैं समझता हूं कि इस देश का क्या होगा ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जनाजा तो आप लोगों का निकल रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : यह डागाजी आपके पाप का फल है।

श्री हरलाल सिंह : आपके पाप का घड़ा भर चुका है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सब आपके काले कारनामे आपके कारण है। कोर्ट का फैसला मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री हरलाल सिंह : इस बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये यह कुर्सी के मदहोश में इस तरह से पागल रही है और इस तरह से कार्य करती रही जो इस समय यह सरकार कर रही है और हमने इस देश को इस कगार पर खड़ा कर दिया है कि यह कभी भी गिर सकता है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि यह एक विस्फोट होगा। यदि इस स्थिति पर काबू नहीं किया गया तो भयंकर बिस्फोट होगा और खुनी क्रान्ति होगी और उसके लिए आप और हम सब को भुगतना पड़ेगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस सरकार को इस देश के हित के लिये अपने चरित्र को उज्वल बनाना चाहिये और प्रशासन को स्वच्छ और साफ करके जनता के साथ में न्याय करना चाहिये बस मैं इतना ही कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा नम्बर भी है तो सही ना ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : यहां से दो बोल चुके हैं और हमारी पार्टी का एक भी नहीं बोला है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई कि मुझे बोलने का अवसर दिया और सदन का मैं आभारी हूं कि सदन मेरी बात सुन रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं स्वागत कर रहा

(श्री रामनारायन चौधरी)

हूं। यह संतुलित बजट है जिसमें कोई अधिक टैक्स नहीं लगाए गये हैं। यह एक सौभाग्य की बात है। उपाध्यक्षजी, मैंने वित्त मंत्री के अभिभाषण को जो इस वर्ष दिया उसको पढ़ा है और गत वर्ष के भाषण को भी देखा है। गत वर्ष में भी उन्होंने अपने भाषण में काफी बातों का जिक्र किया था और आज हम देखते हैं कि उनकी क्रियान्विति नहीं हुई है। उन्होंने पिछले बजट के भाषण में कहा था कि हम राजस्थान में सस्ता न्याय सुलभ करने के लिए जुडिशियरी का सैपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि 12 महिने होने को आये हैं और जुडिशियरी के सेपरेशन का आदेश कर दिया गया है, लेकिन अदालतें खाली पड़ी हैं और वहां अधिकारी आज तक नहीं पहुंचे हैं।

इसी प्रकार गांधीजी की शताब्दी के वर्ष के अन्दर हरिजनों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं उन्होंने घोषित की थी उनमें से एक का भी इम्प्लीमेन्टेशन आज तक नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): चंदिया हरिजन को मार दिया संगरिया में फिर कैसे नहीं हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी: समाज कल्याण विभाग की जितनी योजनाएं है वे सब की सब अभी तक उनके पास पड़ी हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मेरे ख्याल से उनमें अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। इस प्रकार की घोषणाएं करने से कोई लाभ नहीं है कि जिनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता हो। देर से किसी काम का होना नहीं के बराबर है। हम जो कुछ कहते हैं और जो घोषणाएं करें उसका इम्प्लीमेन्टेशन जरूर होना चाहिए। देर से होने के बाद जो उसमें चमत्कार और गौरव होता है वह समाप्त हो जाता है। तो मैं वित्त मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने गत वर्ष में घोषणाएं की थी और इस बजट के वक्त में जो घोषणाएं की हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन जरूर होना चाहिए। उन्हें अपने भाषण के बाद यह देखना चाहिए कि उनका इम्प्लीमेन्टेशन कैसे हो रहा है, विभिन्न विभाग उनके भाषण में जो बातें कही गई हैं उनका एम्प्लीमेन्टेशन किस प्रकार से करें रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी कहूंगा कि बजट के वक्त में जो घोषणाएं कर चुके हैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में एक ब्यौरा अपने भाषण में लगाया करें।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: मैं माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए दो शब्दों में एक बात निवेदन कर देना चाहूंगा। जानकारी के अभाव में माननीय सदस्य अपने समय को जरूरी समझें तो जाया करें। आपने फरमाया कि समाज कल्याण की बहुत सी योजनाएं थीं जिनके बारे में आपका संकेत था जैसे कि भंगी कष्ट मुक्ति योजना और दूसरी योजनाएं तो उसमें यह बात थी कि यह जो प्लान एक्सपेन्डीचर के ऊपर अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बान लगाया था उसकी वजह से सारी राशि जिसका बजट में प्रावधान तो था लेकिन 15 जनवरी, 1970 को रिलीज होकर मेरे डिपार्टमेन्ट को मिला है। आपको यह पता नहीं था...

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): तो गवर्नमेन्ट रिप्लाई में क्यों नहीं बता दिया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, सब का उत्तर एक साथ ही दे दें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर प्लीज़।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडा रायसिंह) : उपाध्यक्ष जी, 15 जनवरी, 70 को दिया तो इस पौने दो महिने के समय में कितना किया ?

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री हीराभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब सदन में इधर-उधर से बजट भाषण के ऊपर नीति पर सदस्यों की ओर से वक्तव्य दिये जाते हैं और बुरी या अच्छी सभी बातें रखी जाती हैं तो नीति की घोषणा पहले करने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जब सरकार को टाइम था तो सरकार को उसी तरह की घोषणा करनी चाहिये जिन पर वह अमल करना चाहती है। बीच में उठकर नाटक करें तो यह जो सदस्य हैं इनका महत्व खत्म हो जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह नाटक थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार !

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा सु.) : माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया तो इसकी जिम्मेदारी किस की थी ? सरकार की थी या और किसी की ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : मेरे खयाल में आर्थिक परिस्थितियों की मजबूरी की बात को मुझको और आपको और दुनिया को मन्जूर करना पड़ेगा।

श्री नाथूराम : आदिवासी क्षेत्र के विकास का जो सवाल है तो हजारों आदिवासी लड़के मारे मारे फिरते हैं और हरिजनों को प्रोमोशन नहीं मिलता है और आपका विभाग बैठा रहता है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : सारे देश में आज बेकारी का जोर है तो हरिजन और आदिवासी भी कहीं न कहीं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आप सुन लीजिये इस बात को इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात ......

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं और जिनके हाथ में सदन का प्रांगण है उनको बोलने दें।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : कोई अनइन्फार्म्ड क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए इसलिए सूचना दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह इन्फर्मेशन बाद में दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बाधाएं क्यों डाल रहे हैं मन्त्री महोदय ? उनको स्पष्टीकरण करना हो तो गवर्नमेंट रिप्लाई में क्यों न करें। पिछले दिनों आपने कहा था कि हरिजनों को लोन दिया जाय लेकिन उसको आपने बन्द कर दिया और पुराने रीति रिवाज का कहा है, यह क्या तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर दूं कि इससे विवाद खड़ा हो जायेगा। यह होना चाहिए और यही परम्परा रही है उसी हिसाब से चलने दें और बाद में उत्तर दे दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये घोषणाएँ तो ज्यादा करते हैं और काम नहीं करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : लोगों को यह महसूस हो सके कि देर से जो काम किया जाता है उसका लाभ नहीं मिलता है।

श्री शम्भूलाल पटेल : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि मंत्री महोदय ने एक बात कही है कि बजट के मामले में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर।

श्री शम्भूराम पटेल (लालसोट सु.) : जो कहा है तो माननीय सदस्यों के बहुमत से इस बजट के मामले को आज ही तय कर लें तो उसका फल ले सकते हैं।

आज ही आज में हो सकता है। मंत्री क्या नहीं कर सकते ? माननीय मुख्यमंत्री जी कहें तो कोई भी मंत्री इसको कर सकते है जनता के हित का लिहाज रखते हुए। यही सदन से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : वित्त मंत्री जी ने आज की ज्वलन्त समस्या को समझा है और तदनुसार कार्यवाही करने की घोषणा की गई है। यह बात बहुत अर्से से महसूस की जा रही थी वृद्धावस्था पेंशन जो बीस रुपये थी वह बहुत कम पड़ती थी, उसको अब तीस रुपये करके बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन आपने इसका जो प्रोसिजर है उसका सरलीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं किया है। आज राजस्थान के अन्दर जो यह योजना है इसका लाभ उठाने के अन्दर जन साधारण असमर्थ है क्योंकि आपने जो प्रक्रिया पेंशन प्राप्त करने के लिए निर्धारित की है वह बहुत जटिल है और इस कारण गरीब आदमी उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण राजस्थान के वृद्ध लोगों को फायदा देने का मामला है, इसमें इसलिए जो प्रक्रिया रखी गई है, जो आयु का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की है, वह बहुत जटिल है उसका सरलीकरण होना चाहिए।

आपने अपने बजट में शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रेजुएटस् और पोस्ट ग्रेजुएटस् को स्टाइपेन्ड देने की घोषणा की है यह स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करता हूं कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षित बेकार हैं, बेरोजगार हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है।

इसके अलावा मैंने आपका बजट भाषण पढ़ा है, उसमें राजस्थान सरकार ने इकानामी कट के अन्दर करीब दो करोड़ रुपया की बचत करने की योजना रखी है। मैंने इस बात को ध्यानपूर्वक देखा है और जानकारी प्राप्त की है उससे पता लगता है कि इकानामी करने में आपने इन्साफ से काम नहीं लिया है। मुझे जानकारी मिली है कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपने इकनामी कट के अन्दर साधारण, लो पेड कर्मचारियों को प्रभावित किया है, जो काफी लम्बे अर्से से परमानेन्ट एम्प्लाई हैं उनको सरप्लस डिक्लेअर करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में प्रशासन के खर्च में कटौती की जानी चाहिए, वह कटौती सैद्धान्तिक और इन्साफी तरीके पर होनी चाहिए। आपको कटौती करते वक्त यह देखना चाहिए था कि बेकार के जो विभाग हैं और जो बेकार के अधिकारी हैं, वह सरप्लस हों। जो गजेटेड अधिकारी हैं, आई. ए. एस. और आई. पी. एस. उनकी संख्या आपको कम करनी चाहिए थी। क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान में एक भी आई. ए. एस. और आई.पी.एस. अधिकारी को सरप्लस घोषित किया है? जब कि आपने एल. डी. सी. और यू डी.सी. को असीमित संख्या में सरप्लस घोषित करने की तजवीज की है। आपको इकानामी करते वक्त यह सोचना चाहिए कि जो ऐसे विभाग हैं जिनकी आज कोई आवश्यकता नहीं है, उनको पहले खत्म करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान में रेवेन्यू बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड का खर्चा साधारण लोगों पर एक बोझ है, वह आपके बजट पर एक भार है। राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आप रेवेन्यू बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारियों की बड़ी बड़ी तनख्वाह देने में खर्च करते हैं। रेवेन्यू बोर्ड की यह स्थिति है कि कोई छोटा सा मामला हो साधारण नागरिक का तो उसके लिए रेवेन्यू बोर्ड में जाने में हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जब कि जिस मकसद के लिए वह रेवेन्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं उससे उसको उतना लाभ नहीं होने वाला है। मैं सुझाव के तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इकानामी कट करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए और रेवेन्यू बोर्ड का जो काम है, जो अपील वगैरह की पावर्स हैं वह हाई कोर्ट को दे देनी चाहिए।

मैं दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं इकानामी कट के सम्बन्ध में कि आज ऐसे अधिकारी हैं, जैसे पुलिस के एडीशनल आई. जी. हैं, एजूकेशन के अन्दर एडीशनल डाईरेक्टर ऑफ एजूकेशन हैं एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं बोर्डर रोड्स के और चीफ इंजीनियर हैं इर्रीगेशन के— इन पोस्ट्स पर दो दो व्यक्ति लगा रखे हैं—इनकी आवश्यकता नहीं है। इनको हटा देने से लाखों रुपये की बचत हो सकती है :

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट ऑफिसर आपने नियुक्त कर रखे हैं, वैसे मैं मानता हूं कि आज के जमाने में हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लायमेंट ऑफिसर होना बहुत जरूरी है. लेकिन आपने आज फ्रेश रिक्रूटमेंट बन्द कर रखे हैं, अब आपके पास रिक्रूटमेंट लोगों को देने की गुंजाइश रही नहीं है, फिर आपने एक एक हजार तनख्वाह पाने वाले एम्प्लायमेंट आफिसर जिलों में क्यों बैठा रखे हैं? अगर आपको आवश्यकता है एम्प्लायमेंट आफिस रखने की तो वह आप रखिये लेकिन उसको आप ट्रेजरी आफिसर के साथ में रख लीजिये। आज इतना काम नहीं है कि उसके लिए सैपरेट अधिकारी को हर जिले में बैठाया जाय। इसके साथ ही आपने उनके साथ इतना लवाजमा रखा है जिससे हमारी जनता की

(श्री रामनारायण चौधरी)

गाढ़ी कमाई का पैसा है वह उस पर खर्च हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट ऑफिसर की पोस्ट को खत्म कर दिया जाय और एम्प्लायमेंट आफिस को ट्रेजरी आफिसर के साथ में मिला दिया जाय।

इसके अलावा आपने हर जिले में सांख्यिकी अधिकारी रख रखे हैं। वह आंकड़े इकट्ठे करने का काम करता है। लेकिन वह आज किस बात के आंकड़े इकट्ठा करता है, आपने तो फाईव ईयर प्लान को खत्म कर रखा है, आज प्लान होली डे कर रखी है। वह आज किस बात के आंकड़े इकट्ठे करता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सांख्यिकी अधिकारी के पद को समाप्त कर दें।

इसके अलावा आपने हर जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी रख रखे हैं। हर जिले में समाज कल्याण का कितना काम है जो वह करेगा। मेरा निवेदन है कि आज यह आवश्यकता नहीं है कि अलग से उनका कार्यालय हर जिले में कायम करें क्योंकि एक जिले में केवल सात आठ छात्रावासों को अनुदान देने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट को खत्म कर दें और उस काम को विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से करायें।

मेरा निवेदन है कि इकॉनामी करने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को कम करना चाहिए और छोटे अधिकारी और कर्मचारियों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि इकॉनामी कट करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी नियुक्त की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो कमेटी इकानामी कट के लिए सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई है उसमें आई. ए. एस. अधिकारियों के साथ साथ जो लो पेड कर्मचारी हैं उनका कोई प्रतिनिधि था क्या? मेरी सूचना है कि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था जिसके कारण से उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती क्योंकि प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी बात उच्च स्तर तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। मेरा इसलिए सुझाव है कि राजस्थान में जब कभी कोई इकानामी कट करने का सुझाव आये तो उसके लिए जो कमेटी हो उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में छोटे कर्मचारियों की यूनियन का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि असलियत सामने आ सकती।

इकनॉमी कट के मामले में एक पुराना किस्सा है। बीकानेर स्टेट के टाइम में जब गंगासिंह जी का राज्य था, तब यह तजवीज हुई कि खर्च में कमी की जाय। महाराजा बीकानेर ने प्राइमिनिस्टर की सलाह पर एक कमेटी मुकर्रर की, उसके अन्दर एक पांच सौ रुपये का अधिकारी भी लगाया। उस कमेटी ने 6 महिने में सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में सिफारिश की कि इकॉनामी कट के अन्दर चालीस पटवारियों का रिट्रेंचमेंट किया जा सकता है। जब महाराजा ने रिपोर्ट पढ़ी तो एक अधिकारी को पूछा कि इन चालिस आदमियों पर कितना खर्चा होता है। उसने बताया कि एक पटवारी को दस रुपये देते है, दस रुपये के हिसाब लगा कर चालीस आदमियों का चार सौ रुपये होता है। तो महाराजा ने उस अधिकारी को बुलाया जिसने रिपोर्ट

(श्री रामनारायण चौधरी)

दी थी। उससे उन्होंने पूछा कि आप इस कमेटी में सर्व कर रहे थे, आपको कितने रुपये तनख्वाह मिलती है? उसने कहा, पांच सौ रुपये। स्टॉफ पर कितना खर्चा होता है? उसने स्टॉफ का खर्चा बताया? यह सुनकर तत्कालीन महाराजा ने कहा कि मैं चालीस आदमियों को रिट्रेंच करूं और चालीस आदमियों के घर के अन्दर अंधेरा करूंगा. इसको बजाय तो मैं चाहूंगा कि आपके घर में ही अंधेरा करूं।

तो यह कितनी अच्छी बात उस समय महाराजा बीकानेर ने कही थी, उसकी तुलना में आज जो छोटे छोटे एल. डी. सी. काम करते हैं, उनको ढाई सौ, तीन सौ रुपये तनख्वाह देते हैं, उसकी तुलना में आपने आई. पी. एस. अधिकारी को एडीशनल आई. जी बना रखा है, उसको आप तीस हजार रुपया सालाना वेतन के तौर पर देते हैं, इसके अलावा मैडिकल रिऐंबर्समैंट अलग है, टी. ए. डी. ए. का खर्चा अलग है और है और कार्यालय के लवाजमे का खर्चा अलग है। काम क्या है। जो काम है वह खुद आई. जी. कर सकता हैं। फिर भी एडिशनल आई. जी. दे रखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसके पास क्या काम हैं जब कि पुलिस का काम जो है...

श्री रामचन्द्र आर्य : वह सरकार को बढ़िया बढ़िया माल लाकर देता है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसको देखने के लिए मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं और गृह विभाग के जो पहले नहीं थे, अब होम कमिश्नर और आपने रखा हैं, यह पद और बनाया हैं। तो होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और होम कमिश्नर इतने आदमी उस काम को देखने वाले हैं, इनके अलावा आई. जी. भी है। फिर एडीशनल आई. जी. क्यों रख रखा है।

इसी प्रकार से एडीशनल डाईरेक्टर ऑफ एजूकेशन की दो पोस्ट हैं, एक कॉलेज का अलग बना दिया और दूसरा अलग बना दिया क्या जरूरत है आज इन अलग अलग पोस्टों की। चीफ इन्जीनियर पी.डब्लू.डी. के पास आज कोई काम नहीं है। नवाब साहब से किसी भी सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि चीफ इन्जीनियर पी. डब्लू. डी. पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है जब कि उनके पास कोई काम नहीं है। क्यों नहीं इस खर्च में कमी की जाती है।

जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि आज राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिये पैसे का अभाव हैं, उसका काम जिस तरह चलना चाहिये नहीं चल रहा है तो फिर कैनाल बोर्ड बनाकर कैनाल चीफ इन्जीनियर पर क्या इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इरिगेशन का चीफ इन्जीनियर अलग बना रखा है, इरिगेशन के चीफ इन्जीनियर पर क्यों इतना खर्चा किया जा रहा है। आज अलग अलग इन चीफ इन्जीनियरों की क्या जरूरत है। क्यों हजारों रुपया, लाखों रुपया इन चीफ इन्जीनियरों के कार्यालयों पर और इनकी तनख्वाहों पर खर्च किया जा रहा हैं। क्यों नहीं दो चीफ इन्जीनियरों की जगह एक ही चीफ इन्जीनियर रख लिया जाता यह एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनोमी क्यों नहीं की जाती।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह 40 आदमियों की फालतू फौज बना रखी है, इसको कम क्यों नहीं करते।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए तो ये खुद भी उम्मीदवार हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं यह निवेदन कर रहा था कि इकोनोमी करने के लिए हमारे प्रिन्सिपल्स होने चाहिये। जो इकोनोमी कट करने के लिए प्रस्ताव किये गये हैं, उनमें फाइनेन्स मिनिस्टर को पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि वे पूरी तरह से उन इकोनोमी कट के प्रस्तावों के अन्दर तक नहीं गए हैं, जो वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको रिपोर्ट दे दी है, उस ही को इन्होंने स्वीकार किया है। वरिष्ट अधिकारियों ने रिपोर्ट दे दी कि इस विभाग के लिए एक एडिशनल सेक्रेट्री होगा, इस विभाग में एडीशनल हैड आफ दी डिपार्टमैंट होगा चाहिए, क्योंकि उच्च अधिकारियों के दिमाग में यह कन्सीडरेशन रहा है कि यह अधिकारी तो इस स्थान पर रहना ही चाहिए क्योंकि यह मेरा मित्र है, यह मेरा रिश्तेदार है। इस प्रकार के कन्सिडरेशन से प्रशासन पर बड़ा भारी भार पड़ता है।

प्रशासन में बैठे हुए आदमियों पर आज यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे किसी के दिल में, खास तौर से अपने मातहतों के दिल में इस प्रकार की किंचित मात्र भी शंका पैदा नहीं होने दें कि उनके निर्णय न्याय से प्रभावित न होकर और किसी तरह से प्रभावित हैं। प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी के निर्णय केवल न्याय से प्रभावित होने चाहियें, इन्साफ से प्रभावित होने चाहिये। अगर उनके निर्णय न्याय से प्रभावित होंगे तो असंतोष बढ़ेगा और असन्तोष के परिणाम बड़े भयकर होंगे असंतोष के क्या परिणाम होते हैं, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकतन्त्र तभी मजबूती से कायम हो सकता है जब कि इन्साफ के तरीकों को अपनाया जाय। इन्साफ की वेल्यूज को बढ़ायेंगे तभी लोकतन्त्र पनप सकता है। वरना लोकतन्त्र को खतरा बढ़ेगा और एक तन्त्र की संभावनाएं देश में पैदा हो जायेंगी और इससे बड़ी ही भयंकर स्थिति देश में पैदा हो जायगी। जिस लोकतन्त्र के लिये हम लड़े है, लाखों लोगों ने कुर्बानियां की, उस लोकतन्त्र को हम अपनी कार्यवाहियों से खतरे में डालें इससे बढ़ कर दुर्भाग्य देश का और हमारा और क्या हो सकता है? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन्साफ के तरीकों को लागू करें।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बजट के अन्दर कोई इस प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणा नहीं है जिसके बारे में हम यह कह सकें कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ बातों का जिक्र इनमें किया गया है, कुछ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए सुविधाओं की घोषणा की गई हैं ग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट लोगों को भत्ता देना, 20 से 30 रुपया ओल्ड एज पेन्शन का कर देना, शिड्युल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो काश्तकार हैं उन्होंने अगर पम्पिग सेट्स के लिये कोई लोन लिया है तो उस लोन को इन्ट्रेस्ट फ्री कर देना, यह इस प्रकार की बहुत मामूली घोषणाएं हैं और मामूली बातें हैं। इनको ले कर हम नहीं कह सकते कि हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए हमें हमारे दृष्टिकोण

(श्री रामनारायण चौधरी)
में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, हमें उन मौलिक सिद्धान्तों पर टिकना होगा जो पूज्य बापू और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें मार्गदर्शन के रूप में दिखा गये हैं।

आज हम इस गरीब मुल्क में रह रहे हैं, विशेष तौर से हम राजस्थान में रह रहें हैं जो और भी पिछड़ा हुआ प्रान्त है, जो हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए प्रान्तों में नीचे से एक या दो नम्बर पर आता होगा। हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं। हमें हमारे प्रान्त की इकोनोमी को ठीक करना होगा। हम अगर अपनी इकोनोमी को ठीक करना चाहते हैं तो हमें इकोनोमी के मौलिक सिद्धान्तों पर टिकना होगा। अब आप टैक्सेशन से हमारे प्रान्त के रिसोर्सेज को नहीं बढा सकते क्योंकि आज आपका टैक्सेशन चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और टैक्स अब राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो प्रश्न यह पैदा होता है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, कल्याणकारी राज्य कायम करने के लिये कैसे आमदनी को बढ़ावें। राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिये हमें और सरकार को नये साधन तैयार करने होंगे। नये साधनों को पैदा करने के अन्दर हमें राष्ट्रीयकरण पर विश्वास करना होगा। राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार स्वयं उद्योग धन्धे चलाये, आमदनी वाले जरियों को प्राप्त करें। अगर उनको प्राप्त करने की स्थिती में नहीं है तो जिस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिद्धान्त तय किये थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पक्ष के थे कि हमें मिक्स्ड इकोनोमी चलानी चाहिये। प्राइवेट इन्डस्ट्रीज हैं, प्राइवेट उद्योग धन्धे है वे भी फ्लोरिश करें, इनके साथ साथ स्टेट एन्टरप्राइजेज भी चला चाहिये। वे नहीं चाहते थे कि जो उद्योग धन्धे प्राइवेट सैक्टर में चल रहे हैं, उनको सरकार ले ले और उन्हें सरकार चलाये, इसमें पंडितजी को विश्वास नहीं था वे चाहते थे कि सरकार नये क्षेत्रों को तलाश करे और उन नये क्षेत्रों में स्टेट एन्टरप्राइजेज चलायें, कल कारखाने खोले, इन्डस्ट्रीज चलाये, प्राइवेट एन्टरप्राइजेज भी फलोरिश करें और स्टेट एन्टरप्राईजेज भी उनके मुकाबले में फलोरिश करें। यह पंडितजी का मौलिक इकोनोमिक सिद्धान्त था। आज हमें चाहिये कि हम उनकी योजनाओं से लाभ उठायें।

मैंने जानकारी की है और मुझे मालूम हुआ है कि आज जितने सरकारी इन्टर प्राईजेज हैं, आज जितने प्रोजेक्टस सरकार चला रही है, वे सबके सब घाटे में चल रहे हैं, एक भी प्रोजेक्ट मुझे ऐसा नहीं बताया गया है जो फायदे में चल रहा हो। गंग कैनाल को छोड़कर जो पुरानी स्टेट के जमाने से चली आ रही है, बाकी सब इरिगेशन प्रोजेक्ट घाटे में चल रहे हैं, सारी इन्डस्ट्रीज घाटे में चल रही हैं, सारे सरकार के प्रोजेक्टस घाटे में चल रहे हैं, रोड़वेज घाटे में चल रही हैं। मुझे यह जानकारी दी गई कि राजस्थान रोड़वेज मुनाफे में चल रही है, जब से नान ऑफिशियल चैयरमैन रखे गये हैं तब से रोड़वेज लाभ में चल रही है। आंकड़ों की हेराफेरी हो सकती है। मेरी निश्चित धारणा है कि यहां किसी भी इन्डस्ट्री, किसी भी फैक्टरी या किसी भी प्रोजेक्ट के बजट में मुनाफा और घाटा दिखाने के लिए आंकडों की हेराफेरी आसानी से हो सकती है। अगर इसे सही भी मान लिया जाय कि रोड़वेज मुनाफे में चल रही है तो हमें यह देखना होगा कि आज राजस्थान रोड़वेज की एफिसियेन्सी किस तरह की है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजस्थान रोडवेज की गाड़ियों को आपने देखा है। राजस्थान रोडवेज जैसी गंदी और आउटडेट गाड़ियां हिन्दुस्तान के किसी और प्रान्त में नहीं हैं। हरियाणा की रोडवेज की गाड़ियों को देखिये, पंजाब की रोडवेज की गाड़ियों को देखिये, वहां, गाड़ियां कितनी अच्छी हैं, कितने समय पर चलती हैं, कितनी पैसेन्जर्स को सुविधा है। तो यह सब देखते हुये मैं कह सकता हूं कि हमारी राजस्थान की रोडवेज चल रही है, वह फायदे में नहीं चल रही है। हमारे यहाँ की रोडवेज की गाड़ियों में पेसेन्जर्स को कोई सुविधा नहीं हैं। इस तरह से तो जितनी प्राइवेट बसेज चल रही हैं उन सब को बन्द कर के अपनी गाड़ियां चला दो और लोगों को सुविधा मत दो तो इससे आप और भी ज्यादा फायदे में चल जायेंगे। पर यह तो एक्सप्लोइटेशन हो जायगा। एक्सप्लोइटेशन कोई भी करे, चाहे प्राइवेट बस ओनर्स एक्सप्लोइटेशन करे चाहें, स्टेट एक्सप्लोइटेशन करें, मैं उसको बुरा मानता हूं, एक्सप्लोइटेशन किसी के द्वारा नहीं होना चाहिये। हमें पैसेन्जर्स को सुविधाएं देकर एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये। आज रोड़वेज की गाड़ियां खराब हैं, पेसेन्जर्स को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, आज अगर रोड़वेज को फायदा है तो वह पैसेन्जर्स की कोस्ट पर फायदा हो सकता है।

इसी तरह से दूसरी जो सरकारी इन्डस्ट्रीज हैं वे भी घाटे में चल रही हैं। गंगानगर शुगर इन्डस्ट्री को ले लीजिये और और इन्डस्ट्री को लीजिये, सब घाटे में चल रही हैं। आज आप आमदनी के रिसोर्सेज बना नहीं रहे हैं, आपकी सारी इन्डस्ट्रीज, सारे प्रोजेक्ट्स घाटे में चल रहे हैं, घाटे को कम करने के लिये आपने 3 करोड़ के टैक्सेज प्रोपोज किये हैं, आखिर आप कहां तक टैक्सेज प्रोपोज करते जायेंगे ? कहने के लिए आप कहते हैं कि इन टैक्सेज का भार आम जनता के ऊपर नहीं आयेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन टैक्सेज का भार आम जनता पर आयेगा। सबसे पहला उदाहरण दिया जाता है पैट्रोल के टैक्स का, आप कहते हैं कि इन टैक्सेज का बोझा आम जनता पर नहीं आयेगा पर इस पैट्रोल के टैक्स से आम जनता पर बोझा आयेगा। आज 90 परसेंट पैट्रोल का कन्जम्पशन जो आपकी यात्रा गाड़ियां चलती हैं, प्राइवेट टैक्सीज चलती हैं उनमें पैट्रोल खर्च होता है। सरकारी अधिकारी पैट्रोल का खर्चा करते हैं वह बोझा किस पर आयेगा, वह आपके खजाने पर खर्चा आयेगा और खजाने में पैसा आता है आम जनता के पास से। तो मैं निवेदन करूंगा आज कोई ऐसा टैक्स प्रोपोज नहीं किया जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ता हो। आप अधिक दिन तक अधिक टैक्स लगा कर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ा कर आमदनी बढ़ानी होगी, यह नहीं करेंगे तो काम नहीं चल सकेगा।

दूसरा मैंने यह देखा बजट में कि विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में कहा गया है कि अब की बार हमने 7,000 कुओं को बिजली दी और चालू वर्ष में 10,000 कुओं को बिजली देने का कार्यक्रम बना रहे हैं। 10,000 कुओं से क्या होगा उधर हरी क्रांति की बात करते हैं। आज जिन जिलों में न कोई उद्योग लगा रखे हैं, न कैनाल है न बंधे हैं सिचाई के साधन नहीं हैं, उनके विकास के लिए क्या कार्यक्रम है ? उन जिलों में सिवा बिजली के कोई कार्यक्रम नहीं है वहां किसानों को तरक्की

(श्री रामनारायण चौधरी)
करने के लिए, आप अपनी खुद की आमदनी बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र में बेकारी को दूर करने के लिए बेरोजगारी को दूर करने के लिये सिवाय बिजली के और कोई रास्ता नहीं है। उदाहरण के लिए झुंझुनूं सीकर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां सिंचाई की सरकार की योजना नहीं है।

तो आप इन दस हजार कुओं के बजाय बीस हजार का कार्यक्रम बनायें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या लाभ हुआ बैंक राष्ट्रीयकरण से। परन्तु और क्या फायदा हुआ? जैसा वितमन्त्री ने कहा है :

"सब तरह के लोग साकी,
आज तेरी महीफल में हैं।
जिस तरफ देखा न,
अब तक उस तरफ देखा तो है।।"

सात हजार कुएं तो पहले ही दे दिये हैं। अब तीन हजार और बढाए हैं। क्या देखा है? यह जो उन्होंने पैरा 119 में भाषण का समापन करते हुए कहा है ...

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : कैसे नहीं देखा है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : साकी देखा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : पैरा 119 में लिखा है; "श्रीमन्, इन शब्दों के साथ" याने उपरोक्त शब्दों के साथ, में 1970-71 के बजट के तखमीने सदन के समक्ष विचार एवं स्वीकृति के लिए पेश कर रहा हूं।

इसका मतलब 1947 के बाद 1969-70 तक हमने इधर देखा ही नहीं। मैं वित्तमंत्री के वाक्य से असहमति प्रकट करता हूं कि 22 साल में आपने नहीं देखा। यह मेरे ख्याल से सोच विचार की बात नहीं है। देश बहुत आगे बढ़ा है। देखा है, कैसे नहीं देखा है। आज जन साधारण की प्रगति हुई है. जन साधारण का विकास 23 साल में जो हुआ है वह प्रशंसनीय है, किसी भी देश के साथ तुलना नहीं कर सकते कि लोकतंत्र को कितना पनपाया है और समाजवाद को आगे बढ़ाया है। हमने काफी तरक्की की है। लेकिन जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है।

उपाध्यक्षजी, जो टैक्सेज सरकार ने लगाये हैं, सरकार ने जो प्रोपोज किए हैं, उनमें कुछ कर ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध आम लोगों से हैं। आम लोगों पर आपने कर प्रोपोज किया है। गोटा किनारी पर टैक्स लगाया है। जो चांदी व सोने की गोटा किनारी है, उस पर भले टैक्स लगायें लेकिन जो नकली गोटा किनारी है, उसको कर से मुक्त करें।

आपने कापियों पर कर लगाया। मैं मानता हूं, आपने अपने भाषण में संकेत किया है कर चोरी को रोकने के लिए आपने एक्सरसाईज बुक्स पर कर लगाया, इस बात को ध्यान में रखकर आपने शायद इस पर कर लगाया और करीब 10-15 लाख होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इस रकम को खोयें। लेकिन नोट बुक्स, जो छात्रों के लिए हैं, उनके लिए रास्ता निकालें कि विद्यार्थियों को कर नहीं देना पड़े। जैसे आपने कहा हैं, स्कूलों के अन्दर बिक्री की व्यवस्था करेंगे लेकिन देहातों में किस प्रकार व्यवस्था करेंगे ? जो ग्रामीण क्षेत्र में

(श्री रामनारायण चौधरी)
प्राईमरी से हायर सेकेन्डरी तक के बच्चे पढ़ते हैं; उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनको कर नहीं देना पड़े, इसका कोई संकेत आपने नहीं दिया है।

दूसरे चुनड़ियों पर 15 से अधिक की कीमत की बंधेज की चुनड़ियों पर आपने कर लगाया। हमेशा जब बजट अधिवेशन होता है, उस समय चुनड़ी पहनने वाले आदमी इस बात की मांग करते हैं और व्यापार करने वाले व्यापारी भी इस बात की शिकायत करते हैं कि ये बंधेज की चुनड़ियां हैं, 90 प्रतिशत साधारण लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और 15 तक आपने कर से मुक्त किया है तो 20-25 की जो चुनड़ी होगी उसका भी 15 दिखाकर बिक्री कर से बच जायेंगे। इसमें सरकार को कोई कर की आमदनी नहीं होती है। बंधेज की चुनड़ी जो स्थानीय लोग बांधते हैं और जो बिक्री होती है उसको आप कर से मुक्त करने की कार्यवाही करें। तो आप सेल्स टैक्स विभाग से मालूम करें कि इन चुनड़ियों पर कर लगाने से सरकारी खजाने को कुछ आमदनी नहीं है। 15 से ऊपर की जितनी चुनड़िया है। तो बेचते समय 15 से कम दिखाते हैं और बहुत कम 15 से ऊपर की चुनड़ियां हैं। आज गांवों के अन्दर थोड़ा विकास हुआ है, लोगों की आमदनी ठीक हुई है और सुपिरीयर क्लास की चुनड़ियां बनाना शुरू हुआ है। तो इस पर जो कर है,

(घंटी)

आप मेहरबानी करके घोषणा करके इसको वापिस लें।

कल यहां चर्चा चली थी कि 23 साल के राज के अन्दर मानव की कीमत नहीं बढ़ी, इनसान की कीमत नहीं बढ़ी, पैसे की कीमत या पद की कीमत है। यदि लोकतंत्र में मानव की कीमत न हो तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। आप इस बात को मानेंगे कि आज यदि समाज के अन्दर मानव की कीमत न हो, इन्सान की कीमत न हो तो आप क्या कल्पना कर सकते है कि उपचुनाव में एक साधारण कार्यकर्ता से जयपुर महाराजा का लड़का हार सकता है? यह लोकतंत्र की देन है जिसने ह्यूमन वैल्यूज को ऊंचा उठाया है और आज एक साधारण आदमी सीने को तानकर हिम्मत कर सकता है और ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : ह्यूमन वैल्यू बढ़ी नहीं है, करेक्टर गिरा है।

श्री रामनारायण चौधरी : उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि ह्यूमन वैल्यूज गिरी हैं। मैं उनसे कल पूछ नहीं सका। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि समाज और देश में आजादी के बाद ह्यूमन वैल्यू नहीं बढ़ती, काम की कद्र नहीं होती तो महारावल डूंगरपुर के मुकाबले में 1952 व 1915 के अन्दर श्री भोगीलाल पांडिया जीतकर कैसे आ सकते थे। महारावल ने लोकतंत्र के हिसाब से लोगों की सेवा की तब दस साल बाद जनता ने उनको मौका दिया और वह यहां 1962 में आए। लोकतंत्र में जो ह्यूमन वैल्यू की जो प्रगति हुई है, उसी सब का प्रमाण है। ह्यूमन वैल्यूज तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक लोकतन्त्र नहीं पनपेगा। लोकतन्त्र को पनपाने के लिये समाजवाद लाना होगा।

(श्री रामनारायण चौधरी)

लोकतन्त्र में जब तक आर्थिक मोनोपोली, कुछ लोगों के पास असीमित अधिकार और सुविधायें रहेंगे, तब तक लोकतन्त्र बढ़ नहीं सकता। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह संकेत दिया है कि राजाओं को मिलने वाले प्रिवीपर्स, विशेष भत्ते और सुविधाओं को हटाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि सरकारी खजाने पर इसका विशेष असर नहीं पड़ेगा। मामूली असर पड़ेगा। 280 करोड़ का हमारा बजट है उसमें से तीन चार करोड़ के भत्ते और विशेष सुविधायें दे रहे हैं। लेकिन दृष्टिकोण का फर्क है। कोई प्रिविलेज्ड क्लास हमारे देश में नहीं रहेगी। सब समान होंगे। आज राजाओं के पास असीमित साधन है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ महाराजा जयपुर, महारावल डूंगरपुर चुनाव लड़ें और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में नाथू भाई और मैं चुनाव लड़ूं तो क्या जीत सकते हैं ? यह लोकतन्त्र फिर कैसे पनपेगा ? जबतक साधन सम्पन्न को समान स्तर पर नहीं लावेंगे और इलीमिनेट नहीं करेंगे तब तक लोकतन्त्र पनप नहीं सकता, देश प्रगति नहीं कर सकता। मेरे और दूसरे आदमी के साधन बराबर करके फिर दौड़ कराइये। हमारे यहां पार्लियामेन्ट का चुनाव लड़ा गया। बिड़लाजी के मुकाबले एक साधारण आदमी था, क्या वह उनका मुकाबला कर सकता था ? तीसरा केन्डीडेट कम्युनिस्ट पार्टी से था, राजनैतिक विचार धारा का फर्क है, उसने चुनाव लड़ा था और उसको 75 हजार वोट मिले थे। ह्युमन वैल्यूज थीं इसीलिये तो 75 हजार वोट आये। दूसरी तरफ इतने बड़े साधन लगे हुए थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था। तो एक तरफ तो इतने बड़े साधन सम्पन्न हैं और दूसरी तरफ वह आदमी है जिसके पास झुंझुनू जाने तक का भी किराया नहीं है। यह कैसी विडम्बना है ? लोकतन्त्र तब ही पनप सकता है जब आप समाजवाद को जोड़ेंगे। वित्त मंत्री जी ने कहा कि समाजवाद की तरफ ध्यान नहीं गया। सन् 1954 में जब ढेबरभाई कांग्रेस अध्यक्ष थे तो पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पास किया था कि देश में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। उनको मौका नहीं मिला और ऐसे डवलपमैन्टस हुए.....

श्री उपाध्यक्ष। अपना भी दो मिनिट का समय रहा है और जल्दी करना है।

श्री रामनारायण चौधरी : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं, दो मिनिट में। लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिये, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं, हमें समाजवाद लाना होगा राजा महाराजाओं ने प्रिवीपर्स, भत्तों और जो उनके विशेषाधिकार हैं। सलामियां, गाड़ियों पर टैक्स नहीं, पुलिस जुर्म करने पर भी उनका चालान नहीं कर सकती उन सब को हटाना होगा। इनके साथ समझौते थे वे राजनैतिक समझौते थे। राजनैतिक समझौते हमेशा टिकाऊ नहीं होते हैं। आर्थिक समझौतों की ही वैल्यू होती है समाज में। राजनैतिक समझौतों की वैल्यू नहीं होती। समाज जिस तरह से बदलता जावेगा उसी प्रकार राजनैतिक समझौते भी बदलते जावेंगे। आगे भी बदल हैं इसलिये बजट भाषण में जो संकेत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): राजनैतिक समझौते की कोई वेल्यू नही है यह तो इन्डीकेट और सिन्डीकेट से पता लग गया है

श्री रामनारायण चौधरी : परिस्थितियों के अनुसार बदलते आये हैं। हमेशा बदले हैं और कभी बीस साल टिके नहीं। यह तो 23 साल हमने ही निभाया है और मुआवजा देकर भी पिंड छुड़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ भी जो आर्थिक मोनोपोलिस्ट्स हैं, 78 आदमियों की जो मोनोपोली है, उनको भी खत्म नहीं करेंगे तो लोकतन्त्र पनप नहीं सकता। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता, समय सीमा दस मिनिट।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : दस मिनिट में क्या होगा। 15 मिनिट तो दीजिये। दूसरों को तो काफी समय दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने 45 मिनिट ले लिये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, पी. सी. सरकार बड़े जादूगर हैं और उसने जो जादू बताये उससे हम अचम्भे में पड़े, लेकिन हमारे वित्त मंत्री उनसे कम जादूगर नहीं हैं। सबको इस प्रकार हिप्नोटाइज किया है कि आश्चर्य होता है। भयंकर अकाल की घोषणा से केन्द्र से खूब रुपया मिला, लेकिन शराब अकाल में खूब बिकी। लोगों को खूब शराब पिलायी, अकाल में तो रोटी की चिन्ता होती है लेकिन शराब पिलाते रहे। हम लोगों को हिप्नोटाइज किया शराब बन्दी की घोषणा करके कि तीन जिलों में शराब बन्द कर रहे हैं।

(11.6 म. पू.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

पूरे राजस्थान में दो दिन ड्राई डेज थे और इतना होते हुए भी शराब की आमदनी खूब बढ़ी। तीन जिलों को और लिया गया और यह कहा गया कि हम गांधीजी के उस कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। तीन जिले और लिये लेकिन शराब की आमदनी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। ड्राइडेज के मुकाबले पूरे जिलों को लिया उसका तो मैं स्वागत करता हूं। शराबबन्दी की नीति है तो उस पर तो कायम रहना ही चाहिये। राज्यपाल महोदय ने घोषणा की थी कि 1 अप्रेल, 1972 से कम्प्लीट प्रोहिबिशन होगा। उस विचार पर आप कायम रहेंगे, इतना मुझे विश्वास है। यदि आप कायम नहीं रहे तो आपकी शराबबन्दी की नीति सही नहीं है। अगर आप सचमुच शराब बन्द करना चाहते हैं तो फिर एक साल ही रहा है आप कृपा करके तीन चार जिलों का तो एक साथ ही कीजिये। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, और पाली को ले लीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद (बीकानेर) : बीकानेर को भी ले लीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा। जहां के लोग चाहते हैं वहां ले लीजिये। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि टैक्स बढ़ा दिया है। टैक्स बढ़ा देने से शराब बन्द नहीं होगी। पंचायतों ने भी टैक्स लगाने की बात की थी। उसका विरोध किया गया, क्योंकि इसकी आमदनी का चस्का लग जावेगा तो बड़ी मुश्किल हो जावेगी। टैक्स बढ़ाया उससे फायदा नहीं होने वाला है। इल्लिसिट डिस्टिलेशन होगा और नाजायज

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
शराब लोग पीयेंगे। आपने सेल्स टैक्स इसीलिए लगाया था कि शराब की आमदनी से पिन्ड छूट सके, लेकिन आप तो टैक्स बढ़ा रहे हैं और शराब की आमदनी को बढ़ा रहे हैं फिर आपको शराबबन्दी करने में बड़ी दिक्कत होगी इसलिये मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि शराब पर अधिक टैक्स लगावें।

मुझे बहुत कम समय मिला है इसलिये इस विषय को समाप्त कर टैक्सों के परिणाम क्या हुए हैं वह अर्ज करना चाहता हूं। बीस साल में जबसे आजादी आयी है उत्तरोत्तर टैक्स बढ़ाये गये हैं लेकिन फिर भी क्या न्याय मिलने लगा है ? सुरक्षा और तरक्की हुई है ? दो-तीन मिसालें देना चाहता हूं। मांडलगढ़ में सब-इन्सपेक्टर हैं गोकुललाल जी। उनका बाला-बाला एपाईन्टमेन्ट हुआ मांडलगढ़ थाने पर जिले में नियुक्त कर देते तो एस. पी. अपना इच्छा से थाने पर भेजते लेकिन थाने में बाला बाला ही एपॉइन्ट कर दिया। वह एस. पी. की क्या सुनगे ? फलासिया गांव में कत्ल हुआ। कातिल तुरन्त थानेदार के पास पहुंचा जिसका बच्चा कत्ल हुआ, 25 साल का नौ जवान, उस नौ जवान के बाप को पकड़ाया। बाप को पकड़कर 4 दिनों तक हिरासत में रखा और उसके गुप्त अंगों पर पत्थर बांधे। इस तरह के कृत्य किये जाते हैं।

दूसरा मिसाल मैं और रखना चाहता हूं। कुछ व्यापारियों का लेन-देन का झगड़ा था। उनमें से एक महाजन सब-इन्सपेक्टर के पास पहुंचा और उसने उसको रास्ता बता दिया। दूसरे दिन महुवा जाकर दूसरे महाजन के साथ में हथकड़ी डाल दी। यह कहा गया तुमने अनाज की चोरी की है। परन्तु बाद में 100) रुपये लेकर उसकी हथकड़ी खोल दी और उसका चालान पेश कर दिया। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसके सब-इन्सपेक्टर दोनों तरफ कोई भेद नहीं करते। इसलिये वे बधाई के पात्र हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपके भाषण में डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता लेकिन यह जो आप कह रहे हैं यह आप जब पुलिस विभाग के कटौती प्रस्ताव हों उस समय भी कह सकते हैं। बजट भाषण विवाद के ऊपर जनरल एप्रोच, जनरल पॉलिसी के ऊपर आप अपने विचार प्रकट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसलिये कह रहा हूं कि इधर तो उत्तरोत्तर कर बढ़ रहे हैं और हालत क्या हो रही है। हम कर का विरोध नही करते हैं। कर लगाना ठीक है। परन्तु सरकार यह देखे :

कर लागे सो टीक पण चिन्ता केवल एक।
दुह कर गो को दूध दें सड़क ऊपरे फैंक।।

यह जो आप गाय को दूह रहे हैं उसको दूह करके सड़कों के ऊपर फैंक रहे हैं।

सभापति जी, जितने भी एलॉटमेंट मेरे क्षेत्र में हुए हैं उनके अन्दर भयंकर अत्याचार और अनाचार हुआ है, ऐसा शायद राजस्थान के अन्दर कहीं नहीं हुआ होगा। मैं आपको उदाहरण बतलाऊं। बिजौलिया में 3-4 बीड़ जंगलात के थे उसको रेवेन्यू मिनिस्टर से मिल कर कुछ लोगों ने एलॉट करा लिया। अब दो साल हुए इस बीड़

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
को कुछ किसानों के नाम एलॉट कर दिया। जो पहले हुक्म ले जाने वाले थे वे 'पहले' के राजस्व मन्त्रीजी का हुक्म लेकर आते हैं और कब्जा करने की चेष्टा करते हैं ....

एक माननीय सदस्य : बृजसुन्दर जी होंगे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जी हां, वे ही थे।

सभापति जी, पंचायती राज के मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका थाण्डलगढ़ में जो ग्राम सेवक हैं उन्होंने वहां क्या किया ? उन्होंने जमीन पर नाजायज तौर पर काश्त की। उस काश्त को, उस फसल को एस. डी. ओ. ने कुर्क कर लिया और उसको नीलाम कर दिया। फिर कुछ लोग बीच में पड़े और यहां से आदेश हुआ कि उसको फसल वापस कर दी जावे। यह आप करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक आप नैतिकता नहीं लायेंगे, सच्चाई नहीं आयेगी आपके अन्दर इन बजट के आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है।

आपने चिकित्सा, स्वास्थ्य के बारे में कहा है। मैं पूछता हूं आपने इन 23 सालों में क्या किया है ? मैं आपको ऐसी पंचायतें बताता हूं जहां कोई दवाखाना नहीं है। यातायात का जहां तक सवाल है, आज तक वहां के लोगों ने बस नहीं देखी है। जहां किसी बस की व्यवस्था नहीं है। चौमासे में, बरसात के दिनों में वहां का रास्ता बन्द हो जाता है, दवाई उनको मिलती नहीं है और इसके अभाव में लोग मर जाते हैं। 23 सालों से आपने क्या किया है ? केवल आंकड़े पेश करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर हमको सचमुच ही काम करना है तो गांवों की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। कहा है—

सांच समझो होय तो गांवां कानी झांक।
ये विकास का आंकड़ा सगला झूठा आंक॥

इन झूठे आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृपा करके आप गांवों में दवाखाने स्थापित करने की ओर जरूर ध्यान देवें।

सभापति जी, लगान के सम्बन्ध में अब अर्ज करना चाहता हूं। जहां 24 घन्टे नहर चलती हो और आप वहां लगान बढ़ाते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। परन्तु कुओं वालों पर 5 रुपये के बजाय आप 20 रुपया लगान का करते हो, और नोटिस जारी करते हो, यह गलत है। किसान ने अपनी मेहनत से, रुपयों का ब्याज देकर जमीन को आबाद किया है। यह सब उसके अपने प्रयत्न से हुआ है। अगर आप लगान बढ़ाना चाहते हैं तो नहरों पर अवश्य बढ़ाइये, मगर जिसने अपने पैसे से कुआ खोद कर जमीन को तैयार किया है अगर आप उस पर लगान को बढ़ायेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने आन्दोलन का सामना आज आपको करना पड़ रहा है, उससे भयंकर आन्दोलन का सामना आपको अब करना पड़ेगा। सिंचित क्षेत्र में आप लगान बढ़ायेंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा लेकिन कुओं के ऊपर बढ़ायेंगे तो इसका विरोध बढ़ेगा। कुओं से एक दफा पिलाई करने में 30 रुपया का खर्चा आता है और पांच बार पिलाई करने पर उसके 150 रुपये व्यय हो जाते हैं और नहरों से पिलाई कराने में इतना खर्चा नहीं आता है। इसलिए आपको इस पर सोचना चाहिये।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

सभापति जी, आज बन सारे चौपट हो गये हैं। इसलिये जितने वन हम लगा सकते हैं लगावें। वनों के बिना और किसी में बादलों को खींचने की ताकत नहीं है। इसलिये जगह जगह आप पैंडॉक्स जंगल लगा सकते हैं।

विद्युत्—सभापति जी, इस बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। साल, दो साल से यह हमारे यहां पहुंच गई है। हमारे यहां के कुओं में बहुत पानी है। बार बार अर्जी देने के बाद भी उन कुओं पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके इस पर आप अवश्य ध्यान दीजिये।

लघु उद्योग—क्या अजीब हालत है। एक तरफ आप मील खड़े कर देते हैं और दूसरी तरफ ग्रामोद्योगों को आप एक टुकड़ा फेंक देते हैं। यह कैसे चलेगा? एक तरफ आप घाणी को पैसा दें और दूसरी तरफ आप मिल को रोप देते हैं। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा—

इक मुंडो के साथ में,
हाथ दिया हरि दोय।
काम देवण्यो होय तो,
भूखो रहे न कोय।

लेकिन आज कोई काम देने वाला नहीं है और इसलिये यह हालत हो रही है।

इंजीनियरों को पेंशन देंगे। कब तक देंगे? आपको इस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

दूसरा निवेदन मैं पिछड़ी जाति के बारे में करना चाहता हूं। आप इनके लिये 5 होस्टल खोलेंगे और समाजसेवी संस्थाएं 20 होस्टल खोलेंगी। इसका मतलब है ये राजनीति के अड्डे होंगी। कृपा करके आप इनके लिये अलग होस्टल न खोलें। सबके साथ इनके होस्टल रखिये।

आप 5 और नये कॉलेज खोलने वाले हैं। पहले ही कॉलेज रूपी फैक्ट्री का माल कन्जूम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये आप यह रखिये कि जो फर्स्ट क्लास, गुड सेकन्ड क्लास हो उसको ही आगे एडमिशन मिले। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा में परिवर्तन अत्यन्त जरूरी है अगर आप यह नहीं करेंगे तो हालत खस्ता होने वाली है।

क्या आपने टैक्स लगाये हैं? गोटा किनारी पर। जिस किसान की औरत के पास दो घाघरे हों और उसमें से एक पर ही वह गोटा किनारी लगाती है, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। इस तरह की चीजों को आप समाप्त कर दें तो अच्छा रहेगा। पंचायत समितियों को आप बन्द कर दें। ये सफेद हाथी हैं। कुछ भी काम नहीं करती हैं। इस तरह से जो टैक्स लगाया है उससे जनसाधारण को तकलीफ ही होने वाली है। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब तो हवा पर टैक्स लगाना बाकी रह गया है:

धान, पान, औषध दवा,
सब ही पर कर आज।
शेष मुक्त रक्खी हवा,
केवल कर से राज।।

अब तो आपने हवा पर कर नहीं लगाया है और सब पर किसी न किसी प्रकार का कर लगा दिया है। परन्तु जब तक आप मूल में

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

नहीं जाते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं : जब तक आप में नैतिकता नहीं बढ़ेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते है। चाहे कांग्रेसी राज हो, विपक्षी का राज हो, हिन्दुस्तान में आज किसी चीज की कमी है तो वह सच्चाई और नैतिकता की कमी है। पहले भी मैंने निवेदन किया और आज फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि हम बार बार दोष देते हैं इन राज्य-अधिकारियों को। मैं कहता हूं इन राज्य-अधिकारियों में कोई खराबी नहीं है। अंग्रेजों के वक्त में भी ये ही काम करने वाले थे। फिर आज क्या बात है ? हम उनसे नाजायज काम करवाते हैं, छोटे छोटे तबादले भी मिनिस्टर करते हैं। जब वे यह देखते हैं तो सोचते हैं चलो अब हमें क्या करना है, जैसा कहें वैसा करते चलो।

आपने लड़कियों के ऊपर शुल्क लगाया है, शिक्षा की फीस लगादी है। कृपा करके लड़कियों के ऊपर तो नहीं लगावें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे होते ही नहीं हैं जब बच्चे नहीं होते हैं तो बार बार जुआ खेलना पड़ता है और बच्चियां ही बच्चियां होती हैं। वैसे ही बच्चियों को निकालना बड़ा मुश्किल काम है वहां आपने लड़कियों की शिक्षा शुल्क को बढ़ा दिया यह उचित नहीं है। वैसे ही देहातों और कस्बों में स्त्री शिक्षा की कमी है उसके बाद यदि इस प्रकार से शिक्षा शुल्क और लगा दी तो ये निरुत्साहित होंगे।

आपकी तीन चार घंटी आ चुकी हैं। अतः मैं इतना ही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : (श्री मूलचन्द डागा के बोलने के लिये खड़े होने पर) सभापति महोदय, अब हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य को आज्ञा दीजिये।

श्री सभापति : विपक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य बोल गये। अब इधर से मूलचन्द जी डागा बोलेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने शंकर लाल जी के बाद आपकी पार्टी के सदस्य को चान्स द दिया। अब इधर से होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय···

(माननीय सदस्यों से व्यवधान करने पर)

श्री सभापति : मूलचन्द जी के बाद आपकी पार्टी के सदस्य को मौका दिया जाएगा। श्री मूलचन्द डागा!

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, 29 करोड़ 68 लाख के घाटे को लेकर राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान राज्य के बजट को रखा है वह एक तरह से सारहीन बजट है। मुझे शक है कि इस प्रकार की घाटे की व्यवस्था चलती रही तो मैं यह समझता हूं मूल्यों में उछल-कूद होगी और जब जनता की आवश्यकता की चीजों के भाव बढ़ेंगे तब लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार की घाटे की व्यवस्था रख कर आप अपने बजट को सन्तुलित बजट बताना चाहते हैं तो मैं इसको ठीक नहीं समझता। आज हम देखते हैं कि सारी हिन्दुस्तान की स्टेट्स हैं उन सब ने घाटे के बजट

(श्री मूलचंद डागा)

प्रस्तुत किये हैं । राजस्थान के ऊपर करीब 6 अरब रुपयों का कर्जा है जिसका 45 करोड़ रुपया ब्याज हम हर साल देते हैं। हमारे पर 36 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है। इसको फला कर देखें तो प्रत्येक आदमी पर कितना पड़ता है। आज हम प्रत्येक व्यक्ति से 35 रु० 74 पैसा टैक्स का वसूल करते हैं। और इस प्रकार से प्रति व्यक्ति पर जो खर्च कर रहे हैं वह 96 रु० 23 पैसा है। इस तरह से विभिन्न मदों पर जिस प्रकार से खर्चा हो रहा है उसको देखते हुए यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि हमारे खर्चे की व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है। सभापति महोदय, पिछले साल भी वित्त मंत्री जी ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया था और इस साल भी घाटे का ही बजट प्रस्तुत हो रहा है। आज हमारे पर सेन्टर का कर्जा निरन्तर बढ़ता जा रहा है दूसरी तरफ हमारी हिन्दुस्तान की सरकार पर भी कर्जे का भार बढ़ता जा रहा है। जिससे करोड़ों रुपये ब्याज के हमें चुकाने पड़ते हैं। इस तरह से हम पत्तियों को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेड़ की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। आखिर पेड़ पर ध्यान नही देंगे तो वह आखिर कहां तक टिका रहेगा? वह पेड़ कभी न कभी गिर पड़ेगा। आखिर अमेरिका हमें कर्जा कहां तक देगा आखिर दूसरे देश कितना कर्जा देंगे ? आखिर दूसरे देशों से हम कर्ज लेकर अपने प्लान कहां तक पूरे करते रहेंगे ? आखिर कभी इस बात का भी ख्याल किया है कि हमें हर साल कितना ब्याज चुकाना पड़ता है ? जो कर्जे की रकम हमारी सरकार पर 1966 में 536 करोड़ थी वह 1968-1969 में जाकर 802 करोड़ रुपये हो गई। इस तरह से प्रदेशों की सरकार केन्द्र से अधिक रुपया लेती रही है इस पन्द्रह सालों में प्रदेशों की सरकारें दिवालिया हो जायेंगी। यह हाल सभी स्टेट्स का हो रहा है। आज हम केन्द्रीय सरकार पर दिन रात निर्भर करते जा रहे हैं आर्थिक स्थिति के बारे में यह गलत है। हमें अपने पांवों पर खड़े होने का प्रयत्न करना चाहिये। यह तरीके हैं जिससे देश को हानि पहुंचेगी।

आज हम करोड़ों रुपया उधार लेकर अपने प्रान्त का विकास कर रहे हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिये कि जिस विकास के लिये हम रुपया लगाते हैं आखिर उसका रिटर्न तो हमें मिलना चाहिये। आज लोग राजा-महाराजाओं की बातें करते हैं। मैं उनकी बातों की हिमायत नहीं करता। राजस्थान आगे बढ़ा है। हमारे चम्बल जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम हुआ है आखिर उसका यील्ड क्या हुआ ? हमें बजट बनाते समय यह सोचना होगा आखिर इतना रुपया इनवेस्ट होता है उसकी परफॉर्मेन्स क्या है ? यह हमें बजट से मालूम होना चाहिये कि जहां हम 50 लाख रुपया खर्च करते हैं उसका परफॉर्मेन्स क्या होता है ? इतने बान्ध बन गये, इतनी सड़कें बन गईं, उससे इतनी आमदनी होगी इसका भी हमें ब्यौरा मिलना चाहिये। अगर हम इस आधार को मान कर चलें तो यह हमारी बड़ी उपलब्धि होगी।

एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की जो इस सम्बन्ध में राय है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

"The traditional budgetting in India has been more concerned with mechanical financial

(श्री मूलचंद डागा)

accounting than with evaluating performances. Progress has been measured in terms of outlay rather than of physical achievement and productivity and whether at the centre or in the State a high rate of spending has been too easily equated with dynamic performance. The result is, in fact, has quite often been waste."

"The Administrative Reforms Commission, among others, has recommended that all developmental departments of Government should introduce performance budgetting. But the exercise was lightly treated and not pursued with enthusiasm and has possibly been politely forgotten."

जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में हमने जितना खर्च किया है उसका परफॉर्मेन्स हमें मिलना चाहिये। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने भाखरा पर इतना रुपया खर्च कर दिया। आखिर यील्ड क्या हुआ ? कुछ लोग आन्दोलन करते हैं वहां उनको इसका लाभ मिल जाता है। इस तरह से जो बजट बनता है वह डिफेक्टिव है। रोड बन जायगी रोड पर कितनी गाड़ियां चली उसका क्या परफॉर्मेन्स हुआ इसकी जानकारी नहीं होती आप बजट के साथ परफोर्मेन्स भी बतलाइये इतनी आमदनी हुई है इतना खर्चा हुआ है।

दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, हमारा करोड़ों रुपया पब्लिक सेक्टर में लगा हुआ है लेकिन उसमें भी हमें घाटा मिल रहा है, आज इस तरह से लाखों और करोड़ों की जो दौलत लगी हुई है उसमें भी हमें घाटा मिल रहा है। खादी भंडार, एम्पोरियम सहकारी बाजार सभी में घाटा है ...

श्री बालसिंह सोढा : केवल भ्रष्टाचार बाजार में नफा है।

श्री मूलचन्द डागा : आपके राजा महाराजाओं का बहुत अच्छा राज्य रहा है। जीवन का मूल्य बदल चुका है और समाज तेजी से बदलने जा रहा है। राजाओं के प्रिवीपर्स खत्म करने की बात करते हैं तो आप नाराज होते हैं और कहते हैं कि नये राजा महाराजा बन गये। एक 'महाराजा' नाम की किताब निकली है उसके कुछ उद्धरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। स्वतंत्र पार्टी उसको सुनकर अफसोस जाहिर करेगी। राजा महाराजाओं ने जो ऐशो-आराम किये उसी के कारण यह मुल्क भूखा और नंगा रहा।

हजारों वर्षों की अपनी हुकूमत में राजा महाराजाओं ने क्या किया ? एक कुत्ती की शादी की रोशनआरा उस कुत्ती का नाम रखा गया था। किस तरह से यह शादी की गई इसका वर्णन मैं पढ़कर सुनाता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन कुत्ते कुत्ती की शादी में आपकी दिलचस्पी कब से है ?

श्री मूलचन्द डागा : शादियां ऐसे होती हैं । मैं पढ़कर सुनाता हूं :

"His Highness Nawab Sir Mahabet Khan Rasul Khan, one day took into his head to get his bitch named Roshanara mated, whom he had brought up from her birth in much luxury and comfort. It was known all over the State that she was the pet dog of the Nawab who never left her alone day and night."

Then it says "The bridegroom's party was received by the Nawab of Junagadh at the railway station accompanied by 250 male dogs in gorgeous clothes and jewellery who came in procession from the Palace to the station on elephants with silver & gold howdahs. The Ministers and officials of the State and the members of the Royal family of Junagadh were also present at the station to receive Bobby, the bridegroom.

Again it says, "The ceremony took place in the presence of 700 courteirs and distinguished guests from all over India. Important ruling princes and prominent guests who came by special trains in the bridegroom's party witnessed the marriage ceremony with great excitement."

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): आपको भी निमन्त्रण मिला होगा ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): खादी के कपड़े पहने हुए आप लोग भी होंगे उसमें शायद ?

श्री मूलचन्द डागा : सारे के सारे ढ़ाई सौ हाथियों पर एक एक कुत्ता बैठ कर सवारी में निकला ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आजकल जो शादियां आप लोग करते हैं, आपके मिनिस्टर करते हैं उनको भी आप अच्छा समझते हैं ? क्या इस तरह से आपका समाजवाद आवेगा ? इन पुराने किस्सों को आज दोहराने से क्या लाभ ? आप तो आज के किस्सों को देखो और उनको रोको । वे तो हजारों सालों में एक आध हो गया होगा, पर आजकल आपके बीस बाईस साल के राज में ही क्या होने लग गया है, इसको देखो । डूंगर बलती नहीं पगां बलती देखो ।

श्री मूलचन्द डागा : तो आप बताइये इस प्रकार राजाओं का ऐश होता था ।

भगवानदास शास्त्री : आपने सुखाड़िया साहब के साहबजादे की शादी नहीं देखी । आगरे में जमीन में ट्यूब लाइटें लगी थीं ।

Page No 89

श्री जयनारायण सालोदिया : माथुर साहब घाघरा और लुगड़ी पहन कर नशे में मस्त होकर नाचे थे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : सुखाड़िया साहब के साहब जादे की शादी में जमीन में ट्यूब लाईटें लगी थीं, ऊपर तो सब लगाते हैं, इनकी शादी में जमीन में लगी थीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ये तो कुत्ते के विवाह का जिक्र कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पटियाला के महाराजा की बातें सुनाता हूं। "The Maharaja was approaching fifties, and as he was leading a licentious life, having had to do justice to 350 women in the harem,"... So he says—"such Medicines sometimes cost him Rs. 50 to 60 thousand, lasting only for a couple of days".

It further says—"During the summer season the swimming pool used to be filled up with water from the nearby canal and public reservoirs, but as the water was hot in summer, huge ice blocks were thrown in to the water which lowered the temperature to a comfortable degree". 350 औरतों को वे अपने हरम में रखते थे। भगवानदासजी को याद करते थे। 60 हजार की दवाइयां आती थी और वे दवाइयां एक दिन में खा जाते थे। एक बड़ा हौज बनाकर उसमें इत्र तेल फुलेल और न जाने क्या क्या डालकर उन हरम की औरतों के साथ वे स्नान करते थे। ये राजा महाराजाओं की बातें हैं इन स्वतन्त्र पार्टी के राजा महाराजाओं की।

श्री रामचन्द्र आर्य : वे तो उनसे शादी करके अपने हरम में रखते थे पर आज के ये नये राजा, जागीरदार, सामन्त तो बिना शादी किये रखते हैं डागा जी। आपको क्या मालूम है।

श्री मूलचन्द डागा : बरफ की शिलाओं पर शराब की बोतलें खोलकर गरमी में ये बैठ जाते थे तो इस तरह से इन राजा महाराजाओं ने देश की आर्थिक स्थिति को बहुत झकझोरा है। इसलिए यह देश गरीब रहा। आज इसके लिए हमें समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाने होंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : आज बढ़ाने होंगे तो पिछले 22 सालों में क्या आपने अपने राज में भाड़ झोंकी थी?

श्री मूलचन्द डागा : वी. वी. गिरी ने, भारत के राष्ट्रपति ने अदालत में जाकर बयान देने की बात कही। वे एक साधारण नागरिक की तरह एपीयर होंगे वहां। हमने मनुष्य को ऊपर उठाया है। अब हम चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच जो डिसपेरिटी है, आर्थिक विषमता है उसको कम किया जावे। हमारे दिमागों में आज एक तूफान है इसके लिये, हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)

नई कांग्रेस घोषणा करती है। देश को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हुआ तो संविधान में भी संशोधन लायेंगे।

मैं बताना चाहता था आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सभापति महोदय, आप कितनी भी सामग्री इकट्ठी करलें पर बनाने वाला रसोइया अच्छा होगा तो खाना अच्छा होगा। कितने ही कपड़े इकट्ठे कर लें काटने वाला और सीने वाला दर्जी अच्छा होगा तो कपड़ा अच्छा सिलेगा, बनेगा। कितनी ही दाढ़ी लगा लो सरदार नहीं बन सकता। काम करने वाला चाहिये। काम करने वाले ने हिन्दुस्तान में आज कमाल कर दिया।

पर इसके लिये एक काम हमें और करना होगा और सख्त हाथों से करना होगा। सही रूप में देश में समाजवाद लाने के लिये इस नौकरशाही में परिवर्तन लाना होगाव हमारी करोड़ों अरबों रुपयों की योजनाएं आज सफल नहीं हो रही हैं इसका कारण यह नौकरशाही है। यह आज हावी हो गई है। जो पुराने तरीके के लोग हैं ओ अंग्रेजों के जाने के बाद यों ही रह गये बल्कि और ऊंची जगहों पर पहुंच गये, जो राजा महाराजाओं के समय के हैं, एक बात कहता हूं, उनके दिमाग आज भी नहीं बदले हैं। वे आज भी समाजवादी समाज के ढांचे में समाजवादी समाज की रचना करने के लिए जो मशीनरी आवश्यक है उसमें वे फिट नहीं हो सकते। उनको हमें बदलना होगा, उनके काम करने के तरीकों को हमें बदलवाना होगा। अगर उनके काम करने के तरीके बदलवा दिये जाते हैं तो देश आगे बढ़ जाता है।

अभी चौहान साहब ने भाषण दिया था श्रीप्रकाश जी का एक लेख हिन्दुस्तान में निकला। वे बड़े विद्वान हैं। गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने लिखा:—

"सरकारी आदमियों को एक विशेष पद दिया गया है और वे बड़े से बड़े गैर सरकारी लोगों से ऊंचे समझे जाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी आदमी एक दूसरे से बहुत दूर हो गये हैं। इस स्थिति को सुधारना अत्यन्त आवश्यक है।"

तो इनका रवैया बदलवाना होगा। वैसे ये चतुर हैं। बड़ी खूबसूरती से काम कर सकते हैं। उनको गरीब की तकलीफ में काम आना चाहिये।

बड़ी खूब सूरती से पैदा हुआ है, करोड़ों रुपया इस पर लगता है और आन्दोलन होता है इस बात का कि हमारी तनख्वाएं बढ़नी चाहिये, मंहगाई बढ़नी चाहिये। तिलक नगर वाले कहते हैं हमारे यहां पानी आना चाहिये, बापू नगर वाले कहते हैं हमारे यहां सुविधा बढ़नी चाहिये, गान्धी नगर वाले कहते हैं हमारे यहां यह होना चाहिये, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। रिटायर होने के बाद कहते हैं हमें इसी नौकरी पर लगा दिया जाय। मैं कहता हूं सब कुछ करना है लेकिन देश के लिये करना है, सारे कन्ट्री के लिये करना है। इस बात को भूल जावो कि कन्ट्री को करना है। कन्ट्री के लिये करना है। अगर यह होता तो हिन्दुस्तान में तरक्की बहुत हो जाती। लेकिन समाज के नौकरशाही जिन्होंने अपना नकली चेहरा रख छोड़ा है उसको उतार फेंकना है। वह कहें कि हमें जो कुछ करना है वह देश के लिये

(श्री मूलचन्द डागा)
करना है, मुल्क के लिये करना है। हम हर एक के साथ वसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसे हम चीफ मिनिस्टर श्री सुखाड़िया के साथ करना चाहते हैं तब तो इस देश का भला है नहीं तो देश खड्डे में चला जायगा। गरीब आपके दरवाजे पर आया है तो पहले उसको बुलावो और कहो भाई कैसे आये हो। कलेक्टर को ऑर्डर दिया कि सोमवार के दिन सबकी दरख्वास्तें लें और उन सबकी बात सुनें। मैं पूछना चाहता हूं कब उन्होंने गरीबों की दरख्वास्तें ली और कब उनको सुना? मैले कुचेले कपड़े पहिने हुये मीलों से चल कर जब किसान कोर्ट में आता है तो कोर्ट का समय खतम हो जाता है एस. डी. ओ. को फोन करने से फुरसत नहीं, कलेक्टर को बीबी से बात करने से फुर्सत नहीं। वह गरीब रोता है कि इस देश में लोकतन्त्र कब आयगा। मैं कहता हूं जब तक देश में इस तरह का लोकतन्त्र रहेगा देश कभी ऊंचा उठने वाला नहीं है। यह ब्यूरोक्रैसी इस देश पर हावी हो गई तो यह देश ऊंचा नहीं उठ सकता है। इसलिये चौहान साहब ने कहा लम्बा न पढ़ कर छोटे रूप में ही बताना चाहता हूं इस सारे देश में दौलत कितनी खर्च होती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। हिन्दुस्तान 1949 से आज 1970 तक 10 गुणा बढ़ा है पांचवीं योजना पर भगवान जाने 15 गुणा बढ़ जायगा।

आज कितने बड़े बड़े अफसर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और फिर ऑफिस सुपरिन्टेडेन्ट बैठे हुए है और फाइल के लिये पूछा जाता है तो कहते हैं फाईल का पता नहीं। क्यों पता नहीं देश को बनाने के लिये बैठे हो या अपनी लड़की की शिक्षा के बारे में सोचते हो या अपने लड़के को हाकिम बनाने को सोचते हो या अपने कार के बारे में सोचते हो या स्कूटर के बारे में सोचते हो किसके बारे में सोचते रहते हैं जो कहते हैं फाइल का पता नहीं? अपनी ड्रेस के बारे में सोचते रहते हैं इसलिये चौहान साहब ने कहा है:—

"Instances come to our notice when citizens wait for long hours in Government officess, are pushed around from desk to desk and are given a very cold treatment."

जब गरीब आता है, काश्तकार मैले कुचैले कपड़े पहने आता है और अधिकारी टेरेलीन के सूट में होते हैं तो वह समझते हैं कहीं यह बीमारी न आ जाय। उसे खड़े होकर सलाम देना चाहिये यह देश का टैक्स पेयर है मेरी जिन्दगी इससे बनी है। मैं कहता हूं उनको इज्जत देनी चाहिये यह देश का टैक्स पेयर है। जब गरीब आता है तो खड़े होकर सलाम देनी चाहिये, कहना चाहिये अरे भाई कैसे आये, आवो बैठो......

श्री रामचन्द्र आर्य : गरीब को मारें नहीं तो अच्छा है। ये तो गरीब को मार कर रात को जला देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कोई सभापति महोदय हिंसा करता है, अराजकता की स्थिति पैदा करता है तो सरकार को गोली का उपयोग करना चाहिये। देश में अशांति पैदा करने वालों के लिये, अराजकता फैलाने वालों के लिये कोई स्थान नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह शान्त सत्याग्रहियों पर सरकार ने गोली चलाई है उसी तरह सरकार पर भी गोली चलानी चाहिये।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य के भाषण में बाधा नहीं डालें।

श्री मूलचन्द डागा : "If there is a clear realisation of their special position as Government clients, perhaps a greater warmth in the relations of the public servants and citizens could be fostered. We have to remember that in a democratic setting a a citizen possesses the authority to change the tallest Government functionary". वह कहता है एक एक पैसा देने वाले हैं। वह गरीब काश्तकार जो खेत पर काम करता है वह समझता है मैं गवर्नमेंन्ट को पलट सकता हूं लेकिन बेचारे की मशीनरी काम नहीं करती है वह हार जाता है। इसी तरह हमारी योजनायें फेल हुई हैं और फेल होने का कारण एक ही है कि हम लोग आगे नहीं आ सके। मैं एक बात बताना चाहता हूं आप हम लोकतन्त्र में क्या चाहते हैं—सामाजिक लोकतन्त्र चाहते हैं, हम असमानता का अन्त चाहते हैं, हम चाहते हैं प्राकृतिक प्रकोप जो हो चुका है उसको मिटाना चाहिये। एक ऊंचे बैठे हुये—मीनार में बैठे हुये व्यक्ति को झोंपड़ी में लाना चाहते हैं। आपका यह धीरे धीरे वाला कदम देश को खड्डे में ले जायगा। धीरे धीरे कदम नहीं उठाना चाहिये, तेजी और मुस्तैदी के साथ कदम उठाने चाहिये। मीनार में बैठे हुये व्यक्ति को नीचे लाना होगा और नहीं लाये तो देश में विद्रोह होगा, क्रान्ति होगी यह मानी हुई बात है।

आज आप के डाक्टर हैं, मेडीकल में डाक्टर हैं तो आप डाक्टर को प्राइवेट प्रेक्टिस क्यों अलाऊ करते हैं, क्या जरूरत है? एक डाक्टर है, गवर्नमेंट से तनखा लेता है तो उसको प्राइवेट प्रेक्टिस अलॉऊ नहीं करनी चाहिये। यह समाजवाद का तरीका नहीं है। मास्टर को ट्यूशन क्यों अलॉऊ करते हैं? चाहे जिन लोगों को आप खेती की जमीन दे देते हैं क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर की परिभाषा को बदल देते हैं? सबने अपनी औरतों के नाम जमीन ले रखी हैं, औरतें काश्त करना जानती नहीं हैं लेकिन कानून में गलियां निकाल रखी हैं। यही है समाजवाद इधर भी कमावें और उधर भी कमावें। इसका मतलब हम शोषण खुद करते हैं। या तो आपको एग्रीकल्चर की परिभाषा बदलना होगी और नहीं बदलते हैं तो बेकारी बढ़ेगी। जो काश्त करते हैं, उनको जमीन दी जाय—कह देते हैं हम फार्म बना रहे हैं। सभापति महोदय, ऐसे फार्मों की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, जमीनों के मामले में मैं एक बात और कहता हूं। लाखों रुपया सरकार ने जमीनों से कमाया है, कहां चला गया वह पैसा? मैं कहता हूं पंचायत समिति को पावर्स दिये, आपने म्यूनिसिपैलिटीज को पावर्स दिये उन्होंने लाखों करोडों की जमीन कौड़ियों में बेच दी। क्या कभी आपने उनके प्रति ऐक्शन लिया? कोई ऐक्शन नहीं लिया आपके शहर वाले कहने लगे, जयपुर से आने

(श्री मूलचन्द डागा)]

वाले माननीय सदस्य ने कहा जयपुर में गन्दगी बढ़ती जा रही है तो मैं कहता हूं जयपुर म्युनिसिपैलिटी में जो टैक्स आता है वह क्या काम आता है ? अगर हम अपनी योजनाओं में देखें तो यह स्पष्ट है कि एक आदमी कितने ही लीटर पानी खर्च करे तो परवाह नहीं और गांव वाले दो लीटर पानी के लिये तरसें। शहर वाले टट्टी में 5-10 लीटर पानी फिजूल खर्च कर दें। आज सारा हिन्दुस्तान गांवों में बसा हुआ है, राजस्थान गांवों में बसा हुआ है जब गांवों में ज्यादा लोग हैं तब भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है और शहर वाले कहते हैं हमारी सड़कें चौड़ी करो मैं एक बात कहना चाहता हूं कौनसी गवर्नमेंट ने जमीनों के बाबत सोचा है कि गलत जमीनें जा रही हैं। मैंने कई बार ध्यान दिलाया है अगर आप डेमोक्रेसी के अन्दर... ..

श्री मदनसिंह : सरकार का गलत ध्यान किस तरफ है...

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : समय की कोई सीमा ही नहीं, आपको केवल 15 मिनट दिये थे। आपको एक घंटा हो गया बोलते...

(व्यवधान, ! अश्रव्य !)

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, जो बार बार इन्टरप्शन कर रहे हैं मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कांग्रेस मर चुकी, मैं कहता हूं कांग्रेस तो नये जोश के साथ, नई ताजगी के साथ आई है। आते ही बैंकों का राष्ट्रीकरण किया, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खतम करके समानता का व्यवहार करने जा रहे हैं...

श्री सुवालाल : आप कहां ले रहे हैं। आप तो डरपोक हैं, दब्बू हैं। आप कहां ले रहे हैं आप तो केवल कहते हैं, करते नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लेते नहीं हैं यही कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हम तो हिम्मत वाले लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं इस प्रकार हम उनको मुआवजा नहीं देने के पक्ष में हैं। कोई मुआवजा नहीं दिया जाय। ये तो जागीरदारों को ही मुआवजा देकर गलती कर गये। हमने उनको 20 साल......

श्री जयनारायण सालोदिया : आप ही उस के खिलाफ बात करते हैं और घर पर उनकी पगचम्पी करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : ये जयनारायण जी तो राज घराने में पैदा हुये थे। आप किसी पंडित से पूछ लें जो ज्योतिष जानता हो, राज घराने में पैदा हुये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप तो प्रिवी-पर्स को बिना मुआवजे देने में ही इन्टरस्टेड होंगे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आप तो बैठे रहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो अनुसूचित जाति के नेता हैं आपको राजाओं से क्या लेना देना है।

श्री मदनसिंह दांता : ग्रापको तो लेना है उनसे। ग्राप तो महाजन ग्रग्रवाल हो।

श्री जयनारायण सालोदिया : मुझे तो हाउस में राजा महाराजा ही नजर ग्राते हैं किसको कहूं किसको नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, इनके दिमाग पर गलत ग्रसर है क्योंकि काफी बेगार उठाये हुए हैं। वह चले गये राजा महाराजा। यह जब तक रहेंगे इनका कोई इलाज होना चाहिए क्योंकि चारों तरफ यह कहते रहते है राजा महाराजा, राजा महाराजा। इनकी पीढ़ियों ने बेगार उठाई है इसलिए भूल नहीं सकते उनको।

श्री देवीदत्त गाडिया : ग्रापको तो पाली से ग्रागरा भेज देना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा इतना ही कहना था कि समाजवाद में जो ग्राप बातें कहते हैं म्यूनिसिपल ग्रौर पंचायतों के चुनावों के बारे में कहा कि हमें पंचायतों से टीचर्स के मामले में पावर्स ले लेनी चाहिए·····

श्री देवीदत्त गाडिया : ग्राप समाजवाद में विश्वास रखते हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : बहुत ज्यादा।

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ग्राप बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं उनको छोड़ें ग्रौर मजदूरों की झोपड़ियों में रहें तो मालूम पड़ेगा कि समाजवाद किसे कहते हैं। ग्राप ग्रपने मंत्रियों ग्रौर उपमंत्रियों से कहें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, ये मेरे कहने का मतलब नहीं समझे।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : ये कह रहे हैं ग्रपनी पत्नियों से कहें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाजवाद के बारे में एक हमारी नीति साफ होनी चाहिए कि जो भी ग्रार्थिक भेद है, जहां कहीं भी इसको मिटा सकते हैं तो मिटाना चाहिए। इतना ही कह कर मैं ग्रपनी बात समाप्त करता हूं।

एग्रीकल्चरल वर्कशॉप के प्रदर्शनकारियों सम्बन्धी

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : सभापति महोदय, मैं ग्रापकी ग्रनुमति से सदन के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल वर्कशॉप के वर्कर्स जो पिछली 2 तारीख से हड़ताल पर हैं वह यहां प्रदर्शन लेकर ग्राये हुए हैं इन्टक ग्रौर ऐटक से सम्बन्धित ग्रौर वह यह चाहते हैं कि गवर्नमेंन्ट की तरफ से जाकर उनसे कोई मिले ग्रौर उनकी बात सुने। वहां पर कारपोरेशन बनने के कारण कारपोरेशन में उनको नौकर नहीं रखा जब कि सरकार की तरफ से ग्राज्ञा है कि इनको रखा जाये। कारपोरेशन सरकार की ग्राज्ञा का पालन नहीं कर रहा है ग्रौर वहां के कर्मचारी हड़ताल पर हैं ग्रौर उनका भविष्य ग्रन्धकार में है। यहां पर मंत्री महोदय मौजूद हैं ग्रौर वह जाकर उनसे मिलें ग्रौर जो उनको कहना चाहते हैं वह कह दें।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि उनके साथ बड़ी भारी ज्यादती है। जब कारपोरेशन बनाया है

Page No 95

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
और कारपोरेशन में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चेयरमैन भी हैं तो कर्मचारियों को निकालना बड़ा भारी ज्यादती है। इसलिए उनके सम्बन्ध में कोई न कोई समाधान होना चाहिए।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह नाहर। (कुछ माननीय सदस्यों के ध्यान आकर्षित करने पर) श्री यशवंतसिंह नाहर।

श्री गलेसिंह सोढा : सभापति महोदय, यहां व्यवस्था हुई थी कि एक सदस्य उधर से बोलेगा तो दूसरा इधर से बोलेगा।

श्री सभापति : विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं समझता हूं कि ...

श्री भवनसिंह वांता : मैं समझता हूं कि हम वहीं थे और हमें विश्वास भी दिलाया कि शोभाराम जी ऐसे मंत्री हैं जिनको पब्लिक में जाने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। जहां लोग ऐसे प्रदर्शन में आये है तो इन्दिरा जी भी पधारी हैं ......

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री भवनसिंह वांता : मैं समझता हूं कि आप उनको दो शब्द कहें तो ठीक रहेगा।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : मैंने निवेदन किया कि कुछ लोगों को यहां बुलाया है और अभी थोड़ी ही देर में चीफ मिनिस्टर और हम बात कर रहे हैं।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री यशवंतसिंह नाहर (सभापति विशेषाधिकार समिति) : मैं समझा था कि मैं बजट पर बोलूं और उसके बाद मैं इस आदेश का पालन कर रहा हूं। लेकिन मैं प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीच में ही कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री यशवंतसिंह नाहर : आदेश हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब पेश होना चाहिए था तभी करना चाहिए था। यह तो शुरू में था। अभी डिबेट चल रही है और बीच में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आदेश हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदेश नहीं हो सकते जब तक आप की प्रार्थना नहीं हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप रोड़ा उठाओ, नुकता उठाओ।

एक माननीय सदस्य : नाहरसिंह।

श्री यशवंतसिंह नाहर : इससे पहले कि ....

श्री सभापति : आप प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जब पढ़ता था तब भी लॉ कॉलेज में मुझे प्रोफेसर नाहरसिंह ही कहते थे और यहां भी यही सुनने को मिला। तो यशवंतसिंह नाहर से मेरा नाम बदल दिया गया...

श्री रामचन्द्र आर्य : आप शेरसिंह कढ़वा लो।

श्री यशवंतसिंह नाहर : हां, यह ठीक है।

सभापति महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री मूलचन्द कटेवा।

श्री मूलचन्द कटेवा: सभापति महोदय,...

श्री बालसिंह सोढा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, आज बजट पर बहस चल रही है और हमारी पार्टी की तरफ से एक भी आदमी को नहीं बोलने दिया जब कि मैं दस बार यहीं से खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति : मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कल तक आपकी पार्टी के 4 माननीय सदस्य बोल चुके हैं और 3 घन्टा 28 मिनट वे ले चुके हैं। विरोधी पक्ष से माननीय सदस्य अब तक करीब 9 घन्टा 20 मिनट तक बोल चुके हैं जब कि इधर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने 5 घन्टे और 9 मिनट लिए हैं।

श्री बालसिंह सोढा : 9 घन्टे में हमारा समय 4।। या 3 घन्टे तो होना चाहिए।

श्री सभापति : आपका दल पहले ही 3 घन्टे और 28 मिनट ले चुका है।

श्री बालसिंह सोढा : उसके अनुपात से हमारा समय कितना बचता है।

श्री सभापति : आप निकाल लें।

श्री बालसिंह सोढा : अभी मूलचन्द जी खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हुआ और मुझे बोलने का मौका दें।

श्री सभापति : आप ज्यादा समय लेंगे और मूलचन्द जी केवल 10 मिनट ही लेंगे।

श्री बालसिंह सोढा : आपकी व्यवस्था थी कि एक उधर से बोलेगा तो एक इधर से।

श्री सभापति : वह 10 मिनट के लिए ही बोलेंगे।

श्री बालसिंह सोढा : क्या वह 10 मिनट के बाद में नहीं बोल सकते हैं ?

श्री सभापति : 10 मिनट में समाप्त कर देंगे।

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : सभापति जी, मुझे भी बोलने का समय दिया जायेगा या नहीं ? मैंने भी बोलने के लिए अपना नाम दिया है।

श्री मदनसिंह दांता : आप बराबर की कांग्रेस हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : बराबर की नहीं बड़ी कांग्रेस है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पुरानी और नयी कांग्रेस का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : जब कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य को 40 मिनट दे सकते हैं तो सिन्डीकेट की कांग्रेस को भी उतना ही समय मिलना चाहिये।

श्री सभापति : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सदन का समय 8 बजे से 1 बजे तक का है। इस सीमा में बोल सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : समय बढ़ा दें।

श्री सभापति : आसन इस बात की चेष्टा करेगा कि आपको भी एडजस्ट किया जा सके।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनका तो अधिकार है। आप अहसान कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है।

श्री सभापति : यह ठीक है लेकिन दूसरे लोग अपना राईट छोड़ने के लिए भी तो तैयार हों।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप दो घन्टे और बढ़ा दें हमें आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : आसन को भी आपत्ति नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो फिर बढ़ाइये। इनकी पार्टी को समय नहीं मिला। कांग्रेस के कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि पहले इनको समय दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : आप और समय ले रहे हैं।

(12 मध्याह्न)

श्री मूलचन्द कटेवा, आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : उधर से तो माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप टाइम की कमी बता रहे हैं तो इधर वालों को टाइम क्यों नहीं देते हैं? उनको क्यों बुला रहे हैं। आप कहते हैं कि टाइम की शार्टेज है फिर उधर से बोलने की अनुमति क्यों देते हैं और इधर से क्यों नहीं देते हैं?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस तरह का बजट पेश किया है उसके बारे में दो शब्द में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द कटेवा, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय सभापति महोदय, जो बजट पेश किया है इस बजट में समाजवाद का···

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर!

श्री मदनसिंह : वे बैठ गये हैं और इन्होंने शुरू कर दिया है तो शुरू करने दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने पहले फर्माया था ··

श्री सभापति : माननीय सदस्य!

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप सुन लें। ये दो चार मिनिट बोलने वाले हैं।

श्री सभापति : मेहरबानी करके आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो मुझको विराजमान हो जाना चाहिए।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अगर इस तरह से अव्यवस्था हो जाती है तो हम भी स्वतन्त्र हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : समाजवाद का ढोंग बतलाया गया है और इसमें समाजवाद का कलर दिया गया है।

श्री विजयसिंह : बजट भी कांग्रेस वालों ने रखा है और भाषण भी वे करने वाले हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह रहता है तो यह कोई व्यवस्था है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : विजयसिंहजी बैठ जाओ और इनको बोलने दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बाद में बोल लें। स्थान ग्रहण करें। श्री मूलचन्द कटेवा 10 मिनिट लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मूलचन्द ? हर बार दल बदलते हैं और हम टाइम मांगते हैं तो टाइम नहीं मिलता है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द कटेवा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके कहने के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। आपने पहले यह वचन दिया था कि इनको बोलने दें पहले।

श्री सभापति : आप कितना समय लेंगे ? आप 15 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री मदन सिंह : अपोजिशन वाले कम बोलते हैं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र ! अपने भाषण को 5 मिनिट में समाप्त करें।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : यह समाजवाद है ? यह परम्परा नहीं डालनी चाहिए।

श्री सभापति : आप बात सुनेंगे।

श्री आईदानसिंह : क्या बात होगी।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : आपने कहा था कि समय दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार की नीति है कि जो भूमि पर अवैध कब्जा कर ले उसको रेग्युलेराइज कर दिया जाय वही आसन की व्यवस्था है।

श्री आईदानसिंह : यह राज्य सरकार की नीति आसन पर क्यों थोप रहे हैं ?

श्री पृथ्वीसिंह : उसके पहले आपने कांग्रेस वालों का नाम पुकारा और कांग्रेस वाले को बैठाकर बी. के. डी. को दे दिया।

श्री सभापति : आपको कोई वायदा नहीं किया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपके वहां बैठने पर और यहां आने पर फर्क पड़ जाता है।

श्री विजयसिंह : अगर वायदा किया है तो वायदे को निभाना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा: पॉइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर। सभापति महोदय, यह ग्रासन की व्यवस्था थी कि हर पार्टी को समय निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जब कांग्रेस के ग्रन्दर ··

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : यह पॉइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर नहीं है जब भाषण शुरू हो गया तो।

श्री सभापति : ग्राप स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रापने जब मूलचन्द कटेवा का नाम ले लिया तो यह जो ग्रापका ए राज है ··

श्री बालसिंह सोढ़ा : ग्रापका पॉइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर कैसे उठ सकता है जब कि मेरा पॉइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर चल रहा था ? मूलचन्द डागा पॉइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर कैसे उठा सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : राजस्थान सरकार ने बजट में····

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल) : सभापति महोदय, मेरा पॉइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर है।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : मैं गोकुलचन्द जी से निवेदन करूंगा कि जब ग्रध्यक्ष महोदय ही रामचन्द्रजी को नमस्कार करते हैं तो ग्राप क्यों ग्रासन के लिए मुसीबत बढ़ाते हैं। इनको भाषण देने दीजिये।

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : इस बजट में जो योजनाएं रखी गई हैं यह एक तरफ तो कहते कि हम समाजवाद ला रहे हैं लेकिन राजस्थान के ग्रन्दर समाजवाद क्या श्मशानवाद लाया जा रहा है। यह कितने दिनों के बाद तक चलेगा राजस्थान में-यह जनता पर निर्भर करेगा, लेकिन गंगानगर जिले में राजस्थान कैनाल को एक राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार करते हैं उसके लिए योजना में 6 करोड़ रुपये का ही प्रावधान रखा है जब कि ग्रगले साल से पाकिस्तान को मिलने वाला पानी हमें मिलने वाला है लेकिन उस पानी के लेने के लिए इस समाजवादी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सिद्धमुख कैनाल के बारे में कई साल हुए उसके बारे में निर्णय किए हुए हैं लेकिन उसके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं रखा है ग्रौर न ही उस इलाके में लिफ्ट इरिगेशन की योजना का कोई कार्य रखा है। गंगानगर की हालत क्या है कि जहां गन्ने पर 16 रु० 8 ग्राना लगता था वहां ग्राज 22 रु० कर दिया है ग्रौर 8 रु० का 13 रु० कर दिया है, कपास पर साढ़े ग्राठ रुपये लगते थे उसको 12 रु० कर दिया ग्रौर गेहूं पर उन्होंने 5 रु० का 8 रु० कर दिया है। इस तरह से यह काश्तकारों पर टैक्स बढ़ाया है, ग्राबयाना बढ़ाया है। विद्यार्थियों की कापियों पर भी इन्होंने टैक्स लगाया है। उनको भी इन्होंने बख्शा नहीं है ग्रौर कहते हैं कि समाजवाद को ला रहे हैं। इस प्रकार का समाजवाद है इनका ?

गंगानगर के ग्रान्दोलन के बारे में जो लोगों की मांग थी ग्रौर उन मांगों के बारे में वार्ता चल रही है राजस्थान सरकार के सामने, लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही इस बजट में काश्तकारों पर सिंचाई की दरें ज्यादा कर दी जब कि गंगानगर में जो गन्ने का भाव है वह तूड़ी से भी कम है। वहां पर तूड़ी का भाव 6 रु० मन है ग्रौर गन्ने को पौने तीन रुपये मन में भी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि गंगानगर में एक ही फैक्ट्री है। उस गंगानगर इलाके के लोगों के लिए एक पैसा भी इस बजट में विकास के लिए नहीं रखा है जब कि वहां के आन्दोलन की सबसे पहली मांग यह है कि गंगानगर कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है और इसके अन्दर इतना कच्चा माल पैदा होता है और वहां पर कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे उस माल को वहां पर खपाया जा सके। इस समाजवादी बजट में उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा है।

इसके अलावा लघु सिचाई योजना के बारे में इसमें जिक्र किया है उसके लिए भी इस बजट में नाममात्र का है। जिस तरह से गये साल में रखा था उसी तरह से मामूली राशि रखी है। अच्छा तो यह था कि लघु सिचाई योजना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा राजस्थान के तमाम इलाके में जहां पर पानी की कमी है वहां पर पानी के लिए सर्वेक्षण कराया जाता और आपकी तरफ से अलग योजना इसके सम्बन्ध में की जाती तो राजस्थान से अकाल को भगाया जा सकता था, लेकिन इस बजट के अन्दर कुछ भी नहीं रखा गया है।

इसके साथ-साथ मैं वित्त मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि हम समाजवाद और लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं। तो क्या लोकतन्त्र में विश्वास करने वाली सरकार कभी शान्त सत्याग्रहियों को गोलियों से मारे और उनकी लाशों को रात को ही जलाये, और 2 फरवरी से चार मार्च तक अनेक किसानों पर झूठे मुकद्दमे 307 के चलाये जो कि आज भी चल रहे हैं और कइयों के खिलाफ वारन्ट भी निकले हुए हैं। और एक सत्याग्रही के तो एक सौ इक्कास लाठियां लगी हैं। एक सत्याग्रही के एक सौ लाठियां लगीं। एक सत्याग्रही के 92 लाठी लगीं। पांच सत्याग्रहियों को पदमपुर में बुरी प्रकार से पीटा गया, थाने में बुला कर चार घन्टे तक नंगा करके पीटा। वह वहां से हाथों के बल थाने से बाहर आया और आज भी कई लोग चारपाइयों पर पड़े हुए हैं। इसी तरह से वसूली के नाम पर भी सेना का इस्तेमाल किया गया जब कि वहां के काश्तकारों ने शांतिमय तरीके से महात्मा गांधी के बताये हुए तरीके से आन्दोलन किया और हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम की कि अपनी मांग को रखने के लिए किस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से आन्दोलन चलना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने वहां पर शांति रखी लेकिन वहां पर धारा एक सौ चंवालीस लगाई गई और धारा एक सौ चंवालीस लगाने के बाद भी जिन्होंने उसको तोड़ा उनको किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और उनको लाठियों से पीटा गया। गंगानगर जिले में इसी पिटाई के फलस्वरूप पदमपुर में एक महिला की मृत्यु हो गई। वहां पर बाइस महिलाओं को लाठियों से पीटा गया था। वहां एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी, उसके सिर में चोट लगी थी। उसको अस्पताल में लेकर गये लेकिन वहां पर दवाई नहीं मिली और इस कारण उस महिला की दस तारीख को मृत्यु हो गई। यह है उनके कारनामे जो कि लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार से इस सरकार ने गंगानगर जिले के काश्तकारों के साथ जुल्म किये हैं। दामोदरलाल जी व्यास ने, गृह मन्त्री ने चार तारीख को

(श्री रामचन्द्र आर्य)

स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान से हथियार गंगानगर जिले में आ रहे हैं और हथियारों को एक भण्डार पकड़ा गया है। गंगानगर में नक्सलपंथियों का बोलबाला है। वहां पर पोस्टर लगे हुए हैं खून का बदला खून। लेकिन मेरा निवेदन है कि वह पोस्टर खुद इस सरकार ने छिड़ावे के एक प्रेस में छपवाये और गंगानगर में लगाये···

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बिलकुल गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सही है, सही है, सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत है या सही है, इसका तो निर्णय समय करेगा कि गलत कौन है और सही कौन है। लेकिन यह सही है कि इस प्रकार से गंगानगर जिले में जनता को दबाया गया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जनता अब दब नहीं सकेगी और वह दिन दूर नहीं है जब इस प्रकार से जुल्म करने वाली इस सरकार के खिलाफ जनता बगावत करेगी और इनके ऊपर भी गोलियां चलायेगी क्योंकि इन्होंने निहत्थे सत्याग्रहियों को मारा है, महिलाओं को मारा हैं, इन्होंने जुर्म किये हैं। इस जुर्म का बदला राजस्थान की जनता अवश्य लेगी। यह राज्य अब किसी तरह से भी नहीं चल सकता है। और आप कहते हैं गलत है·····

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : बिल्कुल !

श्री रामचन्द्र आर्य : आप गंगानगर में जाकर पता लगाओ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप बैठ जाओ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं अगर गलत कहता हूं तो बाद में इस बात को वापिस ले सकता हूं। परसों इस सदन में कहा था कि गंगानगर का आन्दोलन बन्द हो गया है। लेकिन आपको मालूम होगा कि कल भी यहां पर एक सौ तीस सत्याग्रही रेलगाड़ी से आये और शाम को वापिस चले गये लेकिन इस सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। यह सरकार गंगानगर में सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं करती है। वहां सत्याग्रही यह तलाश करते फिरते हैं कि कौनसा वह स्थान है जहां पर कि उनको गिरफ्तार किया जायगा। वह स्थान स्थान पर फिरते रहते हैं, लेकिन यह सरकार सत्याग्रहियों को लाठी से मारती है, उनके ऊपर गोली चलवाती है लेकिन उन सत्याग्रहियों को यह गिरफ्तार नहीं कर सकती। फिर यह सरकार कहती है कि हमारा लोकतन्त्र में विश्वास है। अगर इस सरकार का लोकतन्त्र में विश्वास होता तो यह सरकार पंचायत चुनाव करवाती, म्यूनीसिपेलिटी के चुनाव करवाती और इस प्रकार जो नादिरशाही चलती है उसको दूर करती। आज नौकरशाही मनमाने ढंग से ताण्डव नृत्य कर रही है। आज भी गंगानगर जिले में जिन लोगों ने लोगों को गोली से मारा है वह अधिकारी रिवाल्वर लगाये हुए लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हुए घूम रहे हैं। यह है आपका लोकतन्त्र ? यह है आपका लोकतन्त्र में विश्वास ? यह आपका समाजवाद का ढोंग है। उधर तो इन्द्रा गांधी दिल्ली में बैठ कर ढोंग रच रही है, मैं समाजवाद ला रही हूं। इधर यह सिण्डीकेट वाले हैं, पहले यह

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सिण्डीकेट में थे लेकिन जब इन्हें कुर्सी जाती दिखी तो यह इण्डिकेट में शामिल हो गये। पदलोलुप लोगों के हाथ में आज शासन आया है इसलिए अब लोकतन्त्र नहीं रह सकता। ऐसे बुरे दिन देश में आये हैं कि ऐसे बुरे आदमियों का आज शासन है, पतित लोगों के द्वारा आज दो करोड़ राजस्थान की जनता पर शासन किया जा रहा है इनसे तो लोकतन्त्र की बात सौ कोस दूर है, लोकतन्त्र इनके कहीं नजदीक नहीं है। आज तो गोली का लोकतन्त्र है। आज लोग भूखे मर रहे हैं और इधर चालीस आदमियों का मंत्रिमण्डल बना रखा है। हारे हुए आदमियों को चेअरमैन बना दिया है। किसी को बिजली बोर्ड का चेअरमैन बना दिया है तो किसी को किसी बोर्ड का चेअरमैन बना दिया है। इस प्रकार से पचपन-छप्पन लोगों को एडजस्ट कर रखा है और उनको वही तनख्वाह मिलती है जो कि मन्त्रियों को मिलती है। वह लोग कार में दौड़ रहे हैं। उनको भत्ता मिल रहा है। अपने बंगले में बैठे मजा कर रहे हैं और लोग भूखों मर रहे हैं।

अकाल के बारे में इसमें लिखा है कि पिछले साल तिरेपन करोड़ रुपया खर्च हुआ। मैंने पिछली विधान सभा के अन्दर यह आरोप लगाया था कि इस तिरेपन करोड़ में से तीस करोड़ बदमाश खा गये, आप इसकी इन्क्वायरी करवाइये। लेकिन इन्क्वायरी कौन करवाये जब दोषी अधिकारी साझेदार हैं? तो उसकी इन्क्वायरी करवाने का सवाल नहीं है। इनको चाहिए था, अगर यह लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो इनको इन्क्वायरी करानी चाहिए थी और दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन यह सरकार आज दोषी अधिकारियों को पनाह देती है. दोषी अधिकारियों के बल पर राज्य को कायम रखना चाहती है। आप ताज्जुब करेंगे कि एक जिले के आन्दोलन ने इनकी हवा निकाल दी है अगर चार पांच जिलों में ऐसा आन्दोलन चल जाय तो यह लोग जयपुर को छोडकर बाहर भाग जायेंगे, इनको कहीं पर सिर छिपाने के लिए जगह नहीं रहेगी।' इनके किये हुए कारनामे हमारे सामने हैं। यह लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं वह लोग अब इस बात को समझ गये हैं। आज गंगानगर का नाम लेकर कोई भी आन्दोलन करने की धमकी देता है तो उसकी मांग मंजूर हो जाती है। कोई पार्टी गंगानगर का नाम लेकर कहती है कि आन्दोलन करेंगे तो उसकी मांग मंजूर हो जाती है। आप देखिये कि ग्यारह लाख के जिले की यह करामत है। इस जिले के आन्दोलन ने, इस एजीटेशन ने लोगों को कितना फायदा पहुंचाया है। इसके उपरान्त भी आज भी आन्दोलन चल रहा है। इस सरकार के द्वारा आज भी हमारी मांगें मंजूर नहीं हुई हैं। अगर हमारी मांगें मंजूर नहीं हुई तो हम आन्दोलन चलायेंगे और राजस्थान भर में इसको फैलायेंगे। अगर हमारा कोई भी राजनैतिक पार्टी साथ न दे तो न दे, हम गरीब आदमियों को उठायेंगे, काश्तकारों को उठायेंगे और इनके विरुद्ध बगावत करेंगे ताकि इनकी नादिरशाही खत्म हो जाय। रामनारायण जी कह रहे थे कि यह होना चाहिए। यह आफिस खोलें हैं इनका खर्च ज्यादा है। यह सब आपके बल पर ही तो करते हैं। आप अपना समर्थन न दें और इनके हाथ से सत्ता अपने हाथ में ले लीजिये

(श्री रामचन्द्र आर्य)

और इनको बाहर फेंक दीजिये। तब तो आप कुछ कर सकेंगे। लेकिन अगर पीछे बैठ कर आप गिड़गिड़ाते रहे तो कुछ भी राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। अपना समर्थन देकर गरीबों को मरवा रहे हो और इस स्टेज पर आकर कहते हो कि सरकार की यह गलती है। यह सरकार की गलती नहीं है, सरकार का समर्थन करने वाले हरिजन और काश्तकार सदस्यों की गलती है जिनके बल पर यह शासन टिका हुआ है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आखिर में यह कह देना चाहता हूं कि आज इस वातावरण के अन्दर इस प्रकार की यह सरकार दुहाई देती है कि हम समाजवाद ला रहे हैं। इसका तो कोई भी आदमी विश्वास नहीं कर सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से, इस हाउस से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस लिए यहां पर चुन कर आये हैं? क्या आप राजस्थान की दो करोड़ जनता को मरवाते रहोगे? इससे तो आपका भी कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको कल फिर गांवों में जाना है। दो साल रह गये हैं चुनाव के उसके बाद गांवों में जायेंगे। इसलिए इस प्रकार इस सरकार की बुराइयाँ इस स्टेज पर करें इसके बजाय इनके खिलाफ बगावत करें ताकि इसका पर्दाफाश कर सकें। अनेक मंत्रियों के खिलाफ आज आरोप लगे हुए हैं। स्वयं मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप लगे हुए हैं। यह भ्रष्टाचारी शासन है। इसको जब तक समाप्त नहीं किया जायगा, जब तक कुर्सी से नहीं हटाया जायगा तब तक राजस्थान की दो करोड़ जनता का भला नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि आपको भत्ता मिले और आपको गैर ईमानदारी से चन्दा मिले लेकिन आप जनता की बात यहां नहीं कह सकते हैं। और कहने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं अब सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा गला काम नहीं करता है...

एक माननीय सदस्य : आपका डण्डा काम करता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं तीन दिन से बीमार हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो समाजवाद की दुहाई देते हैं इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इस प्रकार को बात आज सब जानते हैं, लेकिन फिर भी न मालूम इनके कौनसे पुण्य से इनका राज्य टिका हुआ है। इनको तो पहले ही चला जाना चाहिए था। जब राजा इस प्रकार से अपना स्थान छोड़ देता है, राजा अपनी मर्यादा को त्याग देता है तो उसका राज्य नहीं रह सकता है। आप कह रहे हैं कि राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त करें। उन्होंने तो चार सौ वर्ष तक राज्य किया लेकिन तुम्हारे बीस साल के शासन में जो अत्याचार हुए हैं उनके बारे में आम आदमी की जबान पर चर्चा है कि उतने राजाओं के चार सौ साल के राज्य में नहीं हुए हैं। तुम लोगों ने जिस तरह से अन्याय किया है, जितना अन्याय किया है, जितना अन्याय किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है और खुल्लम खुल्ला जनता को लूटा है वह सर्व विदित है। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि गंगानगर में एक खजान्ची को कुल्हाड़ी से मार दिया है और बीस हजार रुपये उससे छीन कर ले गये। इतना लम्बा गंगानगर में आन्दोलन चला लेकिन एक भी कत्ल नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मरा। लेकिन आन्दोलनकारी जब रेलों पर चढ़ना शुरू हो गये तो पुलिस ने वहां पर कत्ल करवाना शुरू कर दिया है।

गंगानगर जिले में ही नहीं राजस्थान में जितनी डकैतियां होती हैं, जितनी चोरियां होती हैं, जितने कत्ल होते हैं, जितने जुर्म होते हैं, यह सब राजस्थान सरकार की पुलिस और राजस्थान सरकार करवाती है। राजस्थान सरकार और सरकार की पुलिस बदमाशों से मिल कर यह सब जुर्म करवाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहां गंगानगर में 150 तक कत्ल होते थे वहाँ गंगानगर आन्दोलन के इन साढ़े चार महीनों में एक भी कत्ल नहीं हुआ, एक भी चोरी नहीं हुई, एक भी डाका नहीं डाला गया, कोई मुकदमा नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि इनकी सारी पुलिस गंगानगर के एजीटेशन में लगी हुई थी, उनको फुर्सत नहीं थी कि बदमाशों के साथ मिल कर इस प्रकार के जुर्म करवाने के लिये बात करती। यह बदमासी सारी सरकार की है, सरकार की पुलिस की है, जितने जुर्म होते है सरकारी अधिकारियों और पुलिस के द्वारा होते हैं। नहीं तो इन साढ़े चार महीनों में एक भी जुर्म नहीं हुआ। उस गंगानगर में जहां दो लाख हथियार हैं, हर पांच आदमी के पीछे एक हथियार है। हर दूसरे दिन वहां कत्ल होता है पर इन साढे चार महीनों में जब कि राजस्थान सरकार की सारी पुलिस गंगानगर एजीटेशन में लगी हुई थी, उसे बदमाशों के साथ बात करने की फुर्सत नहीं थी उस समय एक भी वारदात गंगानगर में नहीं हुई। तो यह इस बात का प्रमाण है कि पुलिस बदमाशों से मिल कर जुर्म करवाती है, इस साढ़े चार महीने के अर्से में पुलिस को फुर्सत नहीं थी इसलिये जुर्म नहीं करा सकी। इससे आपको समझना चाहिये कि यह राजस्थान की सरकार कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है, इसके हाथों में राजस्थान की जनता की सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं है।

इसलिये अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बजट रखा गया है इसमें जो कार्य हाथ में लेने के लिये कहा गया है, मैंने सुझाव दिये हैं कि उनमें और जोड़ा जाय, राजस्थान कैनाल को पूरा करवाया जाय, सिद्धमुख की कैनाल को कराया जाय, लिफ्ट इरिगेशन की योजना को शुरू किया जाय और अन्डरग्राउण्ड वाटर का सर्वेक्षण कराया जा कर जहां अन्डरग्राउन्ड वाटर उपलब्ध हो वहां पर ट्यूब वैल लगा कर अकाल का हमेशा के लिये एक समाधान किया जाय। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द कटेवा !

श्री आईदानसिंह : सभापति महोदय, इस तरह से क्रम चलता रहेगा तो सदन का काम चल नहीं सकेगा, यह क्या व्यवस्था चल रही है आपकी ··

(एक साथ अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे। शोरगुल। अश्रव्य)

श्री पृथ्वीसिंह : इस आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है कि श्री बालसिंह सोढ़ा बोलेंगे। उनको बोलने का अवसर बार बार टाला जा रहा है। इस प्रकार से व्यवस्था चल नहीं सकती।

(शोरगुल; अश्रव्य)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जो दूर बैठते हैं वे आपकी आंख तो पकड़ नहीं सकते।

श्री पृथ्वीसिंह : अब हमको चान्स देना चाहिये।

(शोरोगुल)

श्री विजयसिंह : हमको चान्स देना चाहिये······

(एक साथ अनेक माननीय सदस्य खड़े हो कर बोलने लगे अश्रव्य)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें,

(शोरोगुल, अश्रव्य)

आप एक बार स्थान तो ग्रहण कर।

श्री बालसिंह सोढ़ा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, इस आसन से मैं तीन चार बार सुन चुका हूं कि इसके बाद आपको समय दिया जायगा। पर बीच में रामचन्द्र जी बोलने के लिये खड़े हुए, उन्होंने धमकियां इस आधार पर उसको बोलने का अवसर दिया गया। आसन का हुक्म शिरोधार्य होता है। आसन को किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिये, आपके आसन पर विराजने के बाद कई बार आसन से यह कहा गया है कि इसके बाद आपको बोलने का अवसर दिया जायगा ···

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आसन को चैलेंज नहीं कर सकते।

(शोरोगुल)

श्री आईदानसिंह : इस प्रकार की व्यवस्था से हाउस चल नहीं सकेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आसन को धमकाते हैं?

श्री आईदानसिंह : यह आखिर कहां तक चलेगा? पहले बालसिंह जी बोलेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जोर जोर से बोलने का यह नतीजा है।

(शोरोगुल, अश्रव्य)

श्री सभापति : आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपके दल के चार सदस्य बोल चुके हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने तीन चार बार व्यवस्था दी है इसके बाद बाल सिंह बोलेंगे······

श्री विजयसिंह : हमारे दल से सिर्फ तीन सदस्य बोले हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कांग्रेस पार्टी को कितना समय मिल गया है।

(श्री डूंगाराम राजोरिया, श्री विजय सिंह, श्री बालसिंह सोढ़ा एक साथ बोलते रहे शोरगुल अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री बालसिंह सोढ़ा : ऑर्डर की ओबेयेन्स तभी होगी जब कि आसन से न्याय होगा। मूलचन्दजी डागा बोले तो आसन की तरफ से व्यवस्था हुई कि इसके बाद आप बोलेंगे, फिर रामचन्द्रजी बोल गये, आसन ने न जाने किस इन्फलुएन्स में आकर उन्हें बोलने दिया।

श्री मदनसिंह : आपकी मांग ठीक है, इतना बड़ा दल है ......

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया कि आपके दल से 4 माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : चार बोले तो क्या हुआ, कांग्रेस से कितने बोले हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आसन को डरा कर समय लेते हैं।

श्री आईदानसिंह : ऐसे ही समय मिलता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जिस प्रकार की आसन की परम्परायें बनती आ रही हैं, आसन देखता जा रहा है, इससे हॉउस की गरिमा गिर रही है।

श्री सभापति : आप गरिमा बढ़ाने में मदद कीजिये।

श्री आईदानसिंह : सभापति महोदय, हमने आपके हर आदेश का पालन किया है, आपने कहा तभी बैठ गये। इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारे हक को छोड़ दें। शायद आपने हमारे दल में इस प्रकार की कभी उत्तेजना नहीं देखी होगी। आखिर सब्र की भी इन्तिहा होती है।

श्री सभापति : सब्र के फल मीठे होते हैं।

श्री आईदानसिंह : नहीं, उसकी भी सीमा होती है।

श्री विजयसिंह : सब्र के फल मीठे की बजाय यहां तो अंगूर खट्टे होते जा रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : सभापति महोदय पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। ......

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरा भी पोइन्ट आफ आर्डर है।

एक माननीय सदस्य : आपका अव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मूलचन्द जी कटेवा और आप दोनों एक ही दल के हैं, इसलिये इनको भी बैठा दें और उनको भी बैठा दें और मास्टरजी को बोलने का चॉन्स दें।

श्री प्रेमसिंह : लेडीज फर्स्ट।

श्री सभापति : आपकी बात को मैं समझ गया हूं।

श्री जगन्नाथ : मर्दों मर्दों में आपस में झगड़ा हो गया है, इसलिये इन महिला को पहले बोलने की इजाजत दे दी जाय।

श्री सभापति : आप अपनी बात कह चुके, हैं अब क्या कहना है ?

श्री बालसिंह सोढा : नहीं ! अगर आसन मेरी बात समझ जाता तो अव्यवस्था नहीं होती।

श्री सभापति : कोई अव्यवस्था नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : आसन ने पहले श्री मूलचन्द कटेवा को बोलने की आज्ञा दी और बीच में श्री रामचन्द्रजी को आज्ञा दे दी और उन्होंने बोलना आरम्भ कर दिया।

(शोरगुल-कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सिर्फ 15 मिनट।

श्री बालसिंह सोढा : आसन को अपनी झूठी प्रतिष्ठा पर नहीं खड़ा होना चाहिए।

श्री सभापति : आप आसन पर रिफलेक्शन कर रहे हैं।

श्री बालसिंह : आसन पर रिफलेक्शन नहीं है, आसन शिरोधार्य है।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचंद (खैरथल सु.) : मेरा पॉईंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री बालसिंह सोढा : पॉईंट ऑफ ऑर्डर पहले ही चल रहा है।

श्री गोकुलचंद : हर विस वर्ष में जहां कुछ आम जनता के लिये प्रावधान सरकार रखती है, पिछड़े वर्ग के लिए, विशेषतौर पे रियायतें देती है और कुछ घोषणायें करती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 184 में से हमारी संख्या 51 है और जब और दलों का समय तय करते हैं तो कम से कम हमको भी अपने विचार रखने का मौका मिलना जरूरी हो जाता है। हमारे बारे में जो कमियां हैं वे सरकार को बतानी पड़ती है, आप बतायें हम में से कितने बोले हैं?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आप 51 एक नहीं हो।

श्री गोकुलचंद : इनकी आवाज भी बुलन्द है, हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। सभापति जी, हम आपसे सुरक्षा चाहते हैं, हमारे सदस्यों को भी बोलने का मौका मिले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 51 में एकता होती तो भीखाभाई पीछे नहीं बैठते, शिड्यूल्ड कास्ट्स का उचित रिप्रेजेन्टेशन मन्त्रि मण्डल में होता। कैबीनेट में आपका कोई इफैक्टिव मिनिस्टर नहीं। राज करते हैं सुखाड़ियाजी 51 शिड्यूल्ड कास्ट्स के सदस्य को पूछता कौन है।

(शोरगुल)

श्री गोकुलचंद : एकता है या नहीं लेकिन आपको ......

(व्यवधान)

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आप 18 साल से चुन चुन कर आ रहे हो लेकिन मन्त्रि-मण्डल में आपको नहीं लिया लेकिन श्री प्रद्युम्नसिंह जो कल आया, जिसको पोथी बांचना नहीं आता, वह मंत्री हो गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य)

(व्यवधान-कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री सभापति : ऑर्डर! ऑर्डर!

श्री मदनसिंह : मैं समझता था कि यहां दलों के जितने नेता हैं, उनसे पूछकर शायद अध्यक्ष महोदय समय देते हैं। आसन पर बार बार हर तरफ से आक्रमण हो रहा है। मैं समझता हूं वह नेताओं पर हो, वह इतना समय क्यों लेते हैं, क्यों इतना समय देते हैं। इसलिए विधान सभा का जो समय लिया जा रहा है, यह व्यर्थ जा रहा है क्यों कि कोई भाषण तो दे नहीं रहे हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि सभी सदस्यों को आप फरमायें कि समय हम नियत नहीं करते हैं, पार्टियों के नेता तय करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी बात है तो चेयर पर नहीं, नेताओं पर दबाव डालें 6-7 घन्टे लें। शनिवार और इतवार को विधान सभा बुलावें। अगर इस तरह से सदन में वादविवाद होगा तो कभी हल नहीं निकलेगा।

आसन की तरफ से आश्वासन मिल जाते हैं उनका पालन हो जाय तो व्यवस्था नही बिगड़े मैं स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों से भी नम्र निवेदन करूंगा कि वे थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचें और धैर्य से काम लें। मैं महसुस करता हूं कि आपने दो बार फरमाया, उनकी मांग भी सही है। इस सम्बन्ध में अगर आश्वासन दे देते हैं तो स्वतंत्र पार्टी को बोलने दीजिए।

श्री आईदानसिंह : दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि गंभीरता से काम लें। मैं इस बात को एसर्ट करता हूं कि हमारे दल ने हर समय आसन के आदेश का पालन किया है, धैर्य से काम लिया है।

(12.35 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

जैसा हमने कार्य किया है शायद आसन की नॉलिज में है। जैसा आपने फरमाया समय नेतागण नियत करते हैं, समय आसन से नियत होता है... ......

श्री अध्यक्ष : मैं सारी स्थिति को समझ गया हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब महत्वपूर्ण व्यवस्था देने का प्रश्न आया तो उनको डिबार कर दिया।

श्री बार्लसिंह सोढ़ा : पॉइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : मास्टर आदित्येन्द्रजी। मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं देर तक बैठूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पहले मूलचंदजी बोल रहे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप आसन को मिसगाईड करते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं ?

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने स्वतंत्र पार्टी को इतना समझाया।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचद कटेवा को बाद में चांस दिया जायगा।

श्री विजयसिंह : दल बदल कर उनकी सत्यानाश करवा दी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना): व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मूलचंद कटेवा : मगर स्पीच बीच में रुकी हुई हैं।

श्री मदनसिंह : स्पीच नहीं हुई है। आपकी स्पीच समापति द्वारा रोकी गई थी।

श्री विजयसिंह : आपकी स्पीच सिंडीकेट और इंडीकेट के बीच में है क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आपकी स्पीच भी हो जायगी, स्थान ग्रहण करें। रुकेगी नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : व्यवस्था का प्रश्न है। आसन से जब एक माननीय सदस्य को आदेश दे दिया गया है भाषण देने का और वह स्पीच दे रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : रूल्ड ऑउट।

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको एवं पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं कि इस झगड़े में मुझे समय मिल गया। आपको बता दूं ....

श्री अध्यक्ष : आप हमेशा झगड़े में चमकते हैं।

श्री आदित्येन्द्र : मैं आपको बता दूं कि मैं राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन की ओर से बोल रहा हूं। यह सही है कि राजस्थान में अभी इस कांग्रेस को शायद लोग नहीं जान सके हैं क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस में देश के अन्य भागों की तरह टूट फूट कम हुई है लेकिन मेरा विश्वास है कि यह संगठन बहुत जल्दी ही इतनी शक्ति प्राप्त कर लेगा कि न केवल दूसरी कांग्रेस ही अनुभव करेगी बल्कि सभी लोग अनुभव करेंगे कि यह संगठन एक बलशाली संगठन है। बहुत से शायद यह कहेंगे कि आप थोड़े दिन पूर्व ही एस. एस. पी. के सदस्य थे आज मैं दूसरे संगठन में आया हूं इसलिए मेरे लिए एक दलबदलू की संज्ञा दी जा सकती है लेकिन दलबदलू का अगर असली अर्थ लगाया जाय तो दलबदल की जो यह प्रवृत्ति देख रहे हैं पिछले तीन सालों में, वह स्वार्थ की दृष्टि से देख रहे हैं लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि मैं किसी स्वार्थ के कारण इधर नहीं आया हूं।

मैंने जब यह समझा कि मेरा कर्त्तव्य है तब ही सोच समझकर आया हूं। मैं यह मानता हूं कि बहुत से लोग, बहुत सी पार्टीज और खास तौर से वामपक्षी मेरे मित्र यह कहते हैं कि यह दूसरा जो कांग्रेस का संगठन हो सकता हैं वह प्रतिक्रियावादी संगठन है जबकि जो सत्तावाली कांग्रेस है उसको साथ साथ यह भी कह देते हैं कि वह एक प्रगतिवादी संगठन है। मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ कहना नहीं है लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि यह रिएक्शनरी संगठन नहीं है वल्कि यह भी प्रगतिवादी संगठन है और समाजवाद इसका लक्ष्य है। जो समाजवाद का लक्ष्य शायद पहले नेताओं तक ही सीमित था वह एक व्यक्ति तक पहुंच गया है। आज समाजवाद की चर्चा सब जगह है। सब ही पार्टियां समाजवाद के बारे में बात करती हैं चाहे वे समाजवाद में आस्था रखे या न रखे, पर समाजवाद के बारेमें कहे बिना अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती हैं। इसलिये समाजवाद एक ऐसी चीज हो गयी है कि जो हिन्दुस्तान के पचास करोड़ नरनारियों तक पहुंच गया

(श्री आदित्येन्द्र)

है। केवल हिन्दुस्तान तक ही नहीं बल्कि सारे संसार के कोने कोने में चारों ओर समाजवाद का एक तरह से शोर है और एक तरह से उसकी बात होती है। तो मैं आप से यह बात कहकर इस बजट के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार रखूंगा।

बजट 9 मार्च, सन् 1970 को इस सदन के प्रारम्भ में वित्त मंत्री महोदय ने रखा। वित्त मंत्री का भाषण भी हुआ। उस भाषण से ऐसा ध्वनि मालूम पड़ती थी कि अब के जो बजट है वह एक समाजवादी बजट है। उन्होंने आंकड़ों से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि इसको सब ही लोग समाजवादी बजट कहेंगे और इस बजट में पहले से कुछ विशेषतायें हैं। जहां तक मैं समझता हूं इस बजट में कोई विशेषता नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि बजट पर जो वित्त मंत्री का भाषण हुआ वह दो घन्टे तक हुआ और शायद अब तक जितने भी बजट भाषण हुए थे यह उनमें सबसे ज्यादा लम्बा भाषण था। उन्होंने बड़ी चतुराई से और होशियारी से यह बात रखने की कोशिश की और बजट बनाने की कोशिश की कि कुछ बड़े आदमियों पर बोझा मालूम पड़ता हुआ दीखे और गरीब आदमियों पर वह बोझा न हो। लेकिन मैं समझता हूं कि बजट को पढ़ने पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी गरीब तबके को कर से मुक्त किया हो और कई छोटी मोटी इधर उधर की बातें होगी तो कोई ऐसी बात होगी कि जिससे बजट पर दस बीस लाख रुपयों का असर पड़ता हो लेकिन जो करों में वृद्धि की गयी है वह 3 करोड़ 62 लाख बताई गई है और 3 करोड़ 62 लाख के कर ऐसी चीजों पर भी लगाये हैं जो चीजें आम जनता के काम में आती है। उन पर कर लगाना किसी तरह से भी यह नहीं कहा जा सकता कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी। एक तरफ चिल्लायें समाजवादी युग है लेकिन आज से 20 व 25 साल पहले जिस समय हिन्दुस्तान को आजादी मिली मैं तो उस समय यह कल्पना करता था और यह समझता था कि शायद दो तीन वर्षों के भीतर कोई भी आदमी हमारे देश में भूखा, नंगा नहीं रहेगा। यह जो मांगने की वृत्ति है, भिखारी, यह जो भिखारीपन की, जो भीख मांगने की प्रथा है यह बिल्कुल समाप्त कर दी जावेगी और जो विकलांग हैं, अन्धे हैं, उन सब लोगों को पूरा खर्चा सरकार देगी। लेकिन वह बात नहीं। आज बीस बाईस वर्ष के बाद भी इधर को हम ध्यान देने लगे है तो भी यह ठीक ही कदम समझना चाहिये लेकिन केवल बहकी बातों से दुनिया को भुलावें में डालने से काम नहीं चलेगा। अब तो कोई काम वास्तविक ही करना पड़ेगा।

जहां तक समाजवादी व्यवस्था का सवाल है बहुत से लोग शायद यह भूल करते हैं कि समाजवादी व्यवस्था केवल इस तरह से कायम हो जावेगी कि कुछ लोगों पर कर का ज्यादा बोझा डाल दिया जाय और कुछ लोगों पर कर का बोझा कम डाला जाय। इससे ही काम नहीं चलेगा। सवाल तो यह है कि जब हम देखते हैं कि हमारे देश की औसत आमदनी क्या है तो वह 300) रुपया वार्षिक से कुछ ज्यादा है और एक परिवार पांच आदमियों का मानें तो वह आमदनी 1600 - 1700) रुपये तक हो जाती है अधिक से अधिक

(श्री आदित्येन्द्र)

150) रुपये माहवार की आमदनी होती है। लेकिन 150) रुपये माहवार की आमदनी से अगर मान लिया जाय हम ज्यादा लेते हैं कोई भी, तो मैं समझता हूं यह हमारा अधिकार नहीं है क्योंकि 150) रुपया माहवार की आमदनी में सब ही प्रकार की आमदनी शामिल हैं। बिड़ला, टाटा और जो बड़े बड़े साहूकार है, बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, जो राजा महाराजाओं को प्रिवी-पर्सेज मिलते रहे हैं और दूसरे पूंजीपती हैं और दूसरे रुपये पैसे वाले हैं जिनकी आमदनी दस दस हजार, बीस बीस हजार, एक एक लाख माहवार है उन सब की आमदनी को केल्कुलेट करके यह औसत आमदनी रखी गई है लेकिन गरीब की अगर औसत आमदनी देखी जाय तो किसी समय डा० साहब राममनोहर लोहिया ने कहा था कि देश का एक बड़ा तबका, बहुमत ऐसे लोगों की है, पच्चीस आदमी ऐसे हैं तीस में से, जिनकी आमदनी तीन आना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, छः रुपया महीना या यों कहिये वार्षिक 70) और 75) रुपया। 70) रु० 75 रु० अधिक से अधिक गरीब आदमी की आमदनी है इस तरह से 300) रु० औसत आमदनी मानी गयी है। ऐसे परिवार भी हैं जिनकी आमदनी एक पैसा भी नहीं है। जो दूसरों से भीख लेते हैं और चोरी करते हैं और दूसरे काम करते हैं उन बातों पर क्या ध्यान गया है ? नहीं। मैं समझता हूं बजट में इस तरह की कोई बात नहीं है। बजट में बेरोजगारी को मिटाने के लिये कोई ठोस योजना नहीं रखी। केवल एक इशारा किया है कि मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में एक यूथ संगठन बनेगा। यूथ संगठन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा इसके बारे में कोई भी इशारा नहीं किया गया। वह यूथ संगठन कुछ भी कर सकेगा या नहीं यह भी एक संदेह की बात है। हमारे जितने पढ़े लिखे आदमी हैं, शिक्षित वर्ग है, मैट्रिकुलेट हैं, इन्टरमिजिएट हैं, बी.ए. हैं, एम.ए. हैं टेक्निकल हैंड हैं, इन्जीनियर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, डिपलोमा प्राप्त जितने भी व्यक्ति हैं उनकी बेरोजगारी मिटाने के लिये, उनको काम देने के लिये कोई भी ऐसी योजना नहीं रखी गयी है, केवल छोटी मोटी योजनाओं की चर्चा है, जिनके बारे में आज से एक दो साल पहले भी कुछ कहा गया था उनको आज थोड़ा सा बढ़ा कर कह दिया गया है इससे कभी भी बेकारी मिट नहीं सकती। बेकारी मिटाने के लिए सबसे बड़ा पॉइन्ट हमारे सामने है वह एक तो यह है कि कायदे से बजट में कोई इस प्रकार की चीज होनी चाहिये थी कि जिससे जितनी बढ़ती हुई आबादी है उस आबादी का ठीक प्रकार से उपयोग करते चर्चा बहुत दिनों से चलती है कि भूमि का सवाल है। भूमि बहुत सी पड़ी हुई है। जिस भूमि को हमें समतल करना है, इरोजन से खराब हो चुकी है, ऊंची नीची जमीन है, उसको ठीक करने के लिये हमें आदमी चाहिये लेकिन उसके लिये योजनायें तो बनती हैं, समय समय पर घोषणायें होती रही हैं। लेकिन इन घोषणाओं को कभी अमल में नहीं लाया गया। सीलिंग के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं सन् 54-55 में यह कानून पास हुआ। आज 15-16 साल हो गये और और इस अवधि में कितनी ही बार परिवर्तन हुए और शायद बहुत से लोग जिन के पास जमीन ज्यादा थी, उन लोगों ने ऐसी बहुत सी बातें कर ली जिससे कि आज कानून की दृष्टि से उन को पकड़ा जाये

(श्री आदित्येन्द्र)

और एक तरफ युद्ध स्तर पर आप इसको लागू कर दें तो शायद जितना फायदा पहले हुआ होता उसका दसवां-बीसवां हिस्सा भी अब सीलिंग कानून लागू करने से नहीं मिल सकेगा। सरकार बार बार यह कहती है कि हम सीलिंग कानून को लागू करेंगे। मैं तो समझता हूं कि सरकार सीलिंग कानून लागू करने के बारे में गम्भीर नहीं है। सरकार इसको टालमटोल करना चाहती है। जब कि सरकार को यह कानून युद्धस्तर पर अविलम्ब लागू करना चाहिये और ऐसी कोई विशेष संस्था कायम करनी चाहिये जिनके द्वारा इसको जल्दी लागू किया जा सके।

इसके अलावा एक और बात है। एक दो साल पहले ऐलान किया गया और सरकार ने यह किसी के कहने से ऐलान नहीं किया बल्कि स्वेच्छा से ऐलान किया और मैं समझता हूं उस वक्त सरकार अपने को कायम रखने के लिये यह ऐलान किया कि ऐसी जोतें जो अनुपयुक्त हैं और 6 1/4 (सवा छः) एकड़ से कम हैं उन पर से लैण्ड रेवेन्यू माफ कर दी। यह ऐलान इस असेम्बली में मैंने और आप सब ने सुना है और थोड़े दिनों के बाद यह घोषणा वापिस ले ली जाती है। इसी तरह से शराबबंदी के बारे में घोषणा की गई है। और इस घोषणा के मुताबिक एक अप्रेल,72 तक पूर्ण शराब बंदी लागू हो जानी है। 31 मार्च, 1970 तक इस नियम के मुताबिक शराब की दुकानें सप्ताह में दो दिन बंद रहेगी जबकि मैं मानता हूं कि शराब की दुकानें कभी भी बंद नहीं हुई। यह नियम कभी लागू नहीं किया। अगर यह घोषणा कायम रहती है तो 1 अप्रैल 1970 तक जिसमें 15-20 दिन ही रहते हैं, शराब की दुकानों 4 दिन हफ्ते में बंद रहेंगी और इस के बाद 1 अप्रैल 1971 से शराब की दुकानें 6 दिन बंद रहेंगी और उसके बाद 1 अप्रैल 1972 से शराब की दुकानें 7 दिन याने पूरे तौर पर शराबबंदी लागू कर दी जायेगी। लेकिन सरकार इधर उधर बहाना बनाती फिरती है। कभी कहती है केन्द्रीय सरकार हमारी मदद नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार अपनी बात से मुकर गई है। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि हमारी राजस्थान सरकार जो घोषणा करती है वह उससे ही बार बार मुकर जाती है, यह कितनी बुरी बात है, दुःख की बात है। एक आदमी किसी मामले में कोई एक बात कह दे और उसका ऐलान कर दे, एक बार कहदें जबानी कहदें और उसके साथ साथ अगर लिखित में दे दे तो मैं समझता हूं कि अगर वह आदमी फिर उस बात से टलता है, तो उसके लिये उसे दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, कानून उसे दण्ड देगा और समाज भी उसको दण्ड देगा लेकिन आज इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी संगठित शक्ति अपने बचन पर ध्यान नहीं देती है तो लोगों पर क्या असर होगा इसका आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं। हम समाजवाद की बात करते हैं, लोकतंत्रीय समाजवाद की बात करते हैं लेकिन शायद हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्रीय समाजवाद की बात समझते हैं। इसका मतलब जैसा मैं समझता हूं—मैं कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं—लोकतंत्र का आधार है सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वाधीनता। व्यक्तिगत स्वाधीनता कायम रहे, आपस में सहिष्णुता कायम

(श्री आदित्येन्द्र)

रहे और हिंसा कम से कम इस्तेमाल की जाये, अहिंसा और प्रेम का वातावरण हो, घृणा और द्वेष न हो, ऐसे वातावरण में हम समाजवाद की स्थापना करें। लेकिन समाजवाद की स्थापना केवल यह समझ लें कि हमने आंकड़े रख दिये और कोई एक बात असेम्बली में कह दी, इतने भर से आ जावेगा, तो उससे नहीं आने वाला है। यह एक तरह की नकल है। मगर नकल भी सच्ची की जाये तो काम ठीक हो सकता है। हम उन कम्युनिस्ट कन्ट्रीज़ की नकल करना चाहते हैं जहां कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। वहां केवल एक ही वाद है और वे उस वाद को पूरा करने के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। इस तरह से हम समाज के कल्याण की गाड़ी कैसे तेज चला सकते हैं। आप ने 5 करोड़ के टैक्स लगाये। अगर यह 5 करोड़ रुपया कम से कम गरीबों के हित में व्यय किया जाये, उन कमजोर तबकों के लिये खर्च किया जाये जो निस्सहाय हैं, और समाज के कमजोर वर्ग हैं, उस वर्ग को आप इस कर से मदद करते हैं, तब तो आप समाजवादी हैं नहीं तो मैं समझता हूं आप कुछ नहीं हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि आज हम इस दृष्टि को लेकर चलें और इस दृष्टि से सोचें।

यह जो बजट बनाया गया है, इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम असाधारण कह सकें। अब एक चीज और मैं कह दूं। यह जो बजट है, उस बजट में एक चीज जिसकी और ध्यान रखना चाहिये वह बिल्कुल नहीं है। वह है मितव्ययिता। मितव्ययिता सब से पहले हमारे ऊपर आनी चाहिये। इस सदन के 184 सदस्य हैं और 5-7 महीने पहले ही हमने एक सत्र में अपने इमोलुमेंट्स बढ़ाये हैं ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। समय समाप्त किया जाये, यह सदन की इच्छा है।

(आवाजें-समाप्त किया जाये, बढ़ाया जाये)

मैं आधे घंटे के लिये समय और बढ़ाता हूं और माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपना भाषण 5-7 मिनिट में ही समाप्त करें।

श्री आदित्येन्द्र : इमोलुमेण्ट्स हमने बढ़ाये हैं, मैं समझता हूं वह हमारे लिये ठीक नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे सदन को एक जाल में फंसा दिया जिस जाल में कि हमें फंसना नहीं चाहिये

(1 म० प०)

था। अगर हम अपना वेतन अपना अलाउन्स मिलाकर 400) रुपये से 500) रुपये कर लेते हैं और 21 रुपये की बजाय 31 रुपये कर लेते हैं तो इससे बजट में 6 लाख की बढोतरी हो जाती है, यह बड़े दुःख की बात है।

इसी तरह से यह जो किया गया है मंत्री मण्डल की संख्या 40 रखी गई है, इस पर भी कुछ कहने की इसीलिये हिम्मत नहीं होती कि हम लोगों को ज्यादा अलाउन्स और मासिक भत्ता देकर डिमोरेलाइज कर दिया गया है। आज मंत्रियों की संख्या 40 है जिन पर बेतहाशा खर्च हो रहा है। एक बार मुझे याद है सुखाड़ियाजी से मैं

(श्री आदित्येन्द्र)
वैसे ही बातें कर रहा था अकेले में। मैंने सुखाड़ियाजी से कहा कि इस मंत्रिमण्डल को तो छोटा करिये। उन्होंने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा कि ऐसा करने से कहीं मंत्रि मण्डल ही खत्म न हो जाय और गवर्नमेन्ट फेल न हो जाय…

श्री अध्यक्ष : यह किस समय की बात है।

श्री आदित्येन्द्र : यह डेढ साल पहले की बात है।

एक माननीय सदस्य : आप जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब की बात है क्या ?

श्री आदित्येन्द्र : नहीं मैं जब समाजवादी पार्टी में था तबकी बात है।

मैंने उनसे कहा ठीक है। अगर ऐसी बात है तो क्या किया जाय। उन्होंने कहा अगर आप हमारे साथ आजायें तो मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है मैंने कहा ऐसी चीजें तो मेरे लिये न खुशी की है और न आनन्द की है मैं सुखाड़ियाजी से चाहता हूं कि वे इस मन्त्रि मण्डल के स्वरूप के बारे में सोचें जिससे हमारे प्रान्त को फायदा हो।

श्री रामनारायण चौधरी : पोइन्ट आफ ऑर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य जिनकी सुखाड़िया जी से कोई व्यक्तिगत बातचीत हुई हो वह क्या सदन में रख सकता है ?

श्री अध्यक्ष : सामान्यतः आपसी बात चीत सदन के प्रांगण पर नहीं आती है माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्यों में हैं।

श्री आदित्येन्द्र : मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं सार्वजनिक बात को सदन के सामने रख रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मन्त्रियों की संख्या 40 कर रखी है उसकी जगह दस ग्यारह से ज्यादा मन्त्री नहीं होने चाहिये। हमें दस ग्यारह से ज्यादा मंत्रियों को बरदाश्त नहीं करना चाहिये।

इसके साथ साथ दूसरी बात यह है, हमने जो अपने इमोल्यूमेन्ट्स बढाये हैं उनको वापिस करना चाहिये। मैं समझता हूं अगर कोई माननीय सदस्य इस बारे का प्रस्ताव लायें तो सब लोग उसको पास कराने में मदद करें ताकि जो हमने अपने इमोल्यूमेन्ट्स बढाये हैं, उसमें कमी करा सकें।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य अलग अलग से आरम्भ करें तो बाद में यह सामूहिक हो जायगा।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : पहले इन्हीं की ओर से हो।

श्री आदित्येन्द्र : इस तरह से करने से लाखों रुपयों की बचत हो सकेगी और इस तरह से एक प्रकार से नयी हवा पैदा होगी। तमाम राजस्थान भरके सर्विस क्लास के लोगों में, वरिष्ठ अधिकारी हैं वे सब यह समझेंगे कि माननीय मन्त्री महोदयों ने और विधान सभा सदस्यों ने अपने वेतनों में कमी कर दी है तो हमें भी इस ओर कदम उठाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक बात जो मैंने पहले भी कही है और फिर दोहरा देना चाहता

(श्री आदित्येन्द्र)

हूं हमारा जो पंचायत राज है उसको प्रभावशाली बनाया जाय, ज्यादा व्यापक बनाया जाय, इसको ज्यादा मजबूत बनाया जाय ताकि जनता को लाभ पूरा मिल सके।

पंचायत के तीन स्तम्भ हैं ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें। मेरा यह भी निवेदन है कि पंचायत समितियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय इनका अब कोई यूज नहीं रहा है। खास तौर से जो 232 पंचायत समितियों को जीपें दी गई हैं उनसे इनको ज्यादा खर्चीला बना दिया गया है। ग्राम जनता में या किसानों में जो काम करते हैं वे ही लोग जिनको पैदल चलकर ग्रामवासियों से सम्पर्क करना चाहिये वे लोग दिन रात गाड़ियों में घूमते हैं और इस तरह से इनका दुरुपयोग होता है। अगर आप इन गाड़ियों के दुरुपयोग को ही बन्द कर दें तो ढाई तीन करोड़ का खर्चा बच सकता है। इस तरह से पहली जो बात है हमें अपने प्रशासनिक खर्चे में मितव्ययता लानी चाहिये। मेरा ऐसा विश्वास है कि दस पन्द्रह करोड़ रुपयों तक की प्रशासन में कमी की जा सकती है। इससे एफीशियेन्सी बढ़ेगी। आज हो क्या रहा है कि बेकार की पोस्टें बढ़ादी जाती हैं उनका उपयोग कुछ नहीं, उनके पास काम कुछ नहीं होता। अगर इस तरह से कमी की जाय तो दस पन्द्रह करोड़ तक की बचत हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे दिन में हमारी पार्टी के किसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, आसन से इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी कि डागा जी के बाद इधर के माननीय सदस्य को समय दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। श्री कटेवा।

श्री पृथ्वीसिंह : जब एक बार आसन से व्यवस्था दे दी गई कि हमारे सदस्य को बोलने का अवसर देंगे फिर भी आप नहीं दे रहे हैं।

श्री विजयसिंह : अब तक एक भी स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इनको समय देने के बाद आपको भी एडजस्ट कर दूंगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आसन इस बात की व्यवस्था कर दे कि इनके बाद माननीय सोढ़ा को ही समय दिया जायगा।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य को आप मौका नहीं दे रहे हैं जब कि आसन से एक बार व्यवस्था दे दी गई।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मूलचन्दजी डागा के बाद मुझे बोलने का अवसर देने के लिये आदेश हुआ था लेकिन उनके बाद तीन चार सदस्य बोल गये। मुझे आपने अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं आपको भी एडजस्ट कर दूंगा। यह व्यवस्था नहीं है इसका कन्वीनियेन्स से मतलब है।

श्री पृथ्वीसिंह : आश्वासन चेयर से दिया गया था कि मूलचन्द जी डागा के बाद श्री बालसिंह सोढ़ा बोलेंगे लेकिन आप इनको समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पांच सात मिनिट ऐसे ही लगा रहे हैं इतने में कटेवा जी बोल लेते।

श्री बालसिंह सोढ़ा : विरोधी दल के साथ यह व्यवहार उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के साथ सहूलियत से व्यवहार किया जाता है।

श्री पृथ्वीसिंह। डागाजी के बाद इनको समय देने का था आपने नहीं दिया।

श्री विजयसिंह : आप यह बतला दीजिये किन किन को समय देंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा समय दिया गया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : ओन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय चेयर से जब एक बार व्यवस्था हो जाती है क्या उसके बाद उसको बदला जा सकता है। हम आपके आदेश की हमेशा पालना करते रहते हैं लेकिन जब पहले यह व्यवस्था होगई थी कि डागाजी के बाद मुझे समय दिया जायगा फिर उसमें फेर बदल क्यों किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपका पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर समझ गया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : श्री मूलचन्द कटेवा की सहनशीलता देखिये जब मास्टर जी को समय देने की बात हुई तो उनका नाम पुकारे जाने के बाद भी वे बैठ गये।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य निरन्तर बोलते रहे : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आपकी व्यग्रता मुझे मालूम है, मैं आपको एडजस्ट करूंगा। आप शान्त रहिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आसन की व्यवस्था हो जाने के बाद भी उसके अनुसार आचरण नहीं होता है इस प्रकार की गलत परम्परायें नहीं पड़नी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था का आपका कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक समय को एडजस्ट करने का सवाल है वह सहूलियत के आधार पर होता है। आप इसमें सम्मान के प्रश्न को न लायें। मैंने माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया है। इसमें उद्विग्नता न आवे, आप सहनशीलता से स्थान ग्रहण करें। मैं आपको भी इस समय में एडजस्ट कर दूंगा।

श्री मूलचन्द कटेवा।

(व्यवधान)

आप यही चाहते हैं कि नही चले डिबेट आज की ? मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाय। पर इसी बहस में पांच मिनिट का समय तो यों ही व्यर्थ नष्ट हो गया है। अगर आप सहयोग करने को तैयार हों तो मैं उनसे कहूं कि वे जल्दी से जल्दी अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मूलचन्द कटेवा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये तो सरकार को बधाई दूंगा कि इस वर्ष के बजट में किसान पर टैक्स नहीं बढ़ाया है। लेकिन इस बात का मुझे खेद है कि हम यह समझते थे कि राजस्थान के वित्त मन्त्री राजस्थान का बजट प्रस्तुत करेंगे तो उन किसानों पर जो कुओं से सिंचाई करते हैं उन पर चाही भूमि का जो कमर तोड़ टैक्स है, जो राजस्थान में 14 रुपये बीघा से लेकर 21 रुपया बीघा तक है, उसको समाप्त करेंगे या उसमें बड़ी भारी रियायत देंगे। यह बहुत विचारने का विषय है और यह सदन के सारे ही माननीय सदस्य करीब करीब जानते हैं कि किसान को कुआ बनाने में बैल खरीदने में या पम्पिंग सेट का प्रबन्ध करने में कितनी भारी रकम की व्यवस्था करनी पड़ती है। कितनी कठिनाई से किसान को पैसा मिलता है। कितना भारी ब्याज उसको देना पड़ता है और इतना सब कुछ करने के बाद भी किसान उतनी तादाद में अपने कुए से उतनी भूमि सिंचित नहीं कर सकता जितनी कि नहरी भूमि को नहर से किसान कर सकता है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय एक नहरी भूमि की सिंचाई के लिये पानी लगाने के लिये केवल दो आदमी पर्याप्त होते हैं, जब कि एक कुए को चलाने और उससे खेत में पानी लगाने के लिये कम से कम सात आदमियों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसको देखेंगे कि उसकी पैदावार पर उसके खेत पर कितनी बड़ी भारी लागत आती है नहरी जमीन के मुकाबले में। फिर भी किसान की उस कुए वाली जमीन पर नहरी भूमि से भी हुई कई गुना अधिक टैक्स है। यह उसके प्रति अन्याय है। इसे दूर किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसी का नाम समाजवाद है ? एक किसान जो नहरी पानी से आसानी से अनाज पैदा कर लेता है वह कम टैक्स दे और दूसरा किसान जो अपने कुए से पानी निकाल कर ज्यादा मेहनत करके अनाज पैदा करता है वह भी नहरी जमीन वाले किसान से कम पैदा करता है वह उससे भी अधिक भारी टैक्स दे यह कहां का न्याय है। इसलिये मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब वे बजट भाषण का उत्तर दें उस समय इस टैक्स को पूर्णतया समाप्त करें।

एक बात किसी हद तक वाजिब हो सकती है कि कुए से सिंचाई करने वाला बारानी के किसान से एक फसल अधिक लेता है। इसलिये अगर ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है कि बारानी भूमि का जो लगान है उससे कुए से सिंचाई करने वाले से दुगुना ले लिया जाय। इससे अधिक लगान लेने की सरकार अगर जिद्द रखती है तो वाजिब नहीं है। समाजवाद की बात भी यह नहीं है। और यह भी कहना चाहता हूं कि आजकल इसकी बड़ी भारी चर्चा है। उसका अगर चाही भूमि का लगान माफ करके श्रेय लेना हो तो आप ले लें। नहीं तो यह, तो किसी न किसी रूप में आगे पीछे छोड़ना ही पड़ेगा फिर इसका श्रेय दूसरे लोगों के हाथ में क्यों जाने देते हैं।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू

(श्री मूलचन्द कटेवा)

विभाग की जितनी बड़ी धान्धली है उससे सभा परेशान हैं। मैं देखता हूं दस पन्द्रह साल हो गये जिन कुश्रों से सिचाई का काम नहीं लिया जा रहा है उन कुश्रों का जिक्र आज भी रेवेन्यू रेकार्ड में नहीं है और उसके नीचे जो जमीन है वह आज भी सरकारी कागजों में सिंचित भूमि है। सेटलमेंट होता नहीं है। इसलिये सिंचित भूमि के खाने में इसको रख रखा है। जब कि सिंचित होती नहीं है उस जमीन को किसान से उसी सिंचित के हिसाब से बड़ा भारी लगान वसूल किया जाता है। तो यह भी बुरी बात है। इसको भी सरकार को ठीक करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री मूलचन्द कटेवा : मैं एक बात से सहमत नहीं हूं कि कुश्रों पर किसानों को सरकार काफी बिजली दे रही है। बजट में इसके लिये जितने धन का प्रावधान है वह अपर्याप्त ही नहीं है, भारी अपर्याप्त है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जबकि सरकार यह मानती है कि राजस्थान में बिजली का प्रचार प्रसार होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि जब तक बिजली मिलकर अधिक खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होगा तब तक राजस्थान की और किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी, तो फिर यह कहना कि हम दो करोड़ किसी से लोन लेंगे, 5 करोड़ किसी से लेंगे यह क्यों ? आपका बैंक राष्ट्रीयकरण कब काम आवेगा ? मैं पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्रीजी से कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है तो फिर इस बिजली की वृद्धि के लिये जो किसान की भी और देश की भी जीवन दायिनी है, इन बैंकों से लोन क्यों नहीं लेते। यह राष्ट्रीयकरण की चीज फिर किस काम आवेगी ?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैं उस इलाके का रहने वाला हूं जो हरियाणा के साथ लगता है। हमारे हरियाणा के आपस में सम्बन्ध हैं। रिश्तेदारियां हैं। दिल्ली का रास्ता भी उधर से पड़ता है। इसलिये लोगों का बड़ा आना जाना है। लोग वहां जाते हैं और देखकर लौटते हैं वहां का हाल तो कहते हैं कि हमारे बोर्डर का वह हरियाणा वाला इलाका ऐसा है जहां कोई गांव और कोई कुश्रा ऐसा नहीं रहा जहां बिजली न पहुंच गई हो। आज झुंझुनूं जिले के लोग इसको महसूस करते हैं कि उनको हरियाणा में होने की वजह से बिजली मिल गई और हम राजस्थान में बिजली के लिये तरस रहे हैं, ऐसा राजस्थान हमारे किस काम का अगर आज हमारा यह इलाका भी हरियाणा में होता तो हमें भी बिजली मिल जाती। तो मैं यह भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज उधर के लोग इस तरह की बातें भी करने लगे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय बजट पर बहस होती हो, तो सदन में उससे सम्बंधित वित्त मन्त्री या उप मन्त्री को उपस्थित रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। आरम्भ रखिये। समय मत गंवाइये इस तरह।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वित्त मंत्रीजो को पता नहीं और विभाग के अधिकारियों

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

को पता नहीं तो सन्तोषजनक, समाधानकारक उत्तर कैसे मिल सकेगा बहस का। फिर तो यह सारी सदन की बहस व्यर्थ है।

श्री मूलचन्द कटेवा : तो अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि हरियाणा राज्य ने बिजली में तरक्की की है तो आप भी उन गांवों में जो कम से कम हरियाणा को बोर्डर से लगते हैं बिजली का तुरन्त पूरा पूरा प्रबन्ध करें। नहीं तो आश्चर्य की बात नहीं अगर उधर के लोग दूसरी तरह की बात सोचने लगें।

हरित क्रान्ति की बात कही गई। मैं किसान हूं। इस नाते निश्चित तौर से यह बताना चाहता हूं कि हरित क्रान्ति की बात करना निरर्थक है। इसमें न कोई सत्य है न तथ्य है। अगर हरित क्रान्ति कहीं आई दीखती भी होगी तो इन लोगों के पूंजीपतियों और मन्त्रियों और सरकारी उच्चाधिकारियों के फार्मों पर आई होगी जिनके पास सारे साधन उपलब्ध हैं, सारी मशीनरी जिनके खेत पर है, जिनको लोग खरीद सकते हैं। गरीब किसान के लिये तो यह हरित क्रान्ति आज भी स्वप्न है। यह मानता हूं कि कृषि वैज्ञानिकों ने अच्छी किस्म के बीज तैयार किये हैं। पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि पिछली साल जिन्होंने वह बीज बोया था उन्होंने इस साल नहीं बोया। इसका कारण यह है कि सरकार की मशीनरी सजग नहीं है। आलसी और निकम्मी है। सरकारी मशीनरी अगर सजग नहीं रहेगी तो जो कुछ थोड़ा बहुत किसान इस तरफ आकर्षित हुआ है वह भी नहीं होगा, और वह इसका बायकाट कर देगा। आज गरीब किसान को तो यही मालूम नहीं है कि यह बीज किस तरह का है, कैसा है, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है कैसा खाद इसमें देना पड़ता है कितना पानी देना होता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज गरीब किसान इतना साधन सम्पन्न नहीं है कि इस बीज के नखरों को झेल सके। फिर इस उन्नत बीज से खेती करने पर कम से कम चार सौ रुपया से कम पक्का बीघा पर खर्च नहीं आता है। गरीब किसान के लिये यह कर सकना असम्भव है। सरकार को इस तरफ पूरी सजगता से ध्यान देना चाहिये। नहीं तो तथा कथित हरित क्रान्ति की बात भी पूरी नहीं हो सकेगी और जितना बीज जिन लोगों ने धन खर्च करके लिया है उनका वह सारा का सारा धन बेकार जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी बाधा किसान के सामने है कि जो आधुनिक किस्म का बीज है उसमें भूमि का परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। मैंने भी इस बीज से कुछ फसलें ली हैं, जो बिना भूमि के परीक्षण के ली हैं उनमें पैदावार कम हुई है इसके लिये, इससे पूरा लाभ उठाने के लिये भूमि का परीक्षण आवश्यक है, नहीं तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है, और इस भूमि का परीक्षण करने की सरकारी व्यवस्था खराब है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि बैलेन्स्ड डाइट जब तक पूरी तरह से इस बीज को नहीं मिलेगी यह पूरी पैदावार नहीं देगा। यह बेलेन्स्ड डाइट उस समय मिल सकती है जब भूमि का परीक्षण करके किसान को यह बताया जावे कि कौनसा खाद किस समय, कितनी मात्रा में इसमें पड़ेगा। आज खेद की बात

(श्री मूलचन्द कटेवा)

है कि इस परीक्षण की लेबोरेटरियां राजस्थान में सिर्फ दो तीन जगह ही हैं। मैं वित्त मन्त्रीजी से कहूंगा कि राजस्थान में अधिक लेबोरेटरियां खोली जावें और इसके लिये अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जाय। कम से कम जिला मुख्यालय पर एक लेबोरेटरी तो होनी ही चाहिये। ताकि जिला मुख्यालय तक किसी तरह से किसान जा सके, जहां तक जाने में किसान को कम कठिनाई पडेगी वहां पर चला जावेगा और वहां जाकर अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकेगा और इस तरह से पैदावार अपने खेत में बढ़ा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(विपक्षी सदस्यों में से कुछ के एक साथ खड़े होने पर) एक आप में से कोई बोल लीजिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय आज तीन दिन से सन् 1970-1971 के बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। हमारे मन मौजी वित्त मंत्री जी ने कुछ नाटकीय ढंग से आंकड़ों के जाल में फंसाने की कोशिश की और इस बजट को समाजवादी बजट बताने की चेष्टा की। परन्तु इसके विपरीत हुआ यह कि नाटकीय ढंग से वित्त मंत्री जी खुद फंस गये। एक पैरा में लिखा है आर्थिक अव्यवस्था का कारण अकाल है। उन्होंने अकाल के आधार पर इस बजट को जस्टीफाई करना चाहा और समाजवादी रूप देना चाहा। इस बजट में पहले पैरे में अकाल में गत वर्ष 1 करोड़ 32 लाख मजदूरों की व्यवस्था का विवरण दिया गया है और राज्य की वित्त व्यवस्था को संकट में बताया। परन्तु मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, उसी के पास में इस पैरे में इस वर्ष में 70 लाख मजदूर अकाल से प्रभावित हैं ऐसा बताया है। इन 1 करोड़ 32 लाख मजदूरों की गत वर्ष व्यवस्था करने के लिए लाखों रुपयों की सिरकी, तगारी, फावड़ा और जी० सी० शीट्स खरीदने की व्यवस्था की गई परन्तु जब आज वापिस 70 लाख प्रभावित मजदूरों पर करोड़ों रुपया वापिस खर्च किया गया तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वहां दुबारा सिरकियों, जी० सी० शीट्स व तगारी फावड़े खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी पहले वाले कहां गये। इस वर्ष 70 लाख आदमी कम होते हुए भी ऐडिशनल खर्च किया इसका कारण क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट उस प्रकार का बजट है जिस प्रकार एक बर्तन में छेद हो जाता है और उसको आप ऊपर से भरने की कोशिश करें, ऊपर से आप भरना चाहते हैं तो यह कभी नहीं भरेगा। ऐसे बजट में टैक्स लगाकर घाटा पूर्ति करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। राजस्थान सरकार में कई छेद हो चुके हैं। इन छेदों को जनता की कमाई से कभी नहीं भर सकते हैं इसलिए यह समाजवादी बजट नहीं है। जनता का समाजवाद के नाम से एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कई उदाहरण मैं आपको दूं गत वर्ष जो फेमीन में भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिये हमारे कांग्रेस के संसद सदस्य श्री अमृत नाहटा ने 13 करोड़ के भ्रष्टाचार के एलीगेशन लगाये परन्तु आज तक उन एलीगेशन के बारे में राज्य सरकार ने जांच नहीं कराई। लोक सभा, विधान सभा में

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को बनाया, मैं मांग करता हूं राज्य सरकार इसके लिये कमीशन नियुक्त करे। अभी चार रोज पहले श्री ओंकार लाल जी, संसद् सदस्य, ने चार भ्रष्टाचार के आरोप लगाये परन्तु राज्य सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगी मैं एक बात बताना चाहता हूं जब गुरु नानक छोटे थे तब उनके पिताजी ने कहा तुम यहां खेत में बैठे क्या कर रहे हो, चिड़ियां खेत चुग रही हैं, तब उन्होंने अपने पिताजी से कहा रामजी की चिड़िया, रामजी का खेत, चुगो री चिड़िया भर भर पेट। इसलिये हमारे मुख्य मंत्री जी को ब्रह्मज्ञान हो गया है। भ्रष्टाचार में कोई फरक नहीं हैं। भ्रष्टाचार को ही वे सदाचार मानते हैं।

अब मैं एक भ्रष्टाचार का नमूना जो इसी वर्ष का ताजा है सदन को पढ़कर सुनाता हूं। अभी 24-1-70 को पुराना बारदाना बेचा गया। अध्यक्ष महोदय, निगोशियेशन के द्वारा किसी व्यापारी से इसकी व्यवस्था सरकार ने कर ली। 2 लाख 10 हजार बोरी बेची गई जिनकी कीमत दूसरे व्यापारी ज्यादा देने को तैयार थे परन्तु सरकार ने एक फर्म जिसका नाम बंशीधर रामगोपाल, उनको सस्ते दामों पर दे दी गई। जिसमें राज्य को दो लाख से अधिक की हानि हुई है। इसके लिये राज्य सरकार को रिप्रजन्टेशन भी दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुराना बारदाना जो बेचा गया है यह गलत ढ़ंग से बेचा गया है। इसको मैं पढ़कर सुना देता हूं—

Letter dated 25-2-70 to the Food Minister Government of Rajasthan, Jaipur.

Illigal sales of purana bardana, gunny bags for two lacs and ten thousand to M/s Bansidhar Ramgopal, Jaipur on 24-1-70 by the Food Commissioner which has resulted in pecuniary loss to the State Exchequer to the tune of two lacs.

श्री अध्यक्ष : आप रिप्रजन्टेशन किसका पढ़ रहे हैं ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : पुराना बारदाना जो बेचा है।

श्री अध्यक्ष : नकल आप लाये हैं ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : एक्सट्रैक्ट पढ़ रहा हूं।

इस प्रकार से यह लेटर दिया गया है, 25-2-70 को। लेकिन आज तक राज्य सरकार ने न तो उस बारदाने को वापिस बेचने को एलान किया और न एन्क्वायरी की। मै समझता हूं यह घाटे का बजट कभी पूरा नहीं हो सकता है। मैं इसी प्रकार समाजवादी नारा देने वाली सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जैसलमेर अकाल से 9 साल से पीड़ित है, वहां का जीवन स्तर कितना गिरा हुआ है, क्या कभी आपने यह सोचा है ? आज राज्य सरकार में बैठने वाले विधायक दैनिक भत्ता 31 रु० रोज लेते हैं और केन्द्रीय सरकार में बैठने वाले विधायक 51 रु. रोज भत्ता लेते हैं लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर में रहने वाले अकाल

(श्री बालसिंह सोढा)

से पीड़ित लोगों को सरकार कहती है कि तुम 12 रु० और साढ़े बारह रुपये महीने में अपना जीवन निर्वाह करो। आप सोचिये कितना फर्क है। वे गरीब लोग बारह और साढ़े बारह रुपये में एक महीने के लिये गुजर करें और यहां 31 रु. रोज मिलें। यह है समाजवाद का नारा। क्या इसे ही आप समाजवाद कहते हैं ? राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्स इसलिये खतम करना चाहते हैं कि आप समाजवाद लाना चाहते हैं और नये राजा और महाराजाओं को पैदा करते चलते हैं। यह है आपका वास्तविक समाजवाद ? यही है आपका नारा ? आपकी कथनी और करनी में फर्क है। इसका मैं एक उदाहरण हमारे सामने है। फैमीन मिनिस्टिर ने 5 अगस्त, 1968 को कहा था अकाल में पी. डब्ल्यू. डी. भ्रष्टाचार कर रही है, उसकी व्यवस्था को हम बदलेंगे, पेमेन्ट की ऐजेन्सी को बदलेंगे परन्तु मुझे खेद है करोड़ों रुपयों का गबन हो गया। जैसलमेर में करीब तीन करोड़ फेमीन रोड्स पर लगाया परन्तु मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज भी जैसलमेर में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर गाड़ी चल सकती हो। इस प्रकार खुलकर वहां भ्रष्टाचार हुआ है अकाल के नाम पर। आप समाजवाद का नारा देते हैं ? इस अकाल के नाम पर जनता का एक्सप्लाइटेशन किया है। यह अकाल आपके नेताओं के लिये, आपके मिनिस्टरों के लिये वरदान सिद्ध हुआ है परन्तु मुझे खेद है यह अकाल पश्चिमी प्रदेश के लिये एक अभिशाप सिद्ध हुआ है। आप नारा देते हैं हरित क्रान्ति का, मुझे बड़ा खेद है झूंठ बोलें तो इतनी बोलें जो खप सके, सफेद झूंठ बोलते है जो किसी प्रकार चल ही नहीं सकती है इसीलिये जनता आपके विश्वास में नहीं आती है। वित्त मंत्री जी घोषणा करते हैं भूख से एक आदमी भी नहीं मरा। अनाज के भाव बढ़ जाते हैं और साथ ही आप अकाल के मजदूरों को समय पर पेमेन्ट नहीं करते हैं। जब दो महीने बीत जाते हैं तब पिछला पेमेन्ट करते हैं। मैं पूछता हूं कौनसी जड़ी बूटी है आपके पास जिससे आदमी इस तरह की भूख में नहीं मरें। इकोनोमिक स्तर, राजस्थान का ऊंचा बताया गया है। उसका एक नमूना आप जैसलमेर से शुरू करें। आप गुजारा करने के लिये बाध्य करते हैं मजदूर को बारह रुपये और साढ़े बारह रुपये महीने में। इसमें वह किसी प्रकार भी अपना गुजारा नहीं कर सकता है क्योंकि आप अनाज सस्ता कर नहीं सकते। इसलिये लोग बाध्य होकर घास खा रहे हैं। जिसको ऊंट के सिवाय कोई जानवर नहीं खा सकता है उसे आज जैसलमेर का व्यक्ति खा रहा है। इस घास का नाम मोहन है जो मैं सदन की मेज पर रखता हूं। दूसरी लाना घास है जो जैसलमेर का आदमी खा रहा है। इस प्रकार का समाजवाद लाने वाली सरकार और हरित क्रान्ति लाने वाली सरकार अपने आप को कल्याणकारी कहने वाली सरकार जिस सरकार के शासन में हजारों आदमी भूख से मर गये ...

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री हंसराज आर्य : ... चेलेन्ज है, एक भी आदमी नहीं मरा है, नहीं मरा है।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, यह भूख आपको लगती कब है, आप तो

(श्री बाल सिंह सोढ़ा)
बकरे की तरह चर रहे हो । भूख से आदमी मरता है, यह है आपका समाजवाद ···

एक माननीय सदस्य : अगर एक आदमी भी भूख से मर जाता तो भैरोंसिंह जी सदन में···(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, घास खाकर आदमी मर जाते हैं । इस घास के खाने से लोगों की पेट की आंतड़ियां सूज जाती है । और आप कोई उसको जीमते तो आपको पता होता । अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि छाती कूटो । तो क्यों नहीं कूटो जब कोई मर जाये तो ··

श्री भैरोंसिह : यह तो जब तक जीते रहेंगे हाय हुसेन करते ही रहेंगे ।

श्री बालसिंह सोढ़ा। जब इनके जैसे हाय करने वाले मिल गए तो छाती ही कूटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भूल जाते हैं···

श्री भैरोंसिह : यह तो बीकानेर के माननीय सदस्य तब से हुए जब से कि चुनकर वहां से आये हैं ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि इस सदन के फ्लोर पर मैंने भूख से मरने वालों की लिस्ट दी थी और आज तक न तो गवर्नमेन्ट और न कमेटी ने ही क्लेरीफाई किया है कि यह आदमी भूख से नहीं मरे हैं । सदन की प्रोसीडिंग्स में नाम मौजूद हैं। यह सारी बातें और वह नाम, जो मैंने भूख से मरने वालों के गिनाये थे, उनको सरकार ने कान्ट्रेडिक्ट नहीं किया है ।

श्री हंसराज आर्य : कोई नहीं मरा है ।

श्री बालसिंह सोढा। आप पहले विश्वासपात्र सुखाड़ियाजी के हो सकते हैं सदन के नहीं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है ।

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह ओइन और लाना घास को निकालती हुई और रोटी खाती हुई औरतों की फोटो हैं । इसलिए मैं बता रहा हूं सुखाड़ियाजी इन फोटोज पर नजरिया डालें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सफेद झूंठ है ।

श्री बालसिंह सोढा : मैं बता देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : फोटो से पता नहीं लगेगा कि क्या खा रही हैं ।

श्री बालसिंह सोढा : मैं बताता हूं कि नवम्बर के महीने में जैसलमेर कलेक्टर ने गवर्नमेन्ट को अनुपालना भेजी है कि यहां पर लोग लाना और ओइन घास खाकर गुजारा कर रहे हैं जब कि आपके अकाल राहत कार्य अक्टूबर में बन्द हो गए और आज 7 महीने हो गये हैं फिर भी कोई राहत नहीं मिली । रुपये की व्यवस्था अब जाकर जनवरी में की है······

श्री मदनसिंह : और किसी की तो मालूम नहीं मगर 15-20 रोज तक एक एम. पी. भूखों मर गये जैसलमेर में जिनको किसी ने रोटी नहीं खिलाई ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : और इन्दराजी ने नये समाजवाद का नारा लगाया और दूसरी तरफ जैसलमेर की समस्या विकट हुई जा रही है । राजस्थान कैनाल का नारा देकर जैसलमेर को यह सरकार उजाड़ना चाहती है......

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, सदन का समय 1 बजे तक का था...

श्री अध्यक्ष : 1 बजे बाद पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा सकते (मजाक में) ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में यहां सदन में एलीगेशन्स लगाये गये लेकिन आज तक उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन की प्रॉसीडिंग्स इर्रेगुलर चल रही है क्योंकि समय समाप्त हो गया । 1-30 के बाद जो कार्यवाही हो रही है वह नियमित नहीं कही जा सकती ।

श्री अध्यक्ष : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ले लेते हैं । 1-30 बजे से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से माननीय सदस्य भाषण समाप्त करें जो समाप्ति का समय मेरे विवेक पर रहेगा तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है ।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो समाजवाद का नारा लगाया है जैसलमेर के अकाल की व्यवस्था क्या की ? आज अकाल में करोड़ों रुपया खर्च करके क्या स्थाई व्यवस्था की ? आपने बीस बाईस साल से एक भी स्थाई हल नहीं निकाला । जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में लोग आज राज्य सरकार पर आश्रित हैं । आज राज्य सरकार 10-12 रुपया सबसीडी के नाम से हर आदमी को कर्जदार करना चाहती है और उनका आत्मबल और स्वाभिमान नष्ट करना चाहती है । मुझे खेद है कि राज्य सरकार ने जगह जगह यह नारा लगाया और हमारे अकाल मन्त्री ने घोषणा की कि अपूर्ण काम पूरे किये जायेंगे । मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि जैसलमेर में 3 करोड़ सड़कों पर खर्चा हुआ और 1 करोड़ दूसरे कार्यों में खर्च करने के बाद आज वहां पर 60 वर्क्स इनकम्पलीट पड़े हैं । अगर वह काम कम्पलीट नहीं कराये गये तो यह करोड़ों रुपये धूल में मिल जायेंगे । लोगों को वहां पर राहत नहीं मिली है और वह नेताओं की जेबों में गये हैं और करप्शन बढ़ा है । आज राजस्थान में 109 केसेज तो पेन्डिग पड़े हैं और 70 में इन्क्वायरी चल रही है और मजदूरों का 9 लाख रुपयों का पेमेन्ट अनपेड पड़ा है और राज्य सरकार नये टैक्सेस लगाकर सीलिंग और राजाओं का विशेषाधिकार समाप्त कर अपने आपको प्रगतिशील बताना चाहती है । दुनिया को आप ज्यादा धोखा नहीं दे सकते । लाखों रुपयों का बारदाना आपने कोड़ियों में बेचा । यह भ्रष्टाचार आज दिन तक जनता ने टालरेट किया लेकिन अब जनता इसको टालरेट नहीं करेगी, जब कि खुले आम भ्रष्टाचार है ।

अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में एक नोख से मदासर सड़क बनी और इस सड़क की चैकिंग के लिए एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर गये तो उनको 3 घन्टे सड़क को ढूंढने

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
में लग गये जिस सड़क के ऊपर कि 5 लाख रुपया खर्च हुआ है।

श्री अध्यक्ष : रात के वक्त गये थे ?

श्री बालसिंह सोढा : दिन के एक बजे और उनको सड़क नहीं मिली। तब जाकर एक गांव में पूछा कि सड़क कहां है। दूसरी सड़क केतोलिया से उडानिवा है और इस पर भी 3 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। मिट्टी तक का पता नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : राजस्थान केनाल पर लोगों को बुलाया और आये नहीं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान केनाल पर आ जाता हूं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान केनाल के नाम पर जैसलमेर के लोगों को वहां पर ले जाना चाहा। कुछ लोग चले गए। मैं अभी 7 तारीख को जा कर आया हूं सत्तासर के पास शिफटीशैड है और हजारों की संख्या में मजदूरों को वहीं लगा रखा है। वहां पर दो-दो और तीन तीन गड्डे खोदते हैं। जो रात को वापिस मर जाते हैं। वहां पर आज मजदूरों का मजदूरी नहीं मिल रही हैं। और नहर को दसों जगह से खोद रखा है काम परमानेन्ट नेचर के नहीं किये जा रहे हैं और जहां नहर खोद रहे है वहां पर दो महीने के बाद तो आपको उसका नामोनिशान नहीं मिलेगा। आप टैक्स लगावें लेकिन कोई भी राज्य प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी व्यवस्था में सुधार नहीं हो। तो आपको अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा। यदि व्यवस्था में सुधार करना है तो चेरिटी बिगिन्स एट होम तो करप्शन जब तक खतम नहीं होगा तब तक इस व्यवस्था को आप नहीं खतम कर सकेंगे....

श्री अध्यक्ष : चेरिटी बिगिन्स एट होम तो करप्शन पर कैसे ?

एक माननीय सदस्य : चेरिटी है तो इतने साल तो वहां पर एक नाला भी नहीं बनाया था।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इस राज्य सरकार की यह नियत होगई है कि वह वही काम करती है जिसमें खाने का रास्ता होता है और टास्क बेसिस से वर्क कराते हैं। तो इस तरह से तो राजस्थान कैनाल पर आप अगर परमानेन्ट काम करा देते हैं तो 10 साल के बाद भी उसका एसेसमेंट किया जा सकता है......

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

.. लेकिन आप तो इस तरह से करा रहे हैं कि एक रात में आन्धी आये तो वह सारा काम साफ हो जाय और आपको पैसा खाने का मौका मिले और काम की कुछ भी प्रगति न हो। सुखाड़ियाजी ने इसमें तो प्रगति की है भ्रष्ट करने में, क्या अधिकारी, क्या नेता सब को भ्रष्टाचार में डाल दिया है। और इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यही हाल भ्रष्टाचार का रहा तो जिस प्रकार से जनसंघ के नेता भैरोंसिंहजी ने इकोनामिकल इमर्जेन्सी डिक्लेयर करने का कहा था वह अपने आप डिक्लेयर हो जायेगी आप दिवालिया हो जायेंगे। मुझे एक किस्सा याद आ गया हलुआ लड्डू सरकार का उसमें क्या था कि...

श्री अध्यक्ष : वह हिन्दुस्तान की सरकार थी या बाहर की ?

श्री जयनारायण सालीविया : हलवा लड्डू तो हिन्दुस्तान में ही होते हैं ।

श्री बालसिंह सोढा : एक परम्परा थी एक राज्य में कि राजा वही होता था जो कि राजा की अर्थी के सामने आता था । राजा के देहान्त होने के बाद में पोल के बाहर एक महाराज मिल गये जो कि किसी सेठ के रसोइया थे जो कि एक दिन भूखे रह गये तो नाराज होकर चले गये और पोल के बाहर में जाकर बैठे थे । दिन उगते ही राजा की अर्थी आई तो पोल के सामने वे मिल गये और लोगों ने उनको पकड़ लिया कि हम आपको राजा बनायेंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे राजा-वाजा नहीं बनना है लेकिन क्या करें वहां की परम्परा ही ऐसी थी तो उनको राजा बना दिया और वे हलुआ लड्डू खाने में और भांग खाने में मस्त हो गये····

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इस तरह से आप सदन में जो बात कह रहे हैं यह गलत बात है ब्राह्मणों के लिए । ब्राह्मण बराबर राजा रहे हैं और आज भी हैं और राजपूतों से ज्यादा अच्छा राज्य करने वाले थे और यहां पर हलुआ, लड्डू पुकार रहे हैं । आप सारे बोर्डर एरिया के हिरन मार मार कर खा गये···

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 16 के प्रातः···

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जब इस सदन का अध्यक्ष ब्राह्मण हो सकता है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । अध्यक्ष की कोई जात नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या बात है कि वे हलुआ, लड्डू की इस तरह से बात करते हैं । यहां बोर्डर के सारे हिरनों को मार मार कर खा गये । शर्म नहीं आती है । आप वापिस लो···(जोर से) वापस लो··· यह गलत है ।

एक माननीय सदस्य : कहीं हलुआ, लड्डू खाने वाले....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । (श्री मदनसिंह से) माननीय सदस्य आप भी स्थान ग्रहण करें ।

श्री मदनसिंह : ब्राह्मण मांस खाते हैं और दारू पीते हैं···

श्री अध्यक्ष : (श्री बालसिंह सोढा से) आप आरम्भ रखिये ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ब्राह्मण ऐसा हो गया है जिन्होंने इस देश को 21 बार निक्षत्रिय किया था ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सारे हिन्दुओं को लूट कर खा गये और क्षत्रीय के नाम पर भैरोंसिंह जी भी खड़े हो गये ।

श्री अध्यक्ष : जातीय द्वेष यहां न आये ।

Page No 127

श्री भैरोंसिंह : गोकुलप्रसाद जी को बालसिंह जी सौढ़ा ने लड्डू और हलुवे की बात ही कही है अगर वे लाकर सामने रख दें तो ब्राह्मण की आत्मा तृप्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 16 मार्च, 1970 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 1 बज कर 45 मिनट पर दिनांक 16 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूची)

सन् 1967-68 व 1968-69 में खरीदे गये वाहनों की सूची

क्रमांक	वाहन का प्रकार,	संख्या,	जिस साल खरीदी गई	फर्म का नाम जिससे खरीद किये गये	कीमत प्रति वाहन
1.	ट्रैक्टर	20	1967-68	राजस्थान मोटर्स ऑफ राज०, जयपुर	20,237.50 पै० प्रति ट्रैक्टर
2.	जीपें	9	1968-69	युनाईटेड मोटर्स ऑफ राज०, जयपुर	21,390.53 पै० प्रति जीप
3.	टी. एम. बी. ट्रक चैसिस	50	1968-69	युनाईटेड मोटर्स ऑफ राज०, जयपुर	51,338.06 पै० प्रति ट्रक
4.	डॉज, फॉरगो स्टेशन वेगन	2	1968-69	मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी, राज०, जयपुर	46,286.55 पै० प्रति गाड़ी

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 136 की सूची)

1 अप्रेल से 31 दिसम्बर सन् 1968 एवं 69 तक डकैतियों व साथ में हुए अपहरण, कत्ल के तुलनात्मक आंकड़े।

क.सं.	जिला	हत्या		डकैती		अपहरण	
		1969	1968	1969	1968	1969	1968
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	—	—	2	4	—	—
2.	अलवर	—	—	3	2	—	—
3.	भरतपुर	3	1	10	12	2	6
4.	जयपुर	—	—	6	6	—	—
5.	झुन्झुनू	—	—	4	9	—	—
6.	सवाई माधोपुर	—	6	6	2	8	6
7.	सीकर	—	—	3	1	—	—
8.	टोंक	—	—	—	2	—	—
9.	बीकानेर	—	—	2	1	—	—
10.	चूरू	—	—	2	1	—	—
11.	गंगानगर	—	—	6	11	—	—
12.	बाड़मेर	—	—	3	7	—	—
13.	जैसलमेर	—	—	1	2	—	—
14.	जालोर	—	—	5	6	—	—
15.	जोधपुर	—	—	8	3	—	—
16.	नागौर	—	—	5	1	—	—
17.	पाली	—	—	—	—	—	—
18.	सिरोही	—	—	—	—	—	—
19.	बांसवाड़ा	—	—	1	—	—	—
20.	भीलवाड़ा	—	—	5	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	बूंदी	—	—	—	1	—	—
22.	चित्तौड़गढ	—	—	2	—	—	—
23.	डूंगरपुर	—	—	—	2	—	—
24.	झालावाड़	—	—	2	3	—	—
25.	कोटा	1	2	17	12	8	9
26.	उदयपुर	—	—	6	8	—	—
27.	जी. आर. पी.	—	—	1	1	—	—
	योग:—	4	9	100	99	18	21

डकैती के अपराधों में लूटी गई धनराशि–चोरी हुई–रु. 3,14,902.59 पै. बरामद हुई–रु. 2,51,325.23 पै.

बरामदगी—79.7 प्रतिशत

सन् 1969 में डकैतों द्वारा अपहरण किये गये व्यक्तियों की तालिका

क्र. सं.	जिला	विवरण	उम्र	डकैतों द्वारा छोड़े गये	पुलिस द्वारा रिहा करायें	अब तक लापता
1.	भरतपुर	किरोड़ी पुत्र किशनलाल नि. खारी	अज्ञात	—	हां	—
2.	,,	बीरजो पुत्र जबगा आरक्षी केन्द्र, बसेडी	,,	—	—	हां
3.	सवाई माधोपुर	बृजनाथ पुत्र खातीप्रसाद निवासी वराड़ा	,,	हां	—	—
4.	,,	समादी खां कां. आर. ए. सी.	,,	हां	—	—
5.	,,	किरोड़ी पुत्र मिश्रीलाल, निवासी लखीमपुर	,,	हां	—	—
6.	,,	जगदीश पुत्र जमनालाल, निवासी मेवाड़ा	,,	हां	—	—
7.	,,	मुरारी पुत्र मांगीलाल, निवासी गुम्नरवाला	,,	—	हां	—
8.	,,	प्रहलाद पुत्र जमनालाल	,,	हां	—	—
9.	,,	मोहनलाल पुत्र हीरालाल निवासी हुरगामा	14 वर्ष	—	हां	—
10.	,,	मनोहर पुत्र झूमन वैश्य, निवासी मेडा	13 वर्ष	हां	—	—
11.	कोटा	रामप्रताप पुत्र मथुरालाल, निवासी घीवारी	अज्ञात	—	हां	—
12.	कोटा	रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल, नि. लोहावट	9 वर्ष	हां	—	—
13.	,,	रमेश पुत्र भंवरलाल नि. लोहावट	5 वर्ष	हां	—	—
14.	,,	रमेश पुत्र प्रभुलाल	18 वर्ष	हां	—	—
15.	,,	रामचरण पुत्र मुरारी	20 वर्ष	—	हां	—
16.	,,	चितव पुत्र घन्ना	25 वर्ष	हां	—	—
17.	,,	लक्ष्मीचन्द्र पुत्र घन्ना, नि. रामपुरा	14 वर्ष	—	—	हां
18.	,,	श्यामलाल निवासी राजपुरा	अज्ञात	—	—	—

Page No 132

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 121 की सूची)

क्रम सं०	सड़क का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें कार्य कराया गया
1.	एम. आई. रोड़ सांगानेरी गेट से यादगार भवन तक	68-69 व 69-70
2.	एम. आई रोड़ गवर्नमेंट होस्टल खासा कोठी	,,
3.	एस. एम. एस. हाई वे	,,
4.	निरवाण मार्ग कांतिचन्द्र रोड से धीया मार्ग	,,
5.	धीया मार्ग वाटर वर्क्स क्रॉसिग	,,
6.	मोती डूंगरी रोड मिनर्वा टाकीज से आदर्श नगर क्रॉसिंग मुस्लिम स्कूल तक	,,
7.	घोड़ा निकास रोड रामगंज चौपड़ चार दरवाजा	69-70
8.	हवा सड़क रोड़	,,
9.	कांतिचन्द्र रोड़	,,
10.	पोलोविक्टरी से कांतिचन्द्र रोड़	,,
11.	गांधीनगर रोड़	,,
12.	गणेश मार्ग	,,
13.	टोंक रोड़-रामबाग चौराहे से गांधीनगर तक	,,

परिशिष्ठ 4

(प्र. ता. प्र. सं. 158 की सूची)

क्र. सं.	नाम पंचायत	नाम सरपंच	रकम	दिनांक
1.	बड़गाव	श्री जगन्नाथ	1100) रु.	26-8-66
2.	बड़वा	श्री दयाराम	46) रु.	24-12-64

परिशिष्ट 5

(अ० ता० प्र० सं० 159 की सूची)

पंचायत समिति नोखा द्वारा कुओं के निर्माण के लिए दी गई धन राशि का विवरण

क्र०सं०	नाम ऋणी	ग्राम	ऋण राशि	क्या कार्य पूर्ण हो गया है	क्या कार्य अपूर्ण है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री फुसेखां पुत्र सरदार खां	मैनसर	4,000)	हां	—	
2.	,, गिरधारीलाल मोंबिया प्रमुख	वादनू	10,000)	—	हां	सी. सी. देना बाकी है।
3.	,, रिकाराम वर्ड पुत्र श्री मानाराम	जसरासर	10,000)	—	हां	शुरू ही नहीं किया।
4.	,, सागर नाथ चेला श्री गंगानाथ	बिल निवासर	10,000)	-	हां	,, ,,
5.	,, रामप्रताप पुत्र प्रभुराम	दूदावास	4,000)	हां	—	,, ,,
6.	,, अनादास पुत्र किशनदास	बिल निवासर	4,000)	हां	—	
7.	,, धनाराम पुत्र चन्दाराम	,,	4,000)	—	हां	कार्य चालू है।
8.	,, भगवानाराम पुत्र सुखाराम	उतमापदेसर	4,000)	—	हां	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
9.	श्री हठीसिंह पुत्र हरिसिंह	मैनसर	4,000)	हां	—	
10.	,, मुलाराम पुत्र मंगराराम	थावरिया	8,000)	हां	—	
11.	,, जसवन्तसिंह पुत्र बालसिंह	गुन्दुसर	8,000)	हां	—	
12.	,, जेठाराम, शंकरलाल, पिसरार कानाराम	नोखा	8,000)	हां	—	
13.	,, मंगलचन्द पुत्र रामलाल	चरकडा	8,000)	हां	—	
14.	,, शंकरलाल पुत्र कुसलाराम	सलुन्डिया	8,000)	—	हां	
15.	,, बगसाराम पुत्र कुम्भाराम	थावरिया	4,000)	—	हां	कार्य चालू है
16.	,, कल्लूसिंह पुत्र जीवणसिंह	मैनसर	4,000)	—	हां	,, ,,
17.	,, माधोसिंह पुत्र अजीतसिंह	कूकू	8,000)	—	हां	,, ,,
18.	,, मानसिंह पुत्र हीरसिंह	हियादेसर	4,000)	—	हां	,, ,,
19.	,, डूंगरदास पुत्र नारायण दास	बिल नियासर	4,000)	—	हां	,, ,,
20.	,, पाबूराम पुत्र रूघाराम	रायसर	4,000)	हां	—	

Page No 136

परिशिष्ट 6

(अ० ता० प्र० सं० 160 की सूची)

पंचायत समिति, सवाई माधोपुर की निम्न पंचायतों ने ऑडिट के लिये हिसाब उपलब्ध नहीं किया :—

1. ग्राम पंचायत, पडाणा
2. ग्राम पंचायत, रजवाना
3. ग्राम पंचायत, करमोदा
4. ग्राम पंचायत, सूरवाल
5. ग्राम पंचायत, मैनपुरा
6. ग्राम पंचायत, जटवाडाकलां
7. ग्राम पंचायत, पांवडया
8. ग्राम पंचायत, अजनोटि
9. ग्राम पंचायत, शेरपुर
10. ग्राम पंचायत, बशोली

निर्धारित राशि से अधिक राशि रखने वाले सरपंचों एवं राशि का विवरण

क्रमांक	नाम सरपंच	नाम पंचायत	अप्रेल 1968	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी 1969	फरवरी	मार्च
1.	श्री देवीलाल	गम्भीरा	142)	142)	141)	141)	39)	19)	89)	89)	85)	141)	132)	61.04
2.	,, माधोलाल	डिसायर	47)	251)	81)	3)	86)	47)	34)	22)	48)	3)	185)	903)
3.	,, रामफल	झोंपडा	442)	381)	318)	313)	347)	383)	293)	179)	112)	112)	114)	290)
4.	,, रामदयाल गोयल	सेलू	168)	70)	36)	36)	1)	14)	27)	28)	30)	37)	47)	493)
5.	,, हीरालाल जाट	महापुरा	1,550)	50)	57)	50)	50)	550)	550)	550)	550)	450)	450)	450)
6.	,, मोजमल जैन	वरवाड़ा	897)	1,199)	901)	939)	662)	1,021)	773)	821)	1,351)	1,193)	793)	72)
7.	,, गुरुबचनसिंह	ईसरदा	292)	223)	506)	603)	623)	638)	530)	543)	295)	224)	164)	527)
8.	,, रामदेवा	श्यामपुरा	310)	310)	316)	316)	316)	316)	300)	300)	300)	10)	10)	10)
9.	,, गम्भीरमल जैन	शिवाड़	1,272)	435)	1,367)	1,133)	355)	302)	395)	150)	124)	507)	233)	1,675)
10.	,, केशरलाल	माबाहेड़ा	603)	269)	107)	190)	232)	127)	185)	106)	140)	155)	265)	342)
11.	,, बदरीलाल	आदलवाड़ा	1,488)	1,024)	995)	1,089)	1,088)	1,068)	1,017)	1,017)	1,017)	990)	839)	875)
12.	,, मनफूल	बनजारी	653)	504)	397)	407)	494)	405)	641)	501)	343)	343)	203)	274)
13.	,, उम्मेदकरण	खई	999)	1,127)	1,004)	152)	96)	99)	114)	114)	232)	240)	207)	8)
14.	,, फतहलाल	भगवतगढ़	475)	448)	189)	186)	142)	61)	102)	71)	42)	68)	89)	490)
15.	,, मनीराम	डूंगवा	339)	339)	339)	340)	440)	300)	300)	300)	612)	612)	612)	438)
16.	,, मोरीलाल	बोलखाडा	181)	66)	55)	185)	25)	38)	106)	24)	13)	39)	25)	79)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची)

पंचायत समिति, केकड़ी के अध्यापकों की सूची जिनके मामलों में पुन: वेतन स्थिरीकरण किया जाना है:—

1. श्री रामेश्वरलाल छीपा
2. ,, मानवेन्द्रसिंह
3. ,, मोहनी राव
4. ,, वेदप्रकाश
5. ,, हरिश्चन्द्र बांगड़
6. ,, लादूराम मीणा
7. ,, सूवालाल शर्मा

परिशिष्ट 8

(प्र. ता. प्र. सं. 162 की सूचा)

पंचायत समिति, केकड़ी में अध्यापकों के भुगतान किये जाने योग्य बकाया मेडिकल बिलों का विवरण।

क्रमांक	नाम अध्यापक	मैडिकल बिल की राशि	पेंडिंग रहने का माह
1	2	3	4
1.	श्री लक्ष्मीनारायण विजय	10-00	अगस्त, 69
2.	,, हरकचन्द	6-25	अगस्त, 69
3.	,, मोपालसिंह धुपड	85-68	अगस्त, 69
4.	,, जे० सी० छिपा	18-15	जुलाई, 69
5.	,, रामस्वरूप वर्मा	27-35	अगस्त, 69
6.	,, वेदप्रकाश माथुर	30-35	सित०, 69
7.	,, ब्रह्मदत्त जोशी	13-84	जुलाई, 69
8.	,, सोभागसिंह धुपड	31-50	जुलाई, 69
9.	,, श्रीमती शान्तिदेवी वर्मा	31-00	अगस्त, 69
10.	,, ताराचन्द भट्ट	57-00	सित०, 69
11.	,, रामगोपाल चौधरी	14-72	सित०, 69
12.	,, जी० डी० जोशी	1-00	जुलाई, 69
13.	,, बजरंगसिंह राठोड़	12-00	सित०, 69
14.	,, रमेश पारीक	19-10	जुलाई, 69
15.	श्रीमती शारदा देवी	11-37	दिस०, 69
16.	श्री मानकचन्द जैन	19-10	सित०, 69
17.	,, रतनसिंह	24-40	सित०, 69
18.	,, रामेश्वर चोधरी	13-32	सित०, 69
19.	,, मूलचन्द पालीवाल	23-00	अगस्त, 69
20.	,, जाहू शोलजर	20-12	सित०, 69
21.	श्रीमती बदाम देवी	2-20	अक्टू, 69
22.	श्री रतनसिंह	7-30	नव०, 69
23.	श्रीमती शारदा देवी	16-50	सित०, 69
24.	श्री हरकचन्द	16-50	सित०, 69
25.	,, मोपालसिंह	3-75	जुलाई, 69
26.	,, अब्दुललतीफ खान	19-10	अक्टू०, 69
27.	,, रामस्वरूप शर्मा	8-40	अक्टू०, 69
28.	,, हरिश चन्द	55-90	नव०, 69

1	2	3	4
29.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	10-62	अगस्त, 69
30.	,, मानकचन्द जैन	21-25	सित०, 69
31.	,, बालकृष्ण वर्मा	15-60	सित०, 69
32.	,, लादूराम सेन	22-97	सित०, 69
33.	,, बजरंगसिंह राठौड़	24-95	अक्टू०, 69
34.	,, रामकिशन माथुर	13-35	सित०, 69
35.	,, ख्वाज मोहम्मद	21-03	सित०, 69
36.	,, हुसन बक्स	21-30	जुलाई, 69
37.	,, फकिर मोहमम्द खान	58-82	सित०, 69
38.	,, हरिश चन्द्र	51-42	अगस्त, 69
39.	,, शेरसिंह पंवार	5-00	सित०, 69
40.	,, भंवरलाल शर्मा	17.50	जन०, 70
41.	,, रतनसिंह	13-66	अक्टू०, 69
42.	,, सिद्धान्त प्रकाश	42-91	नव०, 69
43.	,, रघुकुमार जाट	22-34	सित०, 69
44.	,, खेमराज शर्मा	27-60	नव०, 69
45.	श्रीमती यशोदा देवी	7-85	नव०, 69
46.	श्री रामलाल नागन	13-80	सित०, 69
47.	,, रामकिशन पारीक	90-50	सित०, 69
48.	श्रीमती शांति वर्मा	59-68	दिस०, 69
49.	,, शारदा देवी	49-07	जनवरी, 70
50.	श्री जाउसोल्जर	34-22	दिस०, 69
51.	,, हरजी सिंह	14-37	जन०, 70
52.	,, रामस्वरूप वर्मा	47-78	जन०, 70
53.	,, रामचन्द्र मीणा	29-30	दिस०, 69
54.	,, श्रीमति बदाम देवी	6-25	अक्टू०, 69
55.	,, बजरंगसिंह राठोड़	131-13	जन०, 70
56.	,, बालकिशन वर्मा	87-20	जन०, 70
57.	,, छोटूलाल खाती	51-00	दिस०, 69
58.	,, रामेश्वरलाल	13-00	दिस०, 69
59.	,, खवाज मोहम्मद	31-99	जन०, 70
60.	,, रमेशचन्द्र	52-02	जन०, 70
61.	,, नेमीचन्द	7-00	दिस०, 69
62.	,, भंवरलाल शर्मा	9-45	दिस०, 69
63.	,, फकीर मोहम्मद	22-30	दिस०, 69

परिशिष्ट 9

(प्र. ता. प्र. संख्या 165 की सूची)

सूची

चारा डिपोज के नाम और उन पर पहुंचे चारे की मात्रा का विवरण

क्रमांक	स्थान चारा डिपो	चारे की मात्रा (क्विं. में)
1	2	3
1.	लालगढ़	5,762
2.	देशनोख	546
3.	पलाना	73
4.	बीकानेर सिटी	1,340
5.	राणी बाजार	—
6.	नापासर	1,340
7.	पूगल	73
8.	ककराला	227
9.	सत्तासर	261
10.	छतरगढ	722
11.	आर. डी. 528	257
12.	मोतीगढ	331
13.	रामसर	178
14.	कालासर	45
15.	मानीपुरा	152
16.	तालबड़ी	116
17.	बम्बलू	417
18.	सरेरा	201
19.	लूनकरणसर	3,749
20,	महाजन	283
21.	अर्जुनसर	504
22.	मलसीसर	349
23.	घीरेरा	546
24.	वामनवाली	380
25.	महादेवाली	184

Page No 142

1	2	3
26.	कानोलाई	85
27.	दुदेर	67
28.	कालू	412
29.	हंसेरा	526
30.	कोलायत	1,418
31.	गड़ियाला	615
32.	गजनेर	100
33.	भीखमपुर	47
34.	बज्जू	460
35.	मलूरी	187
36.	मोखड़ा	511
37.	बरसलपुर	—
38.	नोखा	250
39.	जागोर	48
40.	जैतपुर	—
41.	सेखसर	70
42.	दुलमेरा	—

परिशिष्ट 10

(प्र० ता० प्र० सं० 171 की सूची)

Copy of letter No. F. 1/87-1216, dated 21-7-66 from the Secretary to the Government Education (Cell-10) Department Rajasthan, Jaipur, to the Addl. Director Primary and Secondary Education, Rajasthan. Bikaner.

Sub:—Taking over of aided schools.

I am directed to convey sanction of the Government to the taking over the following aided Higher Secondary Schools with immediate effect:—

(1) Johari Multipurpose Higher Secondary School, Ladnun.

(2) Pannalal Chitalangia Higher Secondary School, Sikar. The taking over is subject to the following conditions:—

1. That all the assets will be transferred to the state and proprietroy rights of the movable and im-movale properties will vest in Government from the date the properties are transferrd to state and a proper registration deed executed.

2. That the existing staff which satisfied the qualified the qualification prescribed by the Government will alone be taken over after due screening. On being taken over the staff will be governed by the service conditions prescribed by the Government. The Government shall bear no responsibility in respect of staff which has not been found qualified or is not selected after screening.

3. That he Govt. will be free to run the institution in whatever manner may like and of whatever standered is deemed fiit in the interest of the public.

4. That the Government shall not be responsible for the past liabilities outstanding against the present management.
5. That a complete list of all the articles, building etc. may be sent to Government for record.
6. The word "Government" shall be added before the names of the two schools.

The expenditure will be Charged to the Budget Head 286-Edu. B. Sec. A-1 Boy schools. (Plan Exp.)
No. EDB/Sec/B/21342/89/66-67, Dated 2-8-66.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:—

1. The Dy. Director of Education Jodhpur/Jaipur.
2. The Inspector of Schools, Nagaur/Sikar.
3. The Headmaster Johari M.P.H.S.S., Ladnun (Nagaur) and Pannalal Chitlangia Higher Sec. School. Sikar.
4. Planning Section/Estt B. Section/Budget/Grant-in-Aid Sec./Accounts section and Gr. A of Sec.-Section.
5. Guard file.

Sd/—
Addl-Director.

परिशिष्ट 11

(प्र० ता० प्र० सं० 180 की सूची)

नाम मार्ग	वाहन स्वामी	वाहन संख्या	समय सारिणी कोटा	समय सारिणी बुढातीत	
1. कोटा-बुढातीत वाया तानेड-दिगोद-सुलतानपुर	1. श्री गोकुलदास गुरुमुखदास	आर० जे० आर० 4965	प्रस्थान 2.30 (अपराह्न)	पहुंच 5.00 साय	
झाटोली-निमोदा वापस झाटोली-मण्डावरा फिर बुढातीत	2. श्री भागचन्द पंजूराम	आर० जे० आर० 5957	पहुंच 9.45 (प्रातः)	प्रस्थान 7.15 (प्रातः)	ये बसें इन दोनों मार्गों पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कोटा के निर्णयानुसार रोटेशन से चलती हैं।
			कोटा	निमोदा	
			प्रस्थान 3.45 सायं	पहुंच 5.45 सायं	
			पहुंच 8.30 प्रातः	प्रस्थान 6.00 प्रातः	
			कोटा	बडोद	
2. कोटा-बडोद-वाया दिगोद-सुलतानपुर-झाटोली निमोदा-मण्डावरा-बुढातीत	3. श्री जवाहरलाल टंवरलाल	आर० जे० आर० 4917	प्रस्थान 9.00 (प्रातः) पहुंच 5.00 (शाम)	पहुंच 12.00 (मध्याह्न) प्रस्थान 2.00 (मध्याह्न)	

परिशिष्ट 12

(अ. ता. प्र. सं. 181 की सूची)

डीडवाना में पुलिस द्वारा गोली चलाने की न्यायिक जांच

(1) श्री मोहनसिंह कांस्टेबिल को श्री खेताराम सुपुर्द किया गया और श्री खेताराम वहां से श्री महाराजसिंह की मदद से भाग गया।

(2) एस. एच. ओ. श्री महाराजसिंह यदि उस ही समय उनको नं. (1) के सम्बन्ध में की गई शिकायत पर उचित कार्यवाही करते तो तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

(3) उप जिलाधीश को जब दिनांक 24 मार्च, 1966 को तनाव की स्थिति की जानकारी मिल गई तो उन्हें सुरक्षा का पूरा इन्तजाम करना चाहिए था और धारा 144 जा० जा फौजदारी के तहत स्थिति को नियन्त्रण में रखने के उचित कदम उठाने थे।

(4) चारों पुलिस कांस्टेबिलों को आनन्द भवन के अहाते में बिना अफसर के नहीं छोड़ना था।

(5) श्री दीपसिंह, कांस्टेबिल ने गोली चलाई और उसको इसके लिए जिम्मेदार समझा जावे। इस कांस्टेबिल ने किन परिस्थितियों में गोली चलाई, इस पर सत्र न्यायाधीश किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके।

———

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
11	अन्तिम से 19	कार्यवही	कार्यवाही
15	" 6	क्य	क्या
17	" 19	श्रा	श्री
20	" 3	सर्टिफिकेटस	सर्टिफिकेट्स
21	" 25	सर्टिफिकेटर्स	सर्टिफिकेट्स
31	" 3	मोदय	महोदय
50	" 6	आ	जा
64	" 12	को	की
87	" 4	प्रोपोशन	प्रोर्पोशन
88	2	महादय	महोदय
88	7	प्रोपोशन	प्रोर्पोशन
89	अन्तिम से 16	इकट्ठ	इकट्ठे
91	" 17	बिबलकुल	बिलकुल
95	" 8	सासन	साधन
95	" 1	लो ो	लोगों
96	" 14	बट	बजट
96	" 12	आमदना हानी	आमदनी होनी
98	" 22	मैं	में
105	" 1	जा	जो
106	" 7	उससे मे	उसमें से
107	" 8	यह	यह
110	" 12	रहेते	रहते
111	" 16	कोशश	कोशिश
112	" 23	मुझ	मुझे
112	" 15	मैं	में
149	" 18	होगा	होना
153-54	शीर्षक	अग्रत्तर	अर्ग्रेतर

1	2	3	4
165	अन्तिम से 23	याण्डलगढ़	मांडलगढ़
167	13	आठ	आप
170	10	द	दे
181	2	ए	एक
181	2	वसा	वैसा
185	अन्तिम से 1	ाते	आते
194	,, 8	द	दें
197 से 208	शीर्षक	विशेषाधिकार समिति—14 मार्च, 1970-के प्रतिवेदन का उपस्थापन	आय व्ययक पर अग्रेतर-14 मार्च, 1970-सामान्य वाद-विवाद
197	11	एराज	एतराज
209	अन्तिम से 18	कर	करें
233	3	किसन	किसान
235	2	सभा	सभी
240	अन्तिम से 14	टक्स	टैक्स
244	4	घोपणा	घोषणा
247	10	अफ	ओफ
255	3	वहनों	बाहनों
266	2	सूवा	सूची